शैक्षिक समाचार राजस्थान

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

पेंशनर्स (नागरिक) अधिकार पत्र

प्रस्तावना

राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहॉ सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिये पृथक से पेंशन विभाग की स्थापना की गई । पहले यह कार्य महालेखाकार, राजस्थान द्वारा किया जाता था, किन्तु सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधा देने के पुनीत उद्देश्य से 01.12.1979 को पेंशन निदेशालय की स्थापना की गई । कार्य विस्तार एवं सुविधा की द्रष्टि से वर्ष 1993–94 में जोधपुर, उदयपुर, तथा वर्ष 1994–95 में कोटा, बीकानेर तथा वर्ष 1995–96 में अजमेर में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये । वर्तमान में पेंशन प्रकरणों का निस्तारण क्षेत्रवार हो रहा है । क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर भी शीघ्र कार्य करने लगेगा । विभागाध्यक्षों व अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले जिलों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

पेंशनर के हितार्थ सामान्य निर्देश

पेंशन विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य सभी आम नागरिकों से संबंधित न होकर केवल पेंशनरों से ही संबंधित है । अतः पेंशनर्स के हितों को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध हो, के लिये निम्नांकित सामान्य दिशा निर्देश प्रसारित किये हुये हैं:–

1. पेंशनर को सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष पूर्व उसकी सेवानिवृत्ति की सूचना मिल जावे ।
2. सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति मिल जावे ।
3. सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण तैयार होकर पेंशन विभाग को प्रेषित हो जावे ।
4. सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व अधिकृतियॉ जारी हो जावे ।
5. आवेदन बाद समुचित समय में संशोधन अधिकृतियॉ जारी की जावे ।

पेंशन विभाग का कार्य क्षेत्र

विभाग द्वारा निम्नांकित मामलों में कार्य निष्पादित किया जाता है :

1. राज्य कर्मचारियों की पेंशन अधिकृत करना ।
2. राज्य कर्मचारियों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन अधिकृत करना ।
3. संशोधित पेंशन अधिकृत करना ।
4. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान राशि स्वीकृत करना ।
5. राज्य कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों से संबंधित अधिकृतियॉ जारी करना ।
6. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने संबंधी कार्य
7. पुलिस पदक एवं विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं के लिये पेंशन कार्य
8. भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ से संबंधित पेंशन मामलें ।
9. भूतपूर्व रियासतों के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ।
10. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के पेंशन संबंधी कार्य ।
11. नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद तथा नगरीय एवं आवास विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन संबंधी कार्य ।
12. भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों के पेंशन संबंधी कार्य ।
13. डपादान के कालातीत मामलों को पुनर्वेध करना ।
14. पेंशन अंशदान वसूली कार्य ।
15. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना ।
16. विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर लम्बे समय से लम्बित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के प्रयास करना ।
17. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भुगतान संबंधी समस्याओं का निस्तारण ।

पेंशनर के अधिकार/हित

कार्य/पेंशन परिलाभ	पेंशन स्वीकृति हेतु जरुरी औपचारिकतायें / प्रपत्र	अभियुक्ति
पेंशन :– (अ) अधिवार्षिकी पेंशन :– अधिवार्षिकी पेंशन ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की जावेगी जो राजस्थान सेवा नियमों के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु को प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है । (वर्तमान में 60 वर्ष)	1. मूल सेवापुस्तिका मय सत्यापन व पेंशन कुलक । 2. सेवानिवृत्ति आदेश । 3. विभागीय जॉच अबकाया प्रमाण पत्र । 4. अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र । 5. विभागीय अदेयता प्रमाण पत्र । 6. वाहन ऋण/भवन ऋण अदेयता प्रमाण पत्र । 7. वर्णात्मक नामावली मय संयुक्त फोटो । 8. सेवापुस्तिका के अन्त में पेंशन अवधारण हेतु वरिष्ठ लेखाकर्मी का वेतन नियतन के सही होने का प्रमाण पत्र । 9. विशेष वेतन (यदि कोई हो) का सेवापुस्तिका में इन्द्राज एवं विगत 10 माह के औसत की गणना । 10. कर्मचारी की जन्म दिनांक प्रमाणित होनी चाहिये । 11. यदि पेंशनर वर्कचार्ज सेवा में रहा हो व सीपीएफ सदस्य रहा हो तो नियोक्ता के अंशदान की (मय ब्याज) हस्तान्तण प्रविष्टि बीमा विभाग से प्राप्त कर भिजवानी होगी ।	1. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति तिथि से 6 माह पूर्व पेंशन विभाग में भिजवाया जाना चाहिये । 2. सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त किये जा रहे वेतन जिसमें विशेष वेतन भी शामिल है, के पचास प्रतिशत तक (जिसे अर्हक सेवा के पूर्ण छः माही खंडों के कुल 56 के साथ अनुपात के आधार पर समायोजित किया जावेगा) पेंशन स्वीकृत की जाती है । 3. पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा होनी चाहिये । इसके अभाव में केवल सेवा ग्रेच्युटी ही स्वीकार्य है । 4. सेवा ग्रच्युटी प्रत्येक पूर्ण छः माहों के लिये 15 दिन की परिलब्धियों की दर पर संगणित की जावेगी । 5. 3 माह के बराबर या अधिक के वर्ष के भिन्नांश को पूर्ण आधे वर्ष के रुप में माना जावेगा । 6. पेंशन के लिये परिलब्धियों से तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (24) में यथा परिभाषित वेतन से अभिप्रेत है । सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान के लिये अनुज्ञेय मंहगाई भत्ते की रकम को भी परिलब्धि का भाग माना जाता है ।

(ब) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति :– कोई भी सरकारी कर्मचारी 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के बाद किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को न्यूनतम तीन माह का नोटिस देकर सेवा से निवृत्त हो सकता है ।	उपर्युक्तानुसार	उपर्युक्त के अतिरिक्त यह कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अर्हकारी सेवा में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है, किन्तु इससे अर्हकारी सेवावधि 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी व अधिवार्षिकी आयु तक सेवा में बने रहने पर होने वाली कुल योग्य सेवा से अधिक नहीं होगी । (यह प्रावधान दिनांक 1.7.13 से सेवानिवृत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा) ।
(स) असमर्थता पेंशन :– सरकारी कर्मचारी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण राजकीय सेवा करने के लिये (चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर) अयोग्य होने पर सेवानिवृत्त किया जाने पर उक्त पेंशन स्वीकार्य है ।	उपर्युक्तानुसार	अधिवार्षिकी पेंशन के लिये दर्शित अभ्युक्तियॉ यथावत ।
(द) क्षतिपूर्ति पेंशन :– स्रकारी कर्मचारी को उसके स्थायी पद की समाप्ति पर सेवानिवृत्त किया जाने पर उक्त पेंशन देय होती है ।	उपर्युक्तानुसार	अधिवार्षिकी पेंशन के लिये दर्शित अभ्युक्तियॉ यथावत ।
(य) अनिवार्य सेवानिवृत्ति :– किसी सरकारी कर्मचारी को अकर्मण्यता या संदेहास्पद सत्यनिष्ठा या कार्यालयीय कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता या कार्यालयीय कर्तव्यों के उचित निष्पादन	उपर्युक्तानुसार	शास्ति रुप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों क्षतिपूरक पेंशन के दो तिहाई से कम दर पर नहीं होगी या पूर्ण क्षतिपूरक पेंशन से अधिक नहीं होगी ।

में अकुशलता के कारण 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो भी पहले हो, पर अनिवार्य सेवानिवृत किया जाने पर उक्त पेंशन देय है ।		
(र) अनुकंपा भत्ता :– सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त किया गया है, यदि मामला विशेष विचार किये जाने योग्य है, तो अनुकंपा भत्ता जो उस देय पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के दो तिहाई से अधिक नहीं होगा जो यदि वह क्षतिपूरक पेंशन पर सेवानिवृत्ति होता हो उसे स्वीकार्य होती ।	उपर्युक्तानुसार	अनुकंपा भत्ता 3025/– रुपये प्रतिमाह से कम राशि का नहीं होगा, किन्तु 1.7.13 से न्यूनतम अनुकंपा भत्ता 3450 होगा ।
सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी :– सरकारी कर्मचारी जिसने पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है, सेवानिवृत्त होने पर, अर्हकारी सेवा की प्रत्येक परिलब्धियों की एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी स्वीकार की जावेगी ।	1. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के मामले में अधिवार्षिकी पेंशन के सम्मुख दर्शित औपचारिकताओं की पूर्ति । 2. मृत्यु ग्रेच्युटी के मामले में आवश्यक उक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र में अपना क्लेम प्रस्तुत करना । 3. मृत्यु के समय यदि कर्मचारी राजकीय आवास सुविधा का आवंटिती था तो कुछ बकाया नहीं प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है । 4. मृत्यु प्रमाण पत्र ।	सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर निम्नानुसार मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है :– अर्हकारी सेवावधि ग्रेच्युटी की दर 1 वर्ष से कम परिलब्धियों का 2 गुणा 1 वर्ष से 5 वर्ष के परिलब्धियों का 6 गुणा बीच 5 वर्ष से 20 वर्ष के परिलब्धियों का 12 गुणा 20 वर्ष या अधिक प्रत्येक पूर्ण छः माही लिये मासिक परिलब्धि का आधा अधिकतक मासिक परिलब्धि के 33 गुणा तक (अधिकतम सीमा 10.00 लाख रुपये) 2. कर्मचारी द्वारा आत्म हत्या करने पर भी मृत्यु ग्रच्युटी का अनुज्ञेय है । 3. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसके बारे में कुछ ज्ञात न हो, सेवानिवृति मृत्यु ग्रेच्युटी का

		भुगतान परिवार को एक वर्ष बाद किये जाने का प्रावधान है ।
परिवार पेंशन :– ऐसा सरकारी कर्मचारी जो 1.10.96 को अस्थायी अथवा स्थायी सेवा में हैं तथा सेवा में रहते हुये या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो परिवार पेंशन अनुज्ञेय होती है । इसकी अनुज्ञेयता के लिये एक वर्ष की निरन्तर सेवा होना आवश्यक है । किन्तु, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से या आयोग अधिकार क्षेत्र के बाहर के पद पर पूर्णरुपेण सेवा नियमों के अनुसार भर्ती किये गये व्यक्तियों के मामले में एक वर्ष का नियम लागू नहीं होगा । परिवार पेंशन मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर किन्तु, रुपये 3450/– से अन्यून स्वीकार्य होती है जो सरकार में अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है ।	1. मृत्यु प्रमाण पत्र 2. पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र 3. वर्णात्मक नामावली	1. सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद 7 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन प्राप्त होती है, जो सामान्य दर से दुगुनी या अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, के बराबर होती है । बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन 7 वर्ष या पेंशनर यदि जीवित रहता तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले हो, तक भुगतान किया जाता है । उसके बाद सामान्य दर से भुगतान किया जाता है । 2. परिवार पेंशन विधवा/विधुर के पुनर्विवाह तक तथा पुत्र की स्थिति में 25 वर्ष की आयु प्राप्ति या विवाह होने या संतान के रु. 6000/– प्रतिमाह कमाना शुरु करने पर, अविवाहित / तलाकशुदा/विधवा पुत्री के विवाह/पुनर्विवाह करने तक या 600/–रु प्रतिमाह की आय होने तक, जो भी पहले हो , तक अनुज्ञेय रहती है । 3. यदि पुत्र/पुत्री शारीरिक या मानसिक रुप से अक्षमह ै तथा आजीविका उपार्जन के अयोग्य है तो ऐसी संतान को आजीवन परिवार पेंशन देय होगी ।
अनुग्रह अनुदान :– ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी पर रहते हुये 1. अपने सामान्य मुख्य कार्यालय के बाहर 2. किसी दुर्घटना में 3. कर्त्तव्य निष्पादन के दौरान जान	1. अनुग्रह अनुदान विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान किया जाता है । 2. चुनाव ड्युटी में मरने पर संबंधित जिला कलक्टर द्वारा राशि को स्वीकृत एवं भुगतान किया जाता है । 3. स्वंय सेवी होमगार्डस के लिये महानिदेशक, होम गार्डस् द्वारा राशि को स्वीकृत एवं भुगतान किया जाता है ।	

बूझकर पहुंचाई गई चोट के कारण 4. अपनी पदीय हैसियत के कारण जान बुझकर पहुंचाई गई चोट के कारण 5. अपनी सेवा से संबंधित कारणों से हिंसा के द्वारा 6. चुनाव ड्युटी व जनगणना ड्युटी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह अनुदान स्वीकार्य होता है ।		
प्रोविजनल पेंशन :– यदि सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में किन्हीं कागजातों, आदेशों के अभाव, विभागीय जॉच, न्यायिक कार्यवाही लंबित होने या अन्य कारणों से अंतिम पेंशन स्वीकृति में समय लगना संभावी हो तो प्रोविजनल पेंशन एवं प्रोविजनल ग्रेच्युटी स्वीकार की जा सकती है ।	कार्यालय अध्यक्ष (विभागीय जॉच न्यायिक निर्णय लम्बित रहने पर नियुक्ति प्राधिकारी) द्वारा निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान को संबोधित कर प्रपत्र 33 में स्वीकार्य जारी की जानी होती है ।	1. स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशक पेंशन विभाग द्वारा अन्यथा कारण न होने पर एक सप्ताह में प्रोविजनल पेंशन एवं प्रोविजनल ग्रेच्युटी आदेश जारी कर दिये जाते हैं । 2. प्रोविजनल पेंशन 100 प्रतिशत व प्रोविजनल ग्रेच्युटी सामान्य रुप में 75 प्रतिशत तथा निर्माण अग्रिम की वसूली के लिये प्रावधान रखने पर 20 प्रतिशत स्वीकार्य होगी । 3. विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लंबित होने की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है ।
पहचान के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति :– नियम के रुप में पेंशनर को व्यक्तिशः भुगतान तभी करना चाहिए जब पेंशन भुगतान आदेश में मिलान कर उसकी पहचान कर ली गई हो । किसी प्रकार का कोई पेंशनर जो विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त होगा ।	जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति :– 1. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति । 2. भारतीय पंजीयन अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार । 3. राजपत्रित अधिकारी । 4. किसी पुलिसथाने का प्रभारी जो सब इंसपेक्टर की रैंक से निम्न स्तर का अधिकारी न हो । 5. पोस्ट मास्टर, विभागीय पोस्ट मास्टर या डाक धर का निरीक्षक ।	पेंशनर, जो भारत में निवासी नहीं हो, जिसके संबंध में उसका प्राधिकृत एजेन्ट किसी मजिस्ट्रेट नोटेरी बैंकर या भारत के किसी राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त होगा ।

	6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या प्रथम श्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी । 7. विकास अधिकारी या नायब तहसीलदार । 8. सांसद या विधायक या ग्राम पंचायत का सरपंच ।	
अन्य राज्यों में पेंशन का भुगतान अंतरण निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान किसी ऐसे पेंशनर से जो राजस्थान में पेंशन आहरित कर रहा है एवं जो उसे अब दूसरे राज्य में प्राप्त करने का इच्छुक है, (संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से) आवेदन प्राप्त करने पर भुगतान का अंतरण दूसरे राज्य में उस कोषागार में करने के लिये अनुमति दे सकेगा ।	1. कोषागार अधिकारी अंतरण के आवेदन को अग्रषित करते समय उसके साथ पेंशन भुगतान आदेश के दोनो अधपन्नों को, उन पर उस दिनांक तक किये गये अंतिम भुगतानों को दर्ज करते हुये, संलग्न करेगा । 2. निदेशक, पेंशन विभाग तब या तो नये भुगतान आदेश को नये कोषागार पर भुगतान करने के लिये अंतरित करेगा तथा महालेखाकार राजस्थान के मार्फत ऐसा करने के लिये संबंधित राज्य के महालेखाकार को लिखेगा ।	
व्यतिक्रम एवं समपहरण :– यदि भारत में भुगतान योग्य पेंशन का एक वर्ष से अधिक समय तक भुगतान आहरित नहीं किया जाता है, तो पेंशन का भुगतान योग्य होना बंद हो जाता है ।	पेंशनर बाद में उपस्थित होता है, तो वितरण अधिकारी उसके भुगतान का नवीनीकरण करेगा किन्तु, तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों में नवीनीकरण निदेशक, पेंशन द्वारा किया जावेगा ।	कोषाधिकारी, पेंशन की बकाया राशि रु. 50,000/– तक का भुगतान कर सकता है । इसके बाद निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान की पूर्वानुमति से ही किया जावेगा ।
पेंशन रुपान्तरण :– मूल पेंशन राशि के अधिकतम एक तिहाई भाग तक पेंशन राशि का रुपान्तरण कराया जाकर एक मुश्त भुगतान प्राप्त किया जा सकता है ।	1. प्रपत्र – 1 में आवेदन करना होता है । 2. सेवानिवृत्ति की दिनांक से एक वर्ष के अंदर निघारित प्रपत्र में आवेदन करने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।	1. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्व विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, को स्वीकृत की गई अस्थाई पेंशन को रुपान्तरित नहीं कराया जा सकेगा । 2. रुपांतरित पेंशन राशि के भुगतान या अधिकृति जारी होने के 3 माह जो भी पहले हो, 14 वर्ष बाद पेंशन राशि पुनः बहाल हो जाती है । अर्थात् रुपान्तरति भाग को पुनः स्थापित कर दिया जाता है ।

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.5(254)निपेवि/नियम/05/ [illegible] दिनांक 29/11/10

परिपत्र

विषयः पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के संबंध में।

1. शासन के ध्यान में यह आया है कि पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है। ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने की राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट vi–पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन के संदाय के लिए स्कीम, के अनुच्छेद संख्या 15 में प्रावधान हैं। इस संबंध में निदेशालय द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांकः136–175एच दिनांक 29.03.2005 एवं 19–65 एच दिनांक 06.01.2010 आदि जारी किए गये हैं।

2. अतः पुनःनिर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरण जिनमें पेंशन भुगतान आदेश के साथ वर्णात्मक नामावली में पति एवं पत्नी का संयुक्त प्रमाणित फोटो तथा नाम एवं विवरण के तथ्य सत्यापित हैं और पारिवारिक पेंशन की राशि नामजद है, उन प्रकरणों में पत्नी या पति को, जैसा भी प्रकरण हो, पेंशन संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करेंगे।

3. बैंको द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के परिशिष्ट vi के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु दी गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पेंशनर के पति/पत्नी से निम्न दस्तावेज (सुविधा हेतु प्रारूप संलग्न) प्राप्त किये जायेंगे:–

(1) पारिवारिक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र
(2) अनियोजन प्रमाण पत्र
(3) पुर्नविवाह/अविवाह का प्रमाण पत्र
(4) पारिवारिक पेंशन का आवेदन पत्र
(5) अन्य स्रोतों से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र
(6) पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग
(7) पेंशनर के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

4.बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

(i) पीपीओ के दोनों भागों (बैंक हाब्स) पर पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जायेंगे, जिसे शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) पीपीओ के दोनों भागों (बोथ हाब्स) पर पेंशनर की मृत्यु की तिथि, पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने की तिथि, पारिवारिक पेंशन की दर का अंकन एवं प्रमाणीकरणकिया जाएगा।

(iii) यदि पेंशनर को पेंशन का अधिक भुगतान किया गया है, तो उसका समायोजन किया जायेगा।

(iv) पेंशनर के विरुद्व यदि कोई अन्य वसूली हो, तो नियमानुसार वसूली सम्बन्धी प्रविष्टी दोनो भागों पर अंकित की जायेंगी।

(v) पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की सूचना निदेशक पेंशन विभाग को प्रपत्र--29 में दी जायेगी।

5. उपरोक्त कार्रवाई के पश्चात् बैंक द्वारा पत्रावली मूल पीपीओ, पेंशनर के भाग सहित संबंधित कोषाधिकारी को भिजवाई जायेगी। कोषाधिकारी द्वारा पत्रावली में बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि उपरान्त टी.एस. पंजिका एवं डाटा बेस में आवश्यक प्रविष्टी या संशोधन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक को वापस भिजवाई जायेगी। **इसके लिए पारिवारिक पेंशनर को कोषालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।**

6. जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन की दर का संशोधन अपेक्षित है, उन मामलों में बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के पश्चात संशोधन हेतु पत्रावली मय मूल पी.पी.ओ (पेंशनर भाग) कोषाधिकारी को भिजवाई जायेगी, जिसके द्वारा पैरा 5 में वर्णित कार्यवाही के साथ भी पारिवारिक पेंशन की दर का संशोधन कर पत्रावली वापस बैंक को भिजवाई जावेगी। **इस प्रक्रिया में भी पारिवारिक पेंशनर को कोषालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।**

7. कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अथवा पेंशनर के पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन अधिकृत करने हेतु पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (एफ. पीपीओ) जारी किया जाता है, उन मामलों में उपरोक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

संलग्न : 5 प्रपत्र–पैरा 3 के अनुसार।

निदेशक

दिनांक:

क्रमांक: प.5(254) निपेवि/नियम /05/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त कोषाधिकारी _____ (राजस्थान)
2. महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक _____

निदेशक

③

(1)

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन संदाय आदेश संख्या_____ के धारक पेंशनर के पति/पत्नी श्री/श्रीमती _____ (पारिवारिक पेंशनर का नाम) को देखा है और वह आज इस तारीख को जीवित है।

स्थान :
तारीख :

नाम _____
प्राधिकृत अधिकारी_____
पदनाम (मुहर)_____

(2)

अनियोजन प्रमाण पत्र

(क) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने अक्टूबर, 20___ में समाप्त हुए वर्ष के दौरान किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग या केन्द्रीय/राज्य सरकार की कम्पनी, निगम, उपक्रम, स्वशासी निकाय, कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी सोसाइटी, संस्था आदि में, जो केन्द्र/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन हैं या जिसमें सरकार का सारवान वित्तीय हित है या जो अपने प्रशासनिक खर्च की पूर्ति करने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है या भारतीय रिजर्व बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में या जी आई सी/एल.आई.सी इत्यादि में स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नियोजन/पुनः नियोजन/आमेलन के परिणामस्वरूप कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर_____
पेंशनर का नाम_____
पेंशनर संदाय आदेश सं_____

पुनर्विवाह/अविवाह का प्रमाण पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले छह मास के दौरान विवाह नहीं किया है।

या

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है और कोषालय/बैंक को ऐसी घटना होने पर रिपोर्ट करने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर _____
पेंशनर का नाम _____

मैं अपने पूरे ज्ञान और विश्वास से यह प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वोक्त घोषणा सही है।

उत्तरदायी अधिकारी या
प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम _____
पदनाम _____

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(5)

(4)

उपाबन्ध – V
पारिवारिक पेंशन के आवेदन का प्रारूप

स्व. श्री / श्रीमती _____ पदनाम
कार्यालय विभाग _____ की पारिवारिक पेंशन का आवेदन।

1. आवेदक का नाम
2. मृत सरकारी कर्मचारी / पेंशनर से संबंध
3. सेवानिवृत्ति का दिनांक, यदि मृतक पेंशनर था
4. सरकारी कर्मचारी / पेंशनर की मृत्यु का दिनांक
5. मृतक के उत्तरजीवी रक्त संबंधियों के नाम और आयु

नाम	जन्म की तारीख
विधवा / विधुर	
पुत्र	
अविवाहित पुत्रियां	

6. उस कोषालय / उप कोषालय / पब्लिक सेक्टर बैंक शाखा का नाम, जिससे संदाय चाहा गया है।

7. हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे की छाप (उनके मामले में, जो अपने हस्ताक्षर करने जितने साक्षर नहीं है)

8. स्व. _____ की विधवा / विधुर / अवयस्क सन्तान के संरक्षक की वर्णन तालिका

जन्म दिनांक
ऊँचाई
हाथ या चेहरे पर वैयक्तिक चिन्ह, यदि कोई हो
बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप

कनिष्ठिका अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

9. आवेदक का पूरा पता :

अनुप्रमाणित
(1)
(2) _____

साक्षी
(1)
(2) _____

टिप्पण :– पारिवारिक पेंशन के आवेदन के साथ की वर्णनात्मक तालिका (स्तम्भ 8) और हस्ताक्षर या बाये हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप दो प्रतियों में दो अलग–अलग पन्नों में और दो राजपत्रित अधिकारियों या नगर, गांव या परगना जिसमें आवेदक निवास करता है, के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित, होने चाहिए।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(6)

(5)

अन्य स्त्रोत से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करने का प्रमाण–पत्र

मैं_____पति / पत्नि / श्री / श्रीमती _____ _____धारक पी.पी.ओं संख्या _____ प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि मुझे राज्य सरकार या केन्द्रिय सरकार या राजकीय उपक्रम या स्वायत्तशाषी निकाय या स्थानीय निधि आदि किसी भी अन्य स्त्रोत से अन्य नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रहीं है।

पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प. 5 (254) निपेवि/नियम/05/1301-50 H दिनांक : 29-06-2012

परिपत्र

विषय : पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय में निदेशालय पेंशन के पूर्व परिपत्र संख्या प.5 (254) निपेवि/नियम/05/1920–1963–II दिनांक 29.11.2010 के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के लिए संबंधित बैंक को "पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग" प्रस्तुत करना होता है ।

इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि उक्त मामले में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग बिना प्राप्त किये ही पेंशनर की मृत्यु की सूचना Annexure-V में प्राप्त होने पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान पेंशनर के Spouse को किया जावे, जिसका पूर्ण विवरण पेंशनर के पेंशन के भुगतान आदेश के बैंक के भाग एवं पेंशनर के संयुक्त बैंक खाते में पहले से ही उपलब्ध है ।

अतः ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशनर को पेंशन के भुगतान आदेश, पेंशनर का भाग प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे । पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ किये जाने हेतु आवेदन पत्र वित्त विभाग के आदेश संख्या प.1(1) वित्त विभाग /जी एण्ड टी/2007 दिनांक 21.6.2012 (प्रति संलग्न है) के अन्तर्गत संशोधित पारिवारिक पेंशन के आवेदन पत्र के प्रपत्र में किया जावे । उक्त परिपत्र वित्त विभाग की बार कोड संख्या 2211013 दिनांक 22.62012 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है ।

संलग्न : प्रपत्र 1 (पीडी की प्रति)

भवदीय,

निदेशक

क्रमांक : प. 5 (254) निपेवि/नियम/05/1301-50 H दिनांक : 29-06-2012

प्रतिलिपि : निम्नांकित को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त कोषाधिकारी ———————— (राज.)
2. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक ————————

   को अधीनस्थ शाखाओं को भिजवाने हेतु ।
3. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय ———————— को इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक 1920–1963–II दिनांक 29.11.2010 की छाया प्रति के साथ प्रेषित है ।

निदेशक

शैक्षिक समाचार राजस्थान

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(G & T Division)

ORDER

No.F.1(1)FD/(G&T)/2007 Jaipur, dated : 21-1-2008

Subject:- Scheme for payment of pension of Rajasthan Government Civil Pensioners by the Public Sector Banks.

The Governor is pleased to order that the existing Annexure-V- Form Application for Family Pension - appended to the Scheme for payment of pension to Rajasthan Government Civil Pensioners by the Public Sector Banks issued vide order No. F 6(11)FD/R&A-I/76 dated 10.06.1977 shall be substituted by the following -

"ANNEXURE V

FORM OF APPLICATION FOR FAMILY PENSION

Application for a family pension for the family of late Shri/Smt ..... (Designation) ..... in the Office/Department of .....

1. Name of the applicant

2. Relationship to the deceased Government servant/pensioner

3. Date of death of Government servant/pensioner

4. Names and ages of surviving kindred of the deceased, if spouse is not alive.

	Name	Date of birth
Unmarried Sons		
daughters including widowed / divorced		

5. Name of Treasury/Sub-Treasury/ PSB branch at which payment is desired.

6. Signature of left-hand thumb impression (in the case of those are not literate enough to sign their names)

7. Date of birth of widow/widower/ guardian of the minor children of late .....

9. Full address of the applicant:

Date :

Signature of the applicant

By order of the Governor,

(Akhil Arora)
Secretary to the Government,
Finance (Budget)

(9)

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- [illegible] 12359 - [illegible] , दिनांक 7/8/09

संयुक्त निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
कोटा / अजमेर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर ।

विषय:- पी.पी.ओ. / एफ.पी.पी.ओ. में पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथी अंकित करने के संबंध में ।
प्रसंग:- राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक एफ.12(3)एफडी / रूल्स / 2008 दिनांक 30.6.2009

महोदय,

उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञापन (प्रति पहले भेजी जा चुकी है) के संदर्भ में पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथी निर्धारित कर प्रविष्टि करने के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है ।

(क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तांक दर्ज कर संबंधित शाखा में भिजवाया जावेगा ।
(ख) संबंधित शाखा मांगपत्र भेजकर पत्रावली प्राप्त करेगी ।
(ग) पत्रावली में पारिवारिक पेंशनर(पति / पत्नी) की जन्म तिथी / आयु उपलब्ध होने पर ज्ञापन के पैरा 3 अनुसार जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी ।
(घ) पेंशन विभाग की पत्रावली में जन्म तिथी एवं आयु की सूचना उपलब्ध न होने पर संबंधित कार्यालय जहाँ से पेंशन प्रकरण प्राप्त हुआ था, को सूचना भेजने हेतु प्रारूप "ख" मे पत्र लिखा जावेगा । सूचना प्राप्त होने पर ज्ञापन के पैरा 4 के अनुसार जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी । एक माह में सूचना न आने पर मान जावेगा कि विभाग मे सूचना उपलब्ध नहीं है ।
(ङ) पेंशन विभाग व कर्मचारी के मूल विभाग में जन्म तिथी एवं आयु की सूचना उपलब्ध न होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी ।
(च) उपरोक्त (ग) (घ) अथवा (ङ) के अनुसार निर्धारित जन्म तिथी की सूचना कोषाधिकारी एवं आवेदक को प्रारूप 'क' मे दी जावेगी ।

किसी भी प्रलेख मे मात्र आयु उपलब्ध होने पर जन्म तिथी निम्नानुसार निर्धारित की जावेगी :-

(i) आयु वर्षों मे उपलब्ध होने पर प्रलेख तैयार होने के वर्ष में से आयु के वर्ष घटाकर संबंधित वर्ष की एक जुलाई जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी । उदाहरण स्वरूप किसी कर्मचारी को सेवानिवृति के समय तैयार कुलक सन् 1992 में तैयार किया गया । कुलक में पत्नी की आयु 52 वर्ष अंकित है तो 1992-52 =सन् 1940 की एक जुलाई जन्म तिथी निर्धारित होगी ।
(ii) आयु यदि वर्ष व महिने दोनो में अंकित है तो प्रलेख तैयार करने के महिने में से वर्ष व माह दोनो घटाकर संबंधित माह की 15 तारीख जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी । उदाहरणार्थ मई 2006 में तैयार राशन कार्ड में यदि पत्नी की आयु 78 वर्ष 6 माह अंकित है तो 2006-05 में से 78 वर्ष 6 माह घटाने पर सन् 1927 का नवम्बर माह जन्म माह आता है अतः नवम्बर 1927 की 15 तारीख का जन्म तिथी निर्धारित होगी ।
(छ) यह कार्य निम्न चरणों में किया जावेगा :-

प्रथम चरण	अगस्त 09 से अक्टूबर 2009	जो पारिवारिक पेंशनर 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके है तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।
द्वितीय चरण	नवम्बर,2009 से मार्च,2010	शेष सभी पारिवारिक पेंशनर जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है ।
तृतीय चरण	अप्रेल,2009 से निरन्तर	शेष सभी मामले

पेंशनर द्वारा आवेदन हेतु आवेदन का प्रारूप (संलग्न) पेंशन विभाग की वेबसाईट http.rajpension.nic.in पर उपलब्ध है । आवेदन प्राप्त होने पर उक्तानुसार प्रक्रिया अपनाकर पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथी अंकन के संबंध में कार्यवाई की जावे ।

निदेशक

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक पीआर ——— अनुभाग / सहायक लेखाधिकारी पीआर ——— कार्यालय हाजा ।

निदेशक

(10)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No.F.12(3)FD(Rules)/2008

Jaipur, dated : 30 JUN 2009

MEMORANDUM

Sub. :- Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners / Family Pensioners etc. - grant of additional quantum of family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.

State Government vide Finance Department Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 15.05.2008 have allowed additional quantum of family pension to the family pensioners who have attaineded/ attain the age of 80 years and above on or after 01.07.2007.

It has been brought to the notice of the Government that in the absence of age / date of birth of family pensioners in the Family Pension Payment Orders, it is not possible to authorise the additional amount of family pension to the family pensioners who have already crossed the age of 80 years and above and who may cross the age of 80 years in future.

As per the provisions contained in the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, each Government servant has furnished the details of family in his / her application for grant of pension. Similarly, in the case of death while in service, the concerned family pensioner has also furnished the details regarding date of birth / age. Accordingly, age / date of birth recorded in the Pension Application Form of the employee / family pensioner, may be treated as valid and be used for the purpose of grant of additional amount of family pension.

In case, the date of birth is not available, but the year, and month of birth is available on record, the 1st July or the 1st of the month, respectively may be treated as date of birth. Similarly, in cases where only approximate age is available on record, date of birth may be reckoned by deducting the number of years representing the age from the date of submission of details of family members and age may be determined.

In cases, where record of the pensioners / family pensioners has been destroyed by the Pension & Pensioners' Welfare Department after obtaining approval at the competent level, the age for the aforesaid purpose may be determined on the basis of following documents :-

(i) Date of birth of the spouse might have been mentioned in the service record of the employee or it is possible that record of the pensioner / family pensioner is available in the department where from he / she has retired / died while in service. Efforts may be made to obtain the proof of date of birth from the concerned Head of Office.

(ii) Where the family pensioner is educated, he / she may be asked to furnish the certificate of date of birth from the concerned School / Board, as the case may be.

D:data/rules/Jain/Order-23.doc

.....2

(iii) Documentary evidence viz. Family Pensioner's Medical Diary, Passpo PAN Card, Driving Licence, Voter Identity Card issued by the Elect Commission, Ration Card or any other legal documents issued before date of Memorandum i.e. 12.09.2008, may be obtained from the fam pensioners. If there is any variation in the date of birth / age in documents, younger date of birth may be used as date of birth fo aforesaid purpose. In such cases, the family pensioner will have to subm affidavit in support of his / her correct date of birth.

(iv) In the absence of any of the documents mentioned above, the determination of age / date of birth may be put up to the concerned Divisional Magistrate by the family pensioner for verification and date o may be admitted on that verification.

The date of birth determined / ascertained as stated above, conveyed by the Director, Pension & Pensioners' Welfare Department concerned Treasury Officer (Pension), who shall enter the date of birth o pensioners in the both halves of Family Pension Payment Orders and a additional amount of family pension as per rules.

In case of existing pensioners, the date of birth of his / her spou available in the pension file of the pensioner, the Director, Pension & Pens Welfare Department shall communicate the date of birth of the spouse Treasury Officer (Pension) for entries in both halves of the Pension Payment O of pensioners.

(Deepak Upret)
Secretary to the Governm

Copy forwarded to :-

1. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries/Secretaries/Special Secret Government.
2. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
3. P.S. to Chief Secretary
4. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies)
5. All Heads of the Departments
6. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for s Sub-Treasury Officers
7. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
8. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
9. All Treasury Officers
10. All Sections of the Secretariat.
11. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies
12. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
13. Analyst-cum-programmer, Finance Department

Copy also to the :-

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

(Aditya Paree
Deputy Secretary to the

(Pension -03 / 2009)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No. F. 12(3)FD(Rules)/2008 Jaipur, Dated : 29.09.2011

MEMORANDUM

Sub. : Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners / Family Pensioners etc. - grant of additional family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.

State Government vide Finance Department Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 12.09.2008 have allowed additional quantum of family pension to the family pensioners who have attained/attain the age of 80 years and above on or after 01.01.2007.

The procedure for determination of date of birth of the spouse of the pensioner / family pensioner was issued vide FD Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 30.06.2009.

In some case pensioners are requesting for change in the age/date of birth of the spouse of the pensioner/family pensioner as mentioned in the orginal pension application form on the basis of a documentary proof of date of birth.

The matter has been considered in light of these cases and in partial modification of FD Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 30.06.2009 it has been decided that the date of birth of sopuse of the pensioner/family pensioner may be revised / determined on the basis of date of birth mentioned in passport, certificate of secondary school or equivalent issued by Board, PAN card or Driving Licence. In other cases where it is not possible to submit the above certificate/ document, the date of birth of the spouse of the pensioner/family pensioner shall continue to be determined as per the provisions contained in the FD Memorandum dated 30.06.2009.

Any proof of date of birth issued on or after 12.09.2008 shall not be considered for this purpose.

(Sanjay Malhotra)
Secretary, Finance (Budget)

कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग
जयपुर - राज.
30 SEP 2011
1679
पत्र - प्राप्ति

(13)

Copy forwarded to -

1. Principal Secretary to H.E. Governor,
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies)
7. All Heads of the Departments
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office
11. All Treasury Officers
12. All Sections of the Secretariat
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies
14. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
15. System Analyst, Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur

(Aditya Parook)
Deputy Secretary to the Government

(Pension-11/2011)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनरी कल्याण विभाग, जयपुर

क्रमांक: प.5(254) निदेशी/पेंशन/2011/पार्ट-I 1262-72H दिनांक: 11-10

मूल मेमोरेण्डम की छाया प्रति निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) अति. निदेशक/संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनरी कल्याण विभाग श्री-कृष्ण-अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर (सभी)

(2) सहायक निदेशक (समन्वय) मुख्यालय, जयपुर

संयुक्त निदेशक
पेंशन एवं पेंशनरी कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

(14)

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.5(254)निपेवि/नियम/पार्ट– /एकल पत्रावली 121-60 H दिनांक 19-01-2012

परिपत्र

विषयः– पी.पी.ओ./एफ.पी.पी.ओ. में पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथी अंकित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.12(3) एफडी/रूल्स/2008 दि. 30.06.2009 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5(254)निपेवि/नियम/08/1359–76 एव दि. 07.08.09 द्वारा प्रकिया निर्धारित कर पेंशन विभाग के संबंधित अधिकारियों को, पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि निर्धारित करने एवं संबंधित कोषाधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश में प्रविष्टी करने हेतु अधिकृत किया गया था। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.12(3) एफडी/रूल्स /2008 दि. 29.09.2011 द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन कर पेंशनर द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा समकक्ष संस्था के प्रमाणपत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट/ पेनकार्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने पर उसमें अंकित जन्मतिथि के आधार पर पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि संशोधित/निर्धारित करने का प्रावधान किया गया हैं।

पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि निर्धारित/संशोधित करने की प्रकिया को सुगम बनाने की दृष्टि से उपरोक्त साक्ष्यो के आधार पर संबंधित कोषाधिकारी जिसके माध्यम से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर, पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हैं, को पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथी निर्धारित/संशोधित कर पीपीओ की दोनो प्रतियो में अंकित करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं। जन्मतिथि निर्धारण/संशोधन हेतु पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अपना आवेदन पत्र उपरोक्त चार साक्ष्यों में से किसी एक साक्ष्य (जो दिनांक 12.09.2008 से पूर्व जारी हुआ हो) की प्रमाणित प्रति एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पीपीओ हॉफ के साथ संबंधित बैंक शाखा, जहां से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त की जा रही थी/हैं, पर प्रस्तुत करेगा। संबंधित बैंक शाखा द्वारा मूल आवेदन पेंशनर की पत्रावली के साथ संबंधित कोषाधिकारी को भेजा जावेगा। कोषाधिकारी द्वारा उपरोक्त साक्ष्यों में से प्रस्तुत साक्ष्य की जांच कर पेंशनर की पत्नि/पति की नियमानुसार जन्मतिथि निर्धारित/संशोधित कर पेंशन भुगतान आदेश की दोनो पर्तो में अंकित की जावेगी। कोषाधिकारी द्वारा निर्धारित/संशोधित

जन्मतिथि की संबंधित अभिलेख में प्रविष्टी की जावेगी तथा पेंशन विभाग के संबंधित कार्यालय जहां से अंतिम अधिकृति जारी हुई है, को साक्ष्य की प्रमाणित प्रति के साथ अभिलेख हेतु सूचित किया जावेगा। इस कार्रवाई के पश्चात पेंशन पत्रावली संबंधित बैंक को वापस लौटा दी जावेगी। संबंधित बैंक द्वारा पेंशन भुगतान आदेश की पेंशनर की प्रति आवेदक को वापस लौटायी जायेगी।

उपरोक्त चार साक्ष्यों के अलावा अन्य साक्ष्य के आधार पर जन्म तिथि निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.06.2009 के प्रावधान एवं इस विभाग के परिपत्र कमांक एफ.5(254)निपेवि/नियम/08/1359–76 एच दिनांक 07.08.09 द्वारा निर्धारित प्रकिया यथावत रहेगी।

यह परिपत्र वित्त विभाग की अंतर विभागीय सहमति कमांक वि.शा.स. 131101067 दिनांक 16.12.2011 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

निदेशक

कमांकः– एफ.5(254)निपेवि/नियम/पार्ट– /एकल पत्रावली 121-60 H दिनांक 19-01-2012

प्रतिलिपिः–

राज्य सरकार के आदेश संख्या, एफ.12(3) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 30.06.2009,
राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.12(3) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 29.09.2011 एवं निदेशालय के पत्र कमांक प.5(254) निपेवि/नियम/08/1359–76 एच दिनांक 07.08.2009 की प्रति के साथ निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राज. जयपुर
2. उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग
3. विशेषाधिकारी, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर
4. सहायक उप महा प्रबंधक .....को शाखा स्तर पर निर्देशित करने हेतु
5. जिला कोषाधिकारी.....(समस्त) राज0
6. अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण–विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर एवं बीकानेर।
7. सहायक निदेशक, पीआर..... (समस्त) मुख्यालय राज., जयपुर।

निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

परिपत्र

क्रमांक :– प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/ 05-75 H दिनांक : 02/01/2018

विषयः– दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन बाबत्।

संदर्भः– वित्त (नियम) विभाग, जयपुर के ज्ञापन कमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, दिनांक 05.12.2017 एवं समसंख्यक मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 1511–80–एच दिनांक 08.11.2017 एवं 1991–2065–एच दिनांक 07.12.2017 की निरन्तरता में वित्त (नियम) विभाग ने अपने मेमोरेन्डम कमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा रा.सि.से. (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किये हैं, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

1. वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 में राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन में सातवे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन का लाभ दिनांक 01.10.2017 से दिया गया था, जिसे संशोधित कर मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 द्वारा **पेंशन संशोधन का लाभ 01.01.2016** से दिया गया है।
2. दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2017 के मध्य सेवानिवृत/मृत कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का संशोधन सम्बन्धित विभाग से वेतन निर्धारण के पश्चात् प्राप्त होने पर पेंशन विभाग के स्तर से जारी पेंशन परिलाभों की संशोधित अधिकृति के आधार पर किया जायेगा। बैंक अपने स्तर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान छठे वेतन आयोग के अनुसार किया जा रहा है अर्थात् पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 31.12.2015 को देय मंहगाई राहत 119 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है।
3. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि का पेंशन एरियर देय नहीं किया गया है।
4. दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान 3 किश्तो में 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में अगले वर्ष कमशः दिनांक 01.04.2018, 01.07.2018 एवं 01.10.2018 को किया जायेगा लेकिन किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के मामले में पेंशन एरियर की पूरी राशि का भुगतान नकद में किया जावेगा।
5. न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रूपये 8850/– प्रति माह की गई है एवं दिनांक 01.01.2017 से इसे देय किया गया है तथा 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान तीन किश्तों में बिन्दु संख्या 4 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

अतः आप से अनुरोध है कि इस विभाग के पत्रांक 1511–80–एच दिनांक 08.11.2017 एवं 1991–2065–एच दिनांक 07.12.2017 के साथ–साथ वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर समुचित कार्यवाही सम्पादित करें।

संलग्न :– वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एवं मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017

भवदीय,

(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

क्रमांक :– प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/ 05-75-H दिनांक : 02/01/2018

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 13, बडौदा भवन, क्षेत्रीय कार्यालय, पाँचवी मंजिल, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, दुर्गापूरा, जयपुर।
3. सहायक उप महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक, यू.को.बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड़, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी, सब्जी मण्डी, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, एलआईसी बिल्डिंग, जीवन निधि भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड़ जयपुर।
7. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक 2, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
9. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, बी–4 सेक्टर-2, जवाहर नगर, जयपुर (व्हाइट हाउस के पास)
10. मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 6 वां तल, फॉर्च्यून हाइट्स, सी–94, मुख्य सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी–स्कीम जयपुर।
11. उपमहाप्रबंधक (बैंकिग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस–I) एसबीआई, नेहरू पैलेस टोंक रोड़ जयपुर।
12. सहायक महाप्रबंधक, (CPPC), SBI, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता जयपुर।
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारी, ...(राजस्थान).....
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राज. जयपुर को उनके ज्ञापन एफ (12) एफ. डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 05.12.2017, 09-12-2017 के कम में
16. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियो/उप कोषाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
17. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षे. का. .....(राज.)
18. उप निदेशक/एसीपी अनुभाग, कार्यालय हाजा, को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु !
19. संयुक्त /सहा./उपनिदेशक, समस्त अनुभाग.....कार्यालय हाजा।
20. निजी सचिव/निजी सहायक कार्यालय हाजा।
21. विशेषाधिकारी, कार्यालय हाजा।

संलग्न :– वित्त (नियम) विभाग का मेमोरेन्डम एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017

निदेशक

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

MEMORANDUM

No. F. 12(6) FD/Rules/2017 Jaipur, dated: 09.12.2017

Subject:- Revision of Pension of pre-01.01.2016 State Pensioners/ Family Pensioners.

The Governor is pleased to order that the following amendments shall be made in FD Memorandum No. F.12 (6) FD/ Rules/ 2017 dated 30th October, 2017 and as amended by FD Memorandum even number dated 05.12.2017 :-

(i) The existing figures "01.10.2017" shall be substituted by figures "01.01.2016"

(ii) The existing figures "30.09.2017" shall be substituted by figures "31.12.2015"

(iii) The following new para 15 and 16 shall be inserted:-

"**15. Non-accrual of Arrears.**- Notwithstanding anything contained in these rules, no arrear of Pension and Dearness Relief thereon, shall accrue to a pensioner/family pensioner, between 01.01.2016 to 31.12.2016 (both days inclusive), for the period upto 31.12.2016.

"**16. Payment of Arrear.-** The arrear to the pensioner/family pensioner for the period from 01.01.2017 to 30.09.2017 shall be payable in three instalments in the ratio of 30, 30 and 40. The first, second and third instalment shall be payable on or after 01.04.2018, 01.07.2018 and 01.10.2018 respectively."

Provided that in case of death of pensioner/ family pensioner, as the case may be, the entire amount of arrear shall be paid in cash during the current financial year 2017-18.

By order of the Governor,

Manju Rajpal

(Manju Rajpal)
Secretary to the Government
Finance (Budget)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

NOTIFICATION

No. F. 12(6)FD(Rules)/2017 Jaipur, dated : 09.12.2017

Subject: Amendments in the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely:

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Third Amendment) Rules, 2017.

2. These rules shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2016 excepting where otherwise specifically provided.

3. In the said rules –

   (i) The amendments made vide FD Notification No. F.12(6) FD/Rules/2017 dated 30th October, 2017 with effect from 01.10.2017 shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2016 excepting where otherwise specifically provided.

   (ii) In clause (a) of sub-rule (2) of Rule 54, the existing words and figures "(the highest pay in the Government is Rs. 77,000/- since 01.01.2006)" shall be substituted by the words and figures "(the highest pay in the Government is Rs.2,18,600/- since 01.01.2016)".

   (iii) The existing sub-rule (1) of Rule 55 shall be effective from 01.01.2017 instead of 01.10.2017.

   (iv) the existing clause (i) of Rule 62 shall be substituted by the following, namely: -

   "(i) Family pension shall be admissible @ 30% of emoluments subject to a minimum of Rs.8850/- per month and maximum of 30% of the highest pay in the Government (the highest pay in the Government is Rs. 2,18,600/- since 01.01.2016)".

4. **Non-accrual of arrears:** The State Government has revised the pay scales of Government servants with effect from 01.01.2016 with the conditions that no arrears would accrue for the period from 01.01.2016 to 31.12.2016.

Accordingly, on the same lines in respect of Government servants retired / died while in service during the period from 01.01.2016 to 31.12.2016 no arrear of pension shall accrue upto 31.12.2016. Pension / Family Pension calculated on pre-revised pay shall only be payable upto 31.12.2016 and the pension / family pension on revised notional pay and as per the above mentioned amendments shall be payable with effect from 01.01.2017. The Commutation and Gratuity to these Government servants shall not be admissible on the revised notional pay and the amount of Commutation / Gratuity already paid / payable on the pre-revised pay shall be treated as final.

5. **Payment of Arrear.-** The arrear to the pensioner/family pensioner for the period from 01.01.2017 to 30.09.2017 shall be payable in three instalments in the ratio of 30, 30 and 40. The first, second and third instalment shall be payable on or after 01.04.2018, 01.07.2018 and 01.10.2018 respectively.

Provided that in case of death of pensioner/ family pensioner, as the case may be, the entire amount of arrear shall be paid in cash during the current financial year 2017-18.

By order of the Governor,

(Manju Rajpal)
Secretary to the Government
Finance (Budget)

Copy forwarded to –

1. Secretary to Hon'ble Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. Sr. D.S. to Chief Secretary
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur.
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan
9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers Office.
10. All Treasury Officers.
11. All Sections of the Secretariat.
12. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
13. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
14. Additional Director, Finance Department(Computer Cell)
15. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

09/12/2017

(Mahendra Singh Bhukar)
Joint Secretary to the Government

(Pension - 13 / 2017)

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान

6.	महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु. 1950/-
7.	तकनीकी कर्मचारी	रु. 1650/-

रेडियोग्राफर व एल टी को भी ऐप्रिन की राशि 2250/- का नुगद भुगतान किया जायेगा। (आ.दि. 12.1.16 ले.वि. 3/16 पृष्ठ 35)

चिकित्सा विभाग आ.दि. 12.1.16 ले.वि. 3/16 पृष्ठ 35

(6) विश्राम भवनों में कार्यरत कार्मिकों को वर्दी में रहने के निर्देश आ.दि. 21.9.15 (ले.वि. 11/15 पृष्ठ 1)

7. एक वित्तीय वर्ष में 6 माह की परीविक्षा अवधि पूर्ण होने, वर्दी अनिवार्य होने अथवा निलम्बन नहीं होने पर ही, वर्दी भत्ते के उपमद से ही वर्दी भत्ता देय होगा। (आ.दि. जीएडी 22.6.18 ले.वि. 9/18 पृष्ठ 27)

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996

1. प्रभावी : ये नियम 1.10.96 से प्रभावी होंगे।(नियम1)

1A. जनवरी 04 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर पेंशन नियम लागू नहीं होंगे। F15(7)FD/Rules/97(Penstion)-1/04 Dt. : 14.01.04

2. पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि :- कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने, मृत्यु होने, सेवाच्युत होने या त्यागपत्र देने के समय प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन या परिवार पेंशन देय होगी। अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होने पर सेवा निवृत्ति का दिन अन्तिम कार्य दिवस माना जावेगा, मृत्यु के दिन को भी कार्य दिवस में माना जावेगा। किन्तु स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति एवं अनिवार्य सेवा निवृत्ति में सेवा निवृत्ति का दिन अकार्य दिवस (Non working day) माना जावेगा। (नियम 4)

3. सदाचरण पेंशन हेतु आवश्यक :- प्रत्येक पेंशन स्वीकृति एवं निरन्तरता के लिए भावी सदाचरण एक निहित शर्त है, किसी गम्भीर अपराध या दुराचरण का दोषी होने पर पेंशन रोकी, या वापस ली जा सकती है। (नियम-6)

लघुशास्ती की दण्ड सम्बन्धी प्रकिया का पेंशन स्वीकृति पर प्रभाव नहीं होगा। नियम-6-राज.सरकार निर्णय सं. 6

4. पेंशन योग्य सेवा :- 4.1 योग्यता सेवा का प्रारम्भ :- क्षतिपूर्ति ग्रेच्यूटी को छोड़कर, 18 वर्ष की आयु से पूर्व की सेवा पेंशन हेतु नहीं मानी जावेगी, योग्यता सेवा पद का चार्ज लेने की तिथि से प्रारम्भ होगी। (नियम 12)

4.2 सरकार किसी भी सेवा को योग्यता सेवा घोषित कर सकती है। (नियम 14)

4.3 अप्रेन्टीस सेवा पेंशन हेतु नहीं गिनी जावें (नियम15)

4.4 प्रोबेशनर के रूप में या आन प्रोबेशन सेवा योग्यता सेवा में गिनी जावेगी। (नियम 16)

वर्कचार्ज से नियमित हुए कर्मचारियों की मस्टरोल की सेवा भी पेंशन हेतु मान्य होगी।

No.F.1(12)FD/Rules/962/89 Dated : 6.3.97

4.5 अवकाश पर बिताया गया समय :- सभी प्रकार के अवकाश जिनमें अवकाश वेतन का भुगतान किया गया है पेंशन हेतु मान्य होगी किन्तु असाधारण अवकाश जो निम्नलिखित कारणों से ली गई हो, को ही योग्यता सेवा में शामिल किया जावेगा।

(1) अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर (2) उच्चतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन (3) प्राकृतिक आपदा एवं नागरिक अशान्ति के कारण कार्य ग्रहण/पुर्नग्रहण न करना। इससे भिन्न कारणों से लिया गया असाधारण अवकाश पेंशन योग्य सेवा में नहीं गिना जावेगा। (नियम 20)

सेवा में 2 वर्ष से अधिक का व्यवधान नियमित नहीं होगा।

F6-15(7)FD/Rules/97/4/02/ Pension Dated : 28.10.02

4.6 निलम्बन अवधि :-निलम्बन अवधि योग्यता सेवा में मान्य होगी। यदि सजा के आदेशों में अनुशासनिक अधिकारी ने इस सम्बन्ध में निलम्बन अवधि को अयोग्य माना है तो उक्त अवधि पेंशन योग्य मान्य नहीं होगी। (नियम 22)

4.7 कर्मचारी की सेवा समाप्ति या पदच्युति से पूर्व की सेवा को जब्त करने पर इन मामलों में पेंशन देय नहीं है। (नियम 23)

5. पेंशन का वर्गीकरण

5.1 अधिवार्षिकी पेंशन (Superannuation) :- राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 (अ) के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर देय है। वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु सुपीरियर सेवाओं एवं च.श्रे.सेवा (स्केल संख्या 1-2) के लिए 60 वर्ष है।

5.2 निवृत्ति पेंशन (Retiring Pension) :- जब राज्य कर्मचारी द्वारा पेंशन नियमों के नियम 50(1) के अन्तर्गत 15 वर्ष की योग्यता सेवा करने पर स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति ली जाती है तथा पेंशन नियम 53(1) के अनुसार 15 वर्ष की योग्यता सेवा या 50 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) पूर्ण करने पर अनिवार्य सेवा निवृत्त किया जाता है तो उसे निवृत्ति पेंशन प्राप्त होगी। आ.दि. 1.12.99 से

5.3 अशक्तता पेंशन(Invalid Pension):- राजस्थान पेंशन नियमों के नियम 35 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी के शारीरिक रूप से अशक्त हो जाने या मानसिक रूप से विकृति के कारण सार्वजनिक सेवाओं के लिए स्थायी रूप से अशक्त हो जाने पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा निवृत्ति की परिस्थितियों में यह पेंशन देय है।

5.4 क्षतिपूर्ति पेंशन :-पेंशन नियमों के नियम 38 के अनुसार किसी स्थायी पद की समाप्ति पर किसी राज्य कर्मचारी को पद मुक्त किये जाने पर यह पेंशन देय होती है।

5.5 अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन :- पेंशन नियमों के नियम 42 के अन्तर्गत दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्ति किये जाने पर यह पेंशन देय होती है। यह सामान्यतया 2/3 पेंशन से कम नहीं होती है और राजस्थान पेंशन नियमों के नियम 38 के अनुसार क्षतिपूर्ति पेंशन से अधिक नहीं हो सकती । ऐसे पेन्शनर्स को स्वीकार्य न्यूनतम पेंशन से कम देय नहीं है। (नियम 42)

5.6 क्षतिपूरक भत्ता (Compensation

होगा। F12(3) FD/Rules/2008(Pension 03/2011) Dt 15.4.11

(7) छठे वेतनमान के अनुसार 1.9.06 से पेन्शन का रिवीजन निम्न प्रकार किया है।

(i) 1.9..06 को मूल पेन्शन

(ii) 50 प्रतिशत डीपी

(iii) 24 प्रतिशत डीए (मूल पेंशन+50 प्रतिशत डीपी पर)

(iv) फिटमेन्ट 40 प्रतिशत मूल पेंशन पर

योग (i to iv) अर्थात् मूल पेंशन/फैमेली पेंशन का 2.26 गुणा करने के बराबर संशोधित पेंशन होगी।

1.1.07 से 31.8.08 तक ऐरियर 2 किश्तों में देय होगा। 50 प्रतिशत वर्ष 2008-09 में तथा शेष 50 प्रतिशत 2009-10 में देय होगा। आ.दि. एफ 12(3)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 12.9.08

(8) छठे वेतनमान पे वेतन स्थिरीकरण नहीं होने की दशा में पेंशनर्स को 24 प्रतिशत महंगाई राहत जोड़कर, पेंशन समेकित की जायेगी आ.दि. 27.8.13 (ले.वि. मई 2014 पृष्ठ 1)

(9) अर्द्ध वार्षिकी की गणना :- 3 माह या इससे अधिक की सेवा अवधि को एक पूर्ण छमाही मानी जावेगी । नियम 54 (3)

पैसे का रुपये में परिवर्तन :- यदि उपादान की गणना करते समय 50 पैसे से कम की राशि होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। 50 पैसे या इससे अधिक राशि 1रु. में परिवर्तित कर दी जावेगी। लेकिन पेंशन की गणना पर पैसों की राशि एक रुपये में परिवर्तित की जावेगी चाहे पैसे की कोई भी राशि हो। नियम 54(4)

6.3 पेंशन का फार्मूला पेंशन

$$\frac{\text{अन्तिम वेतन}}{2} \times \frac{\text{*पूर्ण की गई 6 माह की संख्या}}{56} = \text{रु. प्रतिमाह}$$

* अधिकतम 56 छमाही होगी

6.4 प्रोविजनल पेंशन = सभी प्रकरणों में प्रोविजनल पेंशन पेंशन की राशि के समान ही होगी। नियम 86 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष सामान्य प्रकरणों में प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत कर सकेंगे एवं जिन प्रकरणों में विभागीय जांच/न्यायिक जांच विचाराधीन है, उनमें पेंशन नियम 90 के अंतर्गत नियुक्ति अधिकारी प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत कर सकेंगे। प्रोविजनल पेंशन का भुगतान निदेशक पेंशन के द्वारा पी.पी.ओ. के आधार पर किया जायेगा।

7. उपादान

7.1 एक राज्य कर्मचारी जो 5 वर्ष की योग्यता सेवा पूर्ण करता और नियम 54 के अनुसार सर्विस ग्रेच्यूटी या पेंशन प्राप्त करने के योग्य होता है, उसको सेवा निवृत्ति पर प्रत्येक 6 माही के लिए परिलब्धियों के 1/4 के समान सेवा निवृत्ति उपादान मिलेगा जो कि 16 ½ माह की परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा। नियम 55(1)(अ)

***7.2 सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान**

योग्यता सेवा अवधि	मृत्यु उपादान की दर
1) 1 वर्ष से कम सेवा पर	2 माह का वेतन
2) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	6 माह का वेतन
(3) 5 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	12 माह का वेतन
(4) 11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	20 माह का वेतन
(5) 20 वर्ष से अधिक सेवा पर	प्रत्येक पूर्ण की गई छमाही पर 1/2 माह का वेतन जो कि 33 माह के वेतन से अधिक न हो। (आ.दि. 30.10.17 प्रभावी 1.10.17)

7.3 सेवा निवृत्ति उपादान या मृत्यु सह सेवा उपादान की राशि 2.50 लाख से अधिक नहीं होगी। 1.1.97 से यह 3.50 लाख होगी तथा 1.1.07 से 10.00 लाख व 1.1.17 से अधिकतम 20.00 लाख होगी। आ.दि. 9.12.17 ले.वि. 2/18 पृष्ठ 15 नियम 55(1)(ए)

7.4 रेजिडयरी ग्रेच्यूटी (Residuarh Gratuity) यदि पेंशनर की सेवा निवृत्त होने के 5 वर्ष में मृत्यु हो जाती है तो सेवा निवृत्ति उपादान एवं रूपान्तरित पेंशन की राशि यदि 12 माह की परिलब्धियों से कम है तो अन्तर की राशि रेजिड्यूरी के ग्रेच्यूटी के रूप में स्वीकृत की जावेगी। नियम 55 (2)

7.5 उपादान हेतु परिवार की परिभाषा :- राजस्थान पेंशन नियमों के नियम 56, 58, 59 के अनुसार राज्य कर्मचारी के परिवार में निम्न सम्मिलित हैं :-

(1) मृतक राज्य कर्मचारी की पत्नी, या पत्नियाँ जिसमें कानूनी रूप से अलग हुई पत्नियाँ भी शामिल हैं।

(2) मृतक राज्य कर्मचारी स्त्री होने की दशा में उसका पति जिसमें कानूनी रूप से अलग हुआ पति भी शामिल है।

(3) पुत्र जिसमें सौतेल एवं दत्तक पुत्र भी शामिल हैं।

(4) अविवाहित पुत्रियाँ जिनमें सौतेली एवं दत्तक पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं।

(5) विधवा पुत्रियाँ जिसमें सौतेली एवं दत्तक पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं।

(6) पिता (7) माता जिसमें दत्तक माता-पिता भी शामिल है।

(8) 18 वर्ष से कम आयु के भाई जिसमें सौतेल भाई भी शामिल हैं।

(9) अविवाहित व विधवा बहिन जिनमें सौतेली बहिन भी शामिल है।

(10) विवाहित पुत्रियाँ (11) पूर्व मृतक पुत्र की सन्तान (नियम 55 (4)

7.6 उपादान का भुगतान :-

(1) मृतक कर्मचारी द्वारा मनोनित व्यक्ति को

(2) यदि मनोनयन नहीं किया हो तो उपरोक्तानुसार परिवार की परिभाषा में सम्मिलित क्र.सं. 1 स 4 के सदस्यों को बराबर बाँटी जावेगी

(3) यदि उपरोक्तानुसार परिवार की परिभाषा में क्र.सं. 1 से 4 तक उपलब्ध न होने पर 5 से 11 के सदस्यों में बराबर बाँटी जावेगी। नियम 56 (1) (अ) (इ)

(4) पेंशन के साथ ग्रेच्यूटी भी रोकी जा सकती है।

F4(5) कार्मिक/अ-III/87 दिनांक 15.7.2001

(5) नवीन अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी देय होगी। आ.दि. 6.12.17 ले.वि. 2/17 पृष्ठ 15

8. पारिवारिक पेंशन

The family pension shall be admissible to-

(a) wife, in the case of a male Government servant and husband, in the case of a female Government servant;

(b) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery;

(c) unmarried son till he attains the age of 25 years or on earning a monthly income exceeding Rs 9500/- per month, whichever is earlier ;

(d) unmarried daughter upto the date of her marriage or earning a monthly income exceeding Rs. 9500/- per month, whichever is earlier;

(e) widowed/divorced daughter of any age upto the date of her remarriage or till the date she starts earning a monthly income exceeding Rs 9500/- per month, whichever is earlier;

(f) parents who were wholly dependent upon the Government servant when he/she was alive provided the deceased employee had left behind neither a widow nor a child and the income of parent is not more than Rs. 9500/- per month."

Explanation:- For the purpose of this rule son/daughter shall also include legally adopted son/daughter and posthumous child of a Government servant; * FD Order F 12(3) FD Rules/2010 (Pension 6/18) Dt.: 27.6.18 (लेखाविज्ञ 7/18 पृष्ठ 1) (पेंशन नियम 66)

परिवार पेंशन की राशि

(i) मासिक परिलब्धियों का 30% या न्यूनतम 8850 रु. प्रतिमाह परिवार पेंशन देय होगी। सरकार में उच्चतम वेतन 1.1.17 से 2,18,000 के अधिकतम 30 प्रतिशत अनुज्ञेय होगी। (नियम-62) आ.दि. 30.10.17 प्रभावी 1.1.17

(ii) जब कर्मचारी 7 वर्ष की सेवा के पश्चात् मर जाता है तो अन्तिम रूप से आहरित परिलब्धियों का 50% या (i) के अन्तर्गत स्वीकार्य पेंशन राशि से दुगुनी जो भी कम हो, दर पर परिवारपेंशन स्वीकार्य होगी।

(iii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु की स्थिति में साधारण पारिवारिक पेंशन की दुगनी या अन्तिम वेतन का 50% या सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत की गई पेंशन राशि इनमें से जो भी कम हो, पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(iv) मृतक राज्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 7 वर्ष अथवा 67* वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो बढ़ी पारिवारिक पेंशन देय होगी उसके बाद साधारण दर से पारिवारिक देय होगी।

परिवार पेंशन-सबसे बड़े पुत्र को दी जाएगी। (नियम 7

*आ.दि. 22/9/14 (ले.वि. 10/14 पृष्ठ 5)

पति एवं पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर पे का विनियमन-

(क) नियम 62 (ii) में वर्णित दर पर दो परिवार पे आहरित करने की पात्रता पर दोनों पेंशनों की राशि 1,09,300 तक सीमित होगी।

(ख) नियम 62 (i) में वर्णित दरों पर दोनों परिवार पे भुगतान की जाती है। तो दोनों पेंशनों की राशि 65580/- रुपए सीमित होगी। (नियम 72)

* वित्त विभाग का आदेश दिनांक 30.10.17 (ले 11/2017)

8.2 अनुग्रह अनुदान (Ex-gratia grant) :- परिस्थिति में ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान स्वी होगा। (नियम 75)

पेंशन नियम *75. Ex-gratia grant to the fa ily of a Government servant.- (1) Subject to provision of this chapter except as otherwise p vided, an ex-gratia grant shall be admissible un sub-rule (2) to the family of a government serv who dies while on duty in one of the following cumstances, namely :-

(a) in an accident;

(b) due to injury intentionally inflicted caused in consequence of the due performance his/her official duties;

(c) due to injury intentionally inflicted caused in consequence of his/her official positio

(d) by violence attributable to causes relat to his/her service; or

(e) in connection with special assignme like "Election Duty", "Census work" and/or su other assignments which do not fall within norm duties of the post held by the government servan

(2) The amount of ex-gratia grant to the fam of a government servant who dies in one of t circumstances mentioned in sub-rule (1) shall be under:-

S. No.	Clause / Rule	Amount ex-gratia gra
1.	Under clause (a) to (d) of sub-rule (1)	Rs. 20 Lac
2.	Under clause (e) of sub-rule (1),-	

(i) unfortunate event of death of the official.	Rs. 20 Lac
(ii) If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial elements like, road mines, bomb blasts, armed attacks, etc.	Rs. 30 Lac

*Provided that no extra relief shall be granted from sundry Government sources to families of deceased Government servants."

(ii) the existing sub-rule (6), shall be substituted by the following, namely:-

"(6) Where a Government servant sustains permanent disability, like loss of limb, eye sight etc., in connection with election related duties, the amount of Ex-gratia grant shall be as follows:-

S. No.	Kind of Mishaps	Amount of Ex-Gratia grant
1.	Permanent disability like loss of limb, eye sight etc. in normal conditions while performing election related duties.	Rs 7.50 Lac
2.	Permanent disability like loss of limb, eye sight etc., while performing election related duties, if caused due to any violent act of extremist or unsocial elements like road mines, bomb blasts, arm ed attacks etc.	Rs 15.00 Lac

*Ordr dated 10.7.19 ले.वि. 8/19 पृष्ठ 9 और 35

चुनाव के दौरान होम गाड्स/सिविल डिफेन्स व गैर सरकारी व्यक्तियों को एक्स ग्रेसिया ग्रान्ट

(1) In case of death

S. No.	Circumstances	Amount of Ex-Gratia grant
1.	In the unfortunate event of death of the official while on election duty.	Rs 20.00 Lac
2.	If the death is caused due to any violent acts of extremist or unsocial elements like, road mines, bomb blasts, armed attacks, etc. of the official while on election duty.	Rs 30.00 Lac

(2) In case of permanent disability:-

FD (Pension 2/2017 Dt. 15.3.17 L.V. 4/17 page 5

S. No.	Kind of Mishaps	Amount of Ex-Gratia grant
1.	Permanent disability like loss of limb, eye sight etc. in normal conditions while performing election related duties.	Rs 7.50 Lac
2.	Permanent disability like loss of limb, eye sight etc., while performing election related duties, if caused due to any violent act of extremist or unsocial elements like road mines, bomb blasts, armed attacks etc.	Rs 15.00 Lac

Note: (i) This order shall com e into effect from 10.03.2019.

(ii) The guidelines, circumstances and other conditions for admissibility of exgratia shall remain unchanged.

*Ordr dated 10.7.19 ले.वि. 8/19 पृष्ठ 9 और 35

8.3 पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी अन्य आदेश :-

1. पेंशनर के एक साल लापता रहने पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हो सकेगी। (अ) आवेदन पत्र के साथ

(1) इन्डीमिनिटी बॉंड एवं शपथ पत्र

(2) एफ.आई.आर. की प्रति (निमय 61 के नीचे परन्तुक के अनुसार)

2. कर्मचारी के एक वर्ष तक लापता रहने पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी। (नियम 61 का नोट)

9. परावर्तन (Commutation of Pension)

नियम

9.1 पेंशन के परावर्तन से तात्पर्य स्वीकृत पेंशन के 1/3 भाग तक की राशि अनुच्छेद 9.6 में दी गई तालिका के अनुसार गणना पर भुगतान देय होगा।

9.2 पात्रता :- सेवानिवृत्त पेंशनर स्वीकृत पेंशन की एक तिहाई राशि तक परावर्तन करवा कर एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है। जहाँ न्यूनतम पेंशन देय होती है वहाँ वास्तविकता में देय पेंशन की एक तिहाई राशि तक का परावर्तन स्वीकृत किया जा सकता है और यह परावर्तन राशि न्यूनतम पेंशन में से कम कर दी जावेगी। यदि किसी पेंशनर के विरुद्ध विभागीय जाँच या अदालती कार्यवाही चल रही हो तो पेंशन का परावर्तन विभागीय जांच/न्यायिक कार्यवाही पूर्ण होने तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

9.3 बिना चिकित्सा जांच के कार्यवाही :- स्वीकृत पेंशन का 1/3 हिस्सा तक सेवानिवृत्त होने पर एक साल के अन्दर बिना चिकित्सा जांच के परावर्तन करवा सकते हैं। इसके उपरान्त बिना चिकित्सा परीक्षण के परावर्तन सम्भव नहीं है। जहां विभागीय जांच/अदालती कार्यवाही चल रही हो तो वहाँ एक साल की अवधि विभागीय

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
2020/2/19 12:13

जाँच/ अदालती कार्यवाही के अन्तिम आदेश के दिन से गिनी जावेगी।

9.4 चिकित्सा जाँच के उपरान्त परावर्तन :- निम्नलिखित परिस्थितियों में चिकित्सा जांच आवश्यक है-

1. यदि कोई व्यक्ति परावर्तन हेतु सेवानिवृति के एक वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र देता है।

2. अशक्तता पेंशन स्वीकृत कर्मचारियों के लिए।

3. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 172(ए) के अनुसार दण्ड स्वरूप अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए।

9.5 परावर्तन अत्यंकित होना (Absolute):- 1. यदि परावर्तन का प्रार्थना पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अर्हकारी आयु पूर्ण करने से पूर्व प्राप्त किया जाता है तो सेवानिवृत्ति की दिनांक के अगले दिन।

2. सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद एक वर्ष के भीतर जिस तिथि को परावर्तन प्रार्थना पत्र कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है।

3. एक वर्ष के पश्चात् या उन परिस्थितियों में जहाँ परावर्तन हेतु चिकित्सा जाँच किये बिना नहीं हो सके वहाँ चिकित्सा अधिकारी के परावर्तन हेतु अनुमोदन कर प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर की दिनांक को परावर्तन पेंशन का प्रार्थना पत्र अत्यंकित हो जाता है।

9.6 परावर्तन की राशि की गणना :- पेंशन का वह हिस्सा जिसका परावर्तन किये जाने की राशि = पेंशन की परावर्तन राशि ×12× परावर्तन फैक्टर। निम्न तालिका में से आगामी जन्मतिथि पूर्ण होने वाले वर्षों के अनुसार गणना की जाती है अन्य मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई उम्र के आगे आने वाली जन्म वर्ष के अनुसार गणना की जाती है। दिनांक 1.1.07 से परावर्तन फैक्टर तालिका निम्नानुसार है

आगामी जन्म दिन पर आयु	परावर्तन फैक्टर	आगामी जन्मदिन पर आयु	परावर्तन फैक्टर
45	8.996	55	8.627
46	8.971	56	8.572
47	8.943	57	8.512
48	8.913	58	8.446
49	8.881	59	8.371
50	8.846	60	8.287
51	8.808	61	8.194
52	8.768	62	8.093
53	8.724	63	7.982
54	8.678	66	7.862

9.7 परावर्तन राशि की गणना का फार्मूला :- यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की अर्हकारी आयु पर सेवानिवृत्त होता और उसकी स्वीकृत पेंशन राशि 12000/- रु. हो तो 4000/- रु. तक परावर्तन करवा सकता है जिसकी गणना निम्न प्रकार होगी :-

न्यूनतम पेंशन से पेंशन की राशि कम होने पर कम्यूटेशन हेतु न्यूनतम पेंशन 8850 रुपए होगी। आ.दि. 30.10.17 w.e.f. 1.1.17

4000 × 12 × 8.194 = 3,93,312/-रु.

9.8 परावर्तन पर पेंशन राशि में कटौती:- यदि कोई कर्मचारी अर्हकारी आयु पर सेवानिवृत्त होता है और परावर्तन हेतु प्रार्थना पत्र देता है तो परावर्तन राशि सेवानिवृत्ति की तिथि के आगामी दिन से देय होगी और माह की पहली तारीख से ही पेंशन में से परावर्तन कराई गई राशि की कमी होगी। यदि इसका भुगतान पहले माह में नहीं लिया जाता तो उस महीने की पेंशन का अन्तर कोषाधिकारी अपने स्तर से भुगतान कर देंगे। सम्बन्धित कोषाधिकारी अधिकृति जारी होने की तारीख से 3 माह तक ऐसे भुगतान कर सकता है।

9.9 परावर्तन राशि का संशोधन :- जब पेंशन में संशोधन किया जाता है तो परावर्तन राशि भी उसी हिसाब से 1/3 पेंशन तक परावर्तित कर अधिकृत कर दी जाती है किन्तु यदि पेंशनर ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई निश्चित राशि परावर्तन हेतु अंकित की है तो ऐसे मामलें में संशोधन होने पर भी पेंशन परिवर्तन राशि परिवर्तित नहीं की जावेगी।

9.10 परावर्तन राशि का पुर्नस्थापन (restoration) परावर्तन किये जाने के दिन से 14 वर्ष पश्चात् परावर्तित पेंशन पुनः स्थापित हो जाती है और उसका भुगतान आगामी एक तारीख से होगा।, (पेंशन रूपान्तरण नियम -2

कम्पयूटेशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व मिलेगा। F15(4)F15(4)FD/Rules/97 Dt.31/7/01

(9) मंहगाई राहत की वर्तमान दरें :- मंहगाई राहत का जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित की गई हैं -

पांचवें वेतन आयोग पेंशन स्थिरीकरण के बाद पेंशनरों के

मंहगाई राहत			आदेश दि
1.1.97	8%	Pension/Family Pension	21
1.7.97	13%	Pension/Family Pension	21
1.1.98	16%	Pension/Family Pension	16
1.7.98	22%	Pension/Family Pension	17.
1.1.99	32%	Pension/Family Pension	15
1.7.99	37%	Pension/Family Pension	6.7
1.1.2000	38%	Pension/Family Pension	7.7
1.7.2000	41%	Pension/Family Pension	27
1.1.2001	43%	Pension/Family Pension	13.11
1.7.2001	45%	Pension/Family Pension	30.8
1.1.2002	49%	Pension/Family Pension	
1.7.2002	52%	Pension/Family Pension	7.7
1.1.2003	55%	Pension/Family Pension	6.10
1.7.2003	59%	Pension/Family Pension	25.3
1.1.2004	61%	Pension/Family Pension	25.5
1.7.2004	3%	Pension/Family Pension	4.15
1.1.2005	6%	Pension/Family Pension	19.
1.7.2005	10%	Pension/Family Pension	27.0
1.1.2006	13%	Pension/Family Pension	29.0
1.7.2006	18%	Pension/Family Pension	29.
1.12.2006	29%	Pension/Family Pension	01.
1.1.2007	35%	Pension/Family Pension	16.
1.7.2007	41%	Pension/Family Pension	30
1.1.2008	47%	Pension/Family Pension	30
1.7.2008	54%	Pension/Family Pension	30
1.1.2009	64%	Pension/Family Pension	30
1.7.2009	73%	Pension/Family Pension	30

1.1.2010	87%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2010	103%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2011	115%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2011	127%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2012	139%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2012	151%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2013	166%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2013	183%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2014	200%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2014	212%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2015	223%	Pension/Family Pension	24.4.15
1.7.2015	234%	Pension/Family Pension	16.11.15
1.1.2016	245%	Pension/Family Pension	12.1.16
1.7.2016	256%	Pension/Family Pension	13.5.16
1.1.2017	264%	Pension/Family Pension	20.4.17
1.7.2017	268%	Pension/Family Pension	20.4.17
1.1.2018	274%	Pension/Family Pension	04.10.17
1.7.2018	284%	Pension/Family Pension	11.5.18
1.1.2019	295%	Pension/Family Pension	05.10.18
		Pension/Family Pension	27.5.19

पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में पेंशनरों को महंगाई राहत की दरें

1.1.07 से 6% आ.दि. 12.9.08 (छठे वेतनमान में)
1.7.07 से 9% आ.दि. 12.9.08
1.1.08 से 12% आ.दि. 12.9.08
1.7.08 से 16% आ.दि. 12.9.08
1.1.09 से 22% आ.दि. 27.2.09
1.7.09 से 27% आ.दि. 11.9.09
1.1.10 से 35% आ.दि. 20.3.10
1.7.10 से 45% आ.दि. 29.9.10
1.1.11 से 51% आ.दि. 23.3.11
1.7.11 से 58% आ.दि. 15.9.11
1.1.12 से 65% आ.दि. 25.3.12
1.7.12 से 72% आ.दि. 27.9.12
1.1.13 से 80% आ.दि. 19.4.13
1.7.13 से 90% आ.दि. 21.9.13
1.1.14 से 100% आ.दि. 1.3.14(4/14)
1.7.14 से 107% आ.दि. 8.9.14(10/14)
1.1.15 से 113% आ.दि. 13.4.15 (ले.वि. 5/15 पृष्ठ 4)
1.7.15 से 119% आ.दि. 18.9.15 (ले.वि. 10/15 पृष्ठ 1)
1.1.16 से 125% आ.दि. 13.4.16 (ले.वि. 5/16 पृष्ठ 1)
1.7.16 से 132% आ.दि. 17.11.16 (ले.वि. 12/16 पृष्ठ 1)
1.1.17 से 136% आ.दि. 13.4.17 (ले.वि. 5/17 पृष्ठ 1)
1.7.17 से 139% आ.दि. 4.10.17 (ले.वि. 11/17 पृष्ठ 32)
1.1.18 से 145% आ.दि. 11.5.18 (ले.वि. 6/18 पृष्ठ 1)
1.7.18 से 148% आ.दि. 5.10.18 (ले.वि. 11/18 पृष्ठ 7)
1.1.19 से 154% आ.दि. 27.5.19 (ले.वि. 6/19 पृष्ठ 7)

नोटः- (i) 1.7.04 से 30.11.06 तक 11% महंगाई राहत मूल पेशन पर देय होगी (ii) 1.7.04 से पेंशन में 50 महंगाई राहत जोडकर गणना की प्रक्रिया। F13(2) FD/Rules/04 Pension/17/04 Dt 25.9.04

RPS-2017 में महंगाई राहत

1.1.17 से 4% आ.दि. 9.12.17 (ले.वि. 2/18 पृष्ठ 9)
1.7.17 से 5% आ.दि. 9.12.17 (ले.वि. 2/18 पृष्ठ 9)
1.1.18 से 7% आ.दि. 23.3.18 (ले.वि. 4/18 पृष्ठ 4)
1.7.18 से 9% आ.दि. 10.9.18 (ले.वि. 11/18 पृष्ठ 1)
1.1.19 से 12% आ.दि. 22.2.19 (ले.वि. 3/19 पृष्ठ 36)

11. पेंशन सम्बन्धी निर्देश

(1) पेंशन प्रकरणों में वरिष्ठ लेखाकर्मी पूर्ण जाँच के बाद ही प्रमाण पत्र देवे। प.1(17) एफ.डी./जी.एण्ड टी/04 दिनांक 10.5.2004

(2) सेवा निवृत्ति के दिन कर्मचारी को निम्न प्रमाण पत्र देना न भूलें :-

(i) अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र

(ii) अदेयता प्रमाण पत्र

(iii) 'वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील' के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र

(iv) आपके द्वारा किसी भी प्रकार को प्रोविजनल पेंशन एवं उपादान न दिये जाने के प्रमाण पत्र

(v) पेंशन निदेशालय से प्राप्त पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. की प्रतिलिपि।

(3) एक से अधिक पेंशन प्राप्तकर्त्ता को न्यूनतम पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।एफ.15(2)एफडी/नियम 98 दिनांक 20.5.99

(4) अधिवार्षिकी पर तुरन्त तथा अन्य मामलों में 60 दिन में पेंशन लाभों का भुगतान होगा।

प.9(4)वित्त/नियम/2000(पेंशन9/2000)दिनांक 8.8.2000

(5) सेवा निवृत्ति के 60 दिन बाद भुगतान नही होने पर 9 ब्याज देना होगा। आदेश सं. एफ 15(3) एफडी.(नियम) 97 दिनांक 7.6.04

(6) पेंशन पर ब्याज की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग देगा। No. F15(3)FD/Rules/97 Pt. I (5/01) दि. 12.6.01

(7) सेवा निवृति आदेश 1 वर्ष पूर्व जारी किया जावे। शिविरा/मा/संख्या/सी-3ए/ए/से.नि./90-02 दि. 4.4.03

(8) 1.1.04 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर पेंशन नियम लागू नहीं। आ.दि. 14.1.04

(9) पेंशन के कम्यूटेशन के समय ही रेस्टोरेशन की दिनांक अंकित की जायेगी। No F15(4)FD/Rules/97 (Pension 4/05) 2.8.05

(10) पेंशनर के संयुक्त नाम के खाते में पेंशन जमा हो सकेगी। एफ 7(7)FD(R&A/94) Dated 22.9.06

(11) 1996 के पूर्व के पेंशनर्स/फैमेली पेंशनर्स को 1996 की संशोधित वेतन श्रृंखला के न्यूनतम से 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत से कम है तो पेंशन में 1.4.08 से संशोधित होगी।

एफ 15(1)एफडी/रूल्स/99 (पेंशन 3/08) दिनांक 22.5.08

(12) सार्वजनिक उपक्रमों में समायोजित होने वाले कार्मिकों को भी परिवार पेंशन का लाभ देय होगा।

F15(4)FD/Rules/97 (Pension 8/10) Dt. 16.8.10

(13) 1.9.06 से पूर्व राजकीय उपक्रम व अन्य संस्थाओं से समायोजित कार्मिकों को एक तिहाई पेंशन रिवीजन सम्बन्धी निर्देश।

F12(3)FD/Rules/08 (Pension 1/12) Dt. 31.1.11

(14) 1.9.06 से 31.5.09 तक विशेष भत्ता प्राप्त कार्मिकों की पेंशन संशोधित करने के निर्देश आ.दि. 11.5.12 (लेखाविज्ञ जून, 12 पृष्ठ 7)

(15) 1 जनवरी 2006 से 30 जून, 2013 के मध्य सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी पेंशन संशोधित होगी नगद लाभ जुलाई 2013 से देय आ.दि. 6.4.13 (ले.वि. मई 2013 पृष्ठ 9)

(16) न्यूतनम पेंशन 3025 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 3450 रु. की गई प्रभावी 1.7.13 से आ.दि. 28.6.13 (ले.वि. जुलाई 2013 पृष्ठ 1)

(17) 1 जनवरी, 2006 से 30.6.13 के मध्य सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संशोधन संबंधी निर्देश आ.दि. 14.6.13 (ले.वि. 8/13 पृष्ठ 12)

(18) न्यूनतम पेंशन 3450 का निर्धारण करने हेतु कोषाधिकारी अधिकृत आ.दि. 16.9.13 (ले.वि. 12/13 पृष्ठ 1)

(19) भारत सरकार के उपक्रमों में समायोजित कार्मिकों को जुलाई 13 से न्यूनतम पेंशन का लाभ देय आ.दि. 8.5.14 (ले.वि. जून, 14 पृष्ठ 8)

(20) लेक्चरर (स्लेक्शन स्केल) को 1.4.08 न्यूनतम पेंशन 23600/- रु. देने के निर्देश आ.दि. 6.5.14 (ले.वि. जून, 14 पृष्ठ 14)

(21) सैनिक सेवा के साथ राज्य सरकार में की गईसेवा को भी फैमेली पेंशन देय होगी। आ.दि. 18.3.15 (ले.वि. 4/15 पृष्ठ 1)

(22) 1.1.1004 के बाद नियुक्त कार्मिकों की मृत्यु विकलांगता होने पर अतिरिक्त सहायता राशि देने के निर्देश आ.दि. 29.5.15 (ले.वि. 7/15 पृष्ठ 7)

(23) पेंशनरों द्वारा डिजीटल लाईव सर्टिफिकेट भिजवाने हेतु पेंशन नियमों में संशोधन आ.दि. 2.7.15 (ले.वि. 8/15 पृष्ठ 1)

(24) पेंशन प्रकरणों की वरिष्ठ लेखाकर्मियों द्वारा जांच के लिए मार्गदर्शक बिन्दू आ.दि. 14.8.15 (ले.वि. 9/15 पृष्ठ 5)

(25) सार्वजनिक बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान में विलम्ब करने पर 8 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देने का प्रावधान आ.दि. 31.8.15 (ले.वि. 10/15 पृष्ठ 13)

(26) पेंशनर की विधवा/विदुर की जन्मतिथि के निर्धारण करने हेतु निर्देश। (आ.दि. 18.12.15 ले.वि. 3/16 पृष्ठ 18)

(27) पेंशनर की मृत्यु के बाद बैंक द्वारा ही पारिवारिक पेंशन भुगतान के निर्देश (आ.दि. 30.6.16 ले.वि. 8/16 पृष्ठ 2)

(28) सेवानिवृत्ति परिलाभों को 60 दिवस से अधिक विलम्ब से भुगतन करने पर 9 प्रतिशत ब्याजें देय होगा। (आ.दि. 29.7.16 ले.वि. 8/16 पृष्ठ 20)

(29) सभी बैंकों को पेंशनरों के 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन स्थिरीकरण कर भुगतान के निर्देश आ.दि. 5.12.17 ले.वि. 2/18 पृष्ठ 16एवं आ.दि. 24.1.18 ले.वि. 2/18पृष्ठ 1

(30) न्यूतनम पेंशन के अनुसार 1.1.2017 से कम्प्यूटेशन आ.दि. 9.12.17 ले.वि. 2/18पृष्ठ 3

(31) 1.1.2016 से पूर्व पेंशन आहरित करने वाले पेंशनरों को पेंशन रीविजन के आदेश (आ.दि. 6.6.18 ले.वि. 7/18 पृष्ठ 7)

(32) जनवरी 2016 से पूर्व के पेंशनरों क पेंशन संशोधन की प्रक्रिया (आ.दि. 18.7.18 ले.वि. 7/18 पृष्ठ 7)

(33) 1 जनवरी, 2016 से पेंशन रिवीजन करने हेतु संशोधित वेतन स्थिरीकरण टेबिल जारी वित्त (नियम) आ.दि. 5.10.18 ले.वि. 11/18पृष्ठ 7

(34) पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश आ.दि. 31.5.19ले.वि. 7/19पृष्ठ 7

(35) प्री-2016 के पेंशन रिवीजन हेतु सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम को अधिकृत (आ.दि. 5.2.19 ले.वि. 4/19 पृष्ठ 1)

(36) प्री-2016 के पेंशन रिवीजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.9.19 निर्धारित आ.दि. 1.7.19 ले.वि. 9/19 पृष्ठ 6

नई अंशदायी पेंशन योजना के संक्षिप्त नियम

एफ 13(1) एफडी/रूल्स/03 (पेंशन 5/05) दिनांक 2.8.05

1. ये नियम 1.1.04 से प्रवृत माने जायेंगे।

2. प्रभावी : दिनांक 1.1.04 के उपरान्त राज्य सेवा मे नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे।

3. प्रभावी नही

(ए) दैनिक,आकस्मिक एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों पर लागू नही

(बी) आकस्मिक व्यय से भुगतान वाले कर्मचारी।

(सी) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर।

(डी) अनुबन्ध पर नियोजित कार्मिकों पर।

(ई) ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति किसी सेवा शर्तो के अधीन हुई हो, जो सविधान द्वारा निर्मित कानूनो के अनुसार हो।

4. अनिवार्य पेंशन अंशदान :

(i) कार्मिको के वेतन से 10 की कटौती-वेतन+पे ग्रेड तथा महंगाई भत्ता सम्मिलित किया जायेगा। इतना ही अंशदान सरकार द्वारा जमा कराया जावेगा।

(ii) बिना निकासी के पेंशन खाते मे जमा होगा जो कोषालय ब्याज सहित निजी निक्षेप खाते मे जमा होगा।

5. योजना से निकासी : अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त होने निकासी होगी। वर्तमान मे 60 वर्ष की आयु है। इस तिथि से 40 रु IRDA द्वारा संचालित जीवन-बीमा निगम की वार्षिकी मे निवेश किया जावेगा जिसमे पेंशन देय होगी।

6.नोमीनी : प्रपत्र -I मे नोमीनेशन भरा जावेगा जिसमे स्वयं नाम, पता, पद, प्रथम नियुक्ति तिथि, नोमीनी का नाम आयु सम्बन्ध भरा जावेगा। कार्यालयाध्यक्ष समस्त नवीन नियुक्त कर्मचारियो से उक्त

सूचना प्राप्त कर प्रपत्र-II मे सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रस्तुत करेगें।

7. स्थाई सेवानिवृत्ति खात संख्या (PRAN) का आवंटन : इस योजना के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी एन-3 फार्म को पूर्ण कर केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंन्सी (CRA) के साथ पंजीकृत होगा। इस एजेन्सी के द्वारा ही नवीन अंशदायी पेंशन योजना की कटौतियों का संधारण किया जा रहा है। आहरण वितरण अधिकारी नियुक्ति के 2 वर्ष पश्चात् कार्मिक की प्रथम कटौती के साथ प्रपत्र एस-1 दो प्रतियों में पूर्ण कराकर राज्य कर्मचारियों हेतु बीमा विभाग तथा अन्य कर्मचारियों के लिये संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारी स्वयं (NSDL) को भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग अधिकृत है। सीआरए द्वारा कर्मचारियों को स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) का आवंटन किया जायेगा। (प. 4(12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट II दिनांक 30.9.2011)

8. अंशदान जमा की प्रक्रिया-(i) प्रत्येक कोष कार्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान के लिये एक पीडी खाता खोला जावे जिससे राशि आहरण के अधिकार संबंधित कोषाधिकारी के होंगे। कोषाधिकारी पीडी खाते से राशि आहरित कर दो चैक बीमा विभाग के जिलाधिकारी को भिजवायेंगे। प्रथम चैक राज्य कर्मचारी/जिला परिषद एवं पंचायत समिति के कर्मचारियों की कटौती राशि का होगा तथा द्वितीय चैक जिले में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के एनपीएस खाता धारकों के अंशदान राशि का होगा यह चैक उपनिदेशक एनपीएस जयपुर के नाम से SBBJ कलक्ट्रेट जयपुर में खोले गए खाता सं. 61130313884 में सबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जमा कराया जाएगा। (प4(8) बिल/राजस्व/05पार्ट दि. 12.10.2011)

(ii) मार्च देय अप्रेल, 2012 के वेतन से राजकीय सह अंशदान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पृथक से बिल नहीं बनाया जायेगा। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिये राजकीय अंशदान एक मुश्त आहरित किये जाने के लिये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को अधिकृत किया गया है। (प. 4(12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट II दिनांक 15.3.2012)

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का एनपीएस में निजी अंशदान निम्न बजट मद में जमा किया जायेगा-8342 अन्य जमा 117-सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित पेंशन योजना (01)-अखिल भारतीय सेवा के लिये अनिवार्य टीयर-1

(iv) स्वयत्तशाषी संस्थाओं में पदस्थापित होने पर नियोक्त का अंशदान संबंधित संस्थाओं द्वारा ही देय होगा। आ.दि. 26.2.2012

(v) समस्त राजकीय उपक्रम स्वायत्तशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों जिनके कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है। वे नियमित अंशदान की राशि प्रतिमाह ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इण्डिया) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आ.दि. 29.5.2012

9. नवीन पेंशन योजना में नियुक्त कार्मिकों की मृत्यु/अशक्तता होने पर प्रोवीजनल/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी आ.दि. 9.6.15 (ले.वि. 7/15 पृष्ठ 10)

10. अखिल भारतीयसेवा के अधिकारियों का नियोक्ता का पेंशन अंशदान 14 प्रतिशत होगा। आ.दि. 30.8.19 ले.वि. 10/19 पृष्ठ 13

पेंशनरों की पुर्ननियुक्ति पर वेतन निर्धारण व अन्य परिलाभों की देयता

F. 12 (6)FD/Rules/2009(Pension 07/2014)
dated : 22.9.14

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2014.

2. These rules shall come into force with immediate effect.

3. In the aforesaid rules -

(i) Below existing Rule 151, the following 'Government of Rajasthan's Decision' shall be inserted, namely :-

"Government of Rajasthan's Decision

In the following cases re-employment shall be made after prior approval of Department of Personnel and Finance Department.-

1. Re-employment of retired officers and employees in regulatory Commission/Administrative and other Tribunals etc.

2. Re-employment of retired officers and employees as senior personal staff of the Ministers coterminus to the tenure of Ministers.

3. Re-employment of ex-servicemen as Secretary, District Soldiers Board or other who held post not below the rank of Commissioned officers in the Defence Forces.

4. Re-employment of retired Judge, as Judge District, Consumer Forum or in other semi judicial /judicial forums.

5. Re-employment of retired officers in the Enquiry Commission coterminus with the period of Commission.

6. Re-employment of retired persons as Chairman and Member of the Commission constituted under Law.

7. Re-employment of retired officers with exceptional abilities and skills needed for specific assignments.

8. Employment of retired persons of more than 65 years of age in exceptional cases.

(ii) The existing clause (b) of Rule 152 shall be substituted by the following :-

(b) Pay on re-employment of a pensioner shall be fixed on the basis of pay last drawn (sum of pay in running pay band and grade pay) by him at the time of retirement minus the pension.

(ii) The existing clause (d) of Rule 152 shall be deleted.

(iv) The existing Rule 153 shall be deleted.

(v) The existing Rule 155 shall be deleted.

(vi) The existing Rule 156 shall be substituted by the following, namely :-

156 (1) The drawal of DA, other allowances and facilities, if allowed shall be admissible on the net pay fixed under Rule 152 on re-employment under Rule 151.

(2) Following allowances and facilities in appropriate cases shall be allowed to persons re-employed under Rule 151 after specific approval of Finance Department on case to case basis :-

1. House Rent Allowance

2. Telephone Facility - 50% of facility allowed to officers of equivalent rank

3. Transport Facility

4. Medical Facility - only in cases where Medical facility to retired employee is not available under Rajasthan Pensioners Medical Scheme /under CGHS.

Government of Rajasthan's Decision

Following allowance and facility shalt not be admissible during the period of reemployment:-

1. City Compensatory Allowance

2. Facility of News paper and Magazine"

(vii) The existing Rule 158 shall be substituted by the following, namely .-

"Rule 158 - Leave and leave salary

in the case of persons re-employed after retirement, the provisions contained in the Rajasthan Service Rules regarding leave and leave salary shall apply except the following:-

1. Encashment of balance of PL during the period of re-employment

2. Encashment of balance of PL on expiry of re-employment

3. Medical Leave"

अन्य परिपत्र

1. पुनः नियुक्ति पर मकान किराया भत्ता देय नहीं आ.दि. 22.9.14 ले.वि. 10/14 पृष्ठ 5

2. पुनः नियुक्ति पद क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं आ.दि. 22.9.14 ले.वि. 10/14 पृष्ठ 5

3. पुनः नियुक्ति व संविदा नियुक्ति पर अवकाश का प्रावधान समाप्त आ.दि. 22.9.14 ले.वि. 10/14 पृष्ठ 5

4. सेवानिवृत्ति के पश्चात पुर्ननियुति हेतु केबिनेट के स्थान पर कार्मिक तथा वित्त एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का अनुमोदन आवश्यक होगा कार्मिक विभाग का आ.दि. 31.3.15 (ले.वि. 5/15 पृष्ठ 19)

5. पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति होने पर भी पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी। आ.दि. 27.6.18 ले.वि. 7/18 पृष्ठ 1

6. पे-माइन्स पेंशन पर पुर्ननियुक्त कार्मिकों को अन्य पद का कार्य नहीं दिया जावे। कार्मिक विभाग का आ.दि. 10.1.19 ले.वि. 2/2019 पृष्ठ 15

वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन योजनाओं के नये दिशा-निर्देश

वृद्धावस्था

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रु. प्रतिमाह
   75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रु. प्रतिमाह

विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन

1. 18 वर्ष या अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को 500 रु. प्रतिमाह
2. 60 वर्ष या अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम की विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को 1000 प्रतिमाह
3. 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशनर को 1500 रु. प्रतिमाह

आ.दि. एफ 9(5)(12-1) सासुचे, नियम/सा.न्या.अ.वि./2013-14/13476 दि. 20.1.19 ले.वि. 2/19 पृष्ठ 35

विशेष योग्यजन पेंशन

1. अन्य विकलांगता 750 प्रतिमाह
2. कुष्ठ रोग युक्त विशेषयोग्यजन (40% विकलांग होनी चाहिए) 1500 प्रतिमाह

आ.दि. एफ 9(5)(12-1) सासुचे, नियम/2013-14/1057

26.4.18 (ले.वि. जुलाई 2018 पृष्ठ 29)

विशेष योग्यजन पेंशन हेतु पात्रता

1. 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता।
2. राजस्थान का मूल निवासी।
3. समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 60000 तक हो।
4. केन्द्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल/अन्त्योदय परिवार/आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य हो।
5. प्राकृतिक रूप से बौनापन (वयस्क व्यक्ति के मामले में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम) हो।
6. पति/पत्नी या पुत्र राजकीय सेवा में नहीं हों

वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता

1. 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष।
2. राजस्थान का मूल निवासी हो।
3. सभी स्रोतों से आय 48000/- वार्षिक से अधिक न हो।
4. पति/पत्नी या पुत्र राजकीय सेवा में नहीं हो।
5. केन्द्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल/अन्त्योदय परिवार/ आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य हो।

विधवा परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला को पेंशन हेतु पात्रता

1. 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवार/परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो।
2. केन्द्रीय बीपीएल/ राज्य बीपीएल/ अन्त्योदय परिवार/आस्था कार्डधारी परिवार की सदस्य हो।
3. एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो।
4. जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो एवं समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु. 48000 से अधिक ना हो।
5. ग्रामीण क्षेत्र में परित्यक्ता हेतु ग्राम सचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी परित्यक्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. शहरी क्षेत्र की परित्यक्ता हेतु स्थानीय नगर निकाय के अधिशापी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके प्रतिनिधि (जोन आयुक्त) एवं वार्ड पार्षद तथा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना हेतु पात्रता

1. प्रार्थी जिले का निवासी हो
2. बेसहारा एवं अत्यन्त दयनीय स्थिति में रहने वाली महिला व पुरुष जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो।
3. परित्यक्ता माता-पिता
4. सन्तानहीन, पूर्णत: निराश्रित, दीनहीन

देय लाभ

8 वर्ष तक आयु के लिए- 250/-
8 वर्ष से 18 वर्ष के लिए- 500/-
18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के लिए-750/-

अन्य देय लाभ

- योजनान्तर्गत ऐसे महिला एवं पुरुषों को अधिकतम एक बार रु. 2000 तक की आर्थिक सहायता
- जो व्यक्ति पेंशन योजनान्तर्गत कवर नहीं होते हैं उन व्यक्तियों (वृद्ध महिला एवं पुरुष) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अनुदानित डे-केयर सेन्टर/वृद्धाश्रमों में प्रवेश की सुविधा।
- ऐसे निराश्रित व्यक्ति यदि वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन नियमों के अन्तर्गत पा9ता रखते हैं तो. उन्हें संबंधित योजना में पेंशन की स्वीकृति चिन्हित करने के एक माह के अन्दर जारी की जावेगी।

जांच अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार जांच अधिकारी होंगे।
- शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी जाँच अधिकारी होंगे।

स्वीकृति कर्ता अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी।
- शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (बेरोजगारी भत्ता)

पुरुष/ प्रार्थी *3000 रु. प्रतिमाह

महिला एवं विशेष योग्यजन (नि:शक्तजन) *3500 रु. प्रतिमाह

पात्रता (1) राजस्थान का मूल निवासी

(2) स्नातक होना चाहिए

(3) सेवारत/स्वरोजगार नहीं होना चाहिए

(4) आयु सीमा 30 वर्ष एससी/एसटी/विकलांग महिला 35 वर्ष

(5) 2 वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु (* आ.दि. 3.2.19 ले.वि. 3/19 पृष्ठ36 एवं 11.8.19 ले.वि. 7/19 पृष्ठ 27)

स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन तथा चिकित्सा सहायता

	20.2.19 से
सम्मान पेंशन	25000 प्रतिमाह
चिकित्सा सहायता	5000 प्रतिमाह

आ.दि. प. 4(4) सा.प्र./6/08 दि. 20.2.19 (ले.वि. 4/19 पृष्ठ 1)

(1) स्वतंत्रता सेनानी व उनकी विधवाओं के साथ एक संरक्षक को निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा आ.दि. 8.1.14 (ले.वि. फरवरी 14 पृष्ठ 28)

(2) गलेण्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्तियों को निगम की सभी श्रेणियों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा आ.दि. 8.1.14 ले.वि. फरवरी 14 पृष्ठ 28

लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019

75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर-	750 रुपए प्रतिमाह
75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर	1000/- रुपए प्रतिमाह

आ.दि. एफ 9(05)(12-/सासुपे/नियम सा.न्या.अवि/2014-15/14385 दि. 23.2.19ले.वि. 3/19पृष्ठ 13)

मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता स्वीकृत करने के नियम व निर्देश

गम्भीर रोगों के उपचार हेतु सहायता

राजस्थान राज्य के नॉन बीपीएल रोगियों जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख (दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी) तक है,को प्रमुख सरकारी एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयें में हृदय रोग, गुर्दा रोग/प्रत्यारोपण,कैंसर, इत्यादि गम्भीर रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से सहायता स्वीकृत की जाती है। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है:-

- रोगी अथवा मुखिया का सहायता स्वीकृति हेतु साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र। प्रपत्र-1
- सरकारी/मान्यता प्राप्त चिकत्सालय से सम्भावित चिकित्सा व्यय पत्र। प्रपत्र-2
- राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परिवार की आय का मूल उद्घोषण पत्र। प्रपत्र-3 या
- तहसीलदार के द्वारा जारी परिवार की वार्षिक आय का मूल अथवा सत्यापित प्रमाण पत्र (उपरोक्त दोनों में से कोई भी एक)
- परिवार की वार्षिक आय की घोषणा का शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित, राशि रु. 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर। प्रपत्र-4
- राशन कार्ड की प्रति।
  (रोगी का नाम राशन कार्ड में अंकित नहीं होने की स्थिति में पृथक से शपथ पत्र संलग्न करें)

उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन पत्र मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्राप्त होने पर निम्न प्रक्रिया अनुसार सवाई मानसिंह चिकित्सालय की दरों के आधार पर सहायता स्वीकृत कर संबंधित चिकित्सालय को भिजवा दी जाती है एवं स्वीकृति की प्रतिरोगी/संबंधित को पृष्ठांकित की जाती है:-

- राज्य के प्रमुख सरकारी/मुख्यमंत्री सहायता कोष से मान्यता प्राप्त चिकत्सालयों में सहायता स्वीकृत की जाती है। प्रपत्र-5
- संभावित चिकित्सा व्यय पत्र का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम सहायता रु. 1.00 लाख (दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी) जो भी दोनों में से कम हो सहायता स्वीकृत कर सम्बन्धित चिकित्सालय को भिजवा दी जाती है।
- हृदय के एक वाल्व परिवर्तन हेतु अधिकतम सहायता राशि रु. 40,000
- हृदय के दो वाल्व परिवर्तन हेतु अधिकतम सहायता राशि रु. 60,000
- गुर्दा रोग/प्रत्यारोपण, हृदय, कैंसर एवं अन्य गभीर रोगों के उपचार हेतु अधिकतम सहायता की सीमा रु. 1.00 लाख है। आवर्तक सहायता देय नहीं है।
- गुर्दा प्रत्यारोहण हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के संभावित चिकित्सा व्यय पत्र का शत-प्रतिशत या अधिकतम सहायता राशि रु. 1.00 लाख जो भी दोनों में से कम हो।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहायता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की दिनांक से सहायता स्वीकृत की जाती है।
- चिकित्सालय में भर्ती रहते हुए यदि सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् भर्ती दिनांक से सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर भर्ती दिनांक से सहायता स्वीकृत की जाती है।
- रोगोपचार पूर्ण होने/ डिस्चार्ज होने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष से रोगोपचार हेतु जारी की जा रही स्वीकृतियों की प्रति संबंधित रोगी के अतिरिक्त संबंधित जिला कलक्टर, तहसीलदार/संबंधित दो गवाहों को पृष्ठांकित की जाती है।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

- रोगी के भर्ती रहते हुए आवेदन करने एवं अल्प अवधि में डिस्चार्ज होने के पश्चात् स्वीकृत की गयी सहायता राशि संबंधित चिकित्सालय द्वारा लौटा दिये जाने की स्थिति में संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से सहायता राशि का भुगतान कराया जाता है।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जा रही समस्त प्रकार की स्वीकृतियों की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर www.cmrelief.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- माननीय मुख्यमत्री जी के आदेशानुसार किसी भी चिकित्सालय में राशि रु. 1.00 लाख से अधिक राशि की सहायता भी स्वीकृत की जा सकती है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपरोक्तानुसार केवल हृदय रोगोपचार हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में स्वीकृत की गयी सहायता राशि के अतिरिक्त नाथद्वारा मंदिर मण्डल ट्रस्ट, सांवलिया जी मंदिर मण्डल ट्रस्ट, राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल कॉर्पोरेशन तथा देवस्थान विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान स्वरूप दी गयी राशि में से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की अनुशंषा के आधार पर अधिकतम रु. 20,000 तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।

सहायता स्वीकृत करने के पश्चात् राशि का उपयोग नहीं होने की स्थिति में पूर्ण राशि एवं उपयोग पश्चात् अवशेष राशि को चिकित्सालय से वापस मंगवा लिया जाता है।

सामान्य सहायता

मुख्यमंत्री सहायता कोष से रोगोपचार एवं दुर्घटना सहायता के अतिरिक्त शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रतिभा के विकास, खेलकूद आयोजन, युवा शक्ति के रचनात्मक कार्य, घृणित/जघन्य अपराध पीड़ितों एवं अन्य विविध प्रयोजनों हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सहायता दी जाती है।

राजस्थान राज्य के बीपीएल/नॉन बीपीएल रोगियों जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख तक है, को मुख्यमंत्री सहायता कोष से कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हेतु शत-प्रतिशत सहायता सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में दी जा रही है।

शहीद सैनिक परिवारों/विकलांग सैनिकों को सहायता

दिनांक 1.04.1999 से कारगिल युद्ध एवं अन्य ऑपरेशनों में शहीद सैनिक के परिजनों/विकलांग सैनिकों को कारगिल पैकेज के अनुसार निम्न प्रकार सहायता स्वीकृत की जा रही है:-

1.	शहीद की पत्नी को तत्काल सहायता	1.00 लाख
2.	25 बीघा जमीन/आवासन मण्डल का मकान नहीं लेने पर शहीद के आश्रित को	4.00 लाख
3.	शहीद के माता-पिता को पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में जमा	1.50 लाख
4.	युद्ध में स्थाई रूप से विकलांग सैनिक को तत्काल सहायता	0.25 लाख
5.	स्थाई रूप से विकलांग सैनिक को 25 बीघा जमीन नहीं लेने के एवज में	4.00 लाख

सैन्य महाविद्यालय, देहरादूर में अध्ययनरत राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री सहायता कोश से सैन्य महाविद्यालय, देहरादूर में अध्ययनरत राज्य के छात्रों को प्रति छात्र रु. 9,300 की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है।

सामान्य भत्ता

मुख्यमंत्री सहायता कोष से कारगिल युद्ध से पूर्व के अन्य युद्धों में शहीद सैनिकों की विधवाओं/अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को रु. 900 की दर से सम्मान भत्ता दिया जाता है।

प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना में मृत्यु एवं घायल होने पर सहायता

मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना में मृत्यु/घायल होने पर तत्काल सहायता देने हेतु जिला कलक्टरों को रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया हुआ है, जिससे सहायता के भुगतान पश्चात् मुख्यमंत्री सहायता कोष से पुनर्भरण किया जाता है। दुर्घटना में मृतक के आश्रित एवं घायल को निम्न प्रकार सहायता स्वीकृत की जाती है:-

- दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को राशि रु. 50,000
- दुर्घटना में गंभीर घायल होने पर राशि रु. 10,000
- दुर्घटना में साधारण घायल होने पर राशि रु. 500 से रु. 2,500 तक।

नोट :- अगर परिवार सक्षम है तो सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है।

हत्या के प्रकरणों में सहायता

सामान्यतः हत्या के प्रकरणों में सहायता नहीं दी जाती है, विशेष प्रकरणों में ही सहायता स्वीकृत की जाती है:-

1. परिवार के कमाऊ सदस्य ही हत्या होने पर।
2. परिवार की वार्षिक आय राशि रु. 24,000 से कम हो।
3. हत्या के मामले में हरिजन अत्याचार के अन्तर्गत परिवार को सहायता मिल रही है तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देय नहीं है।
4. जिला कलक्टर के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि रु. 10,000 तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अपवादस्वरूप किसी भी सीमा तक सहायता स्वीकृत की जा सकती है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष मान्यता प्राप्त चिकत्सालयों की सूची

क्र.सं.	चिकित्सालयों के नाम
1.	बेस चिकित्सालय, दिल्ली
2.	भारत विकास परिषद चिकित्सालय, कोटा
3.	बोम्बे हॉस्पिटल, मुम्बई
4.	चौइथराम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, इन्दौर
5.	क्रिस्चियन मेडिकल कॉलेज, वैल्लोर
6.	एस्कार्टस हार्ट इन्सटिट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली
7.	जी.बी. पंथ चिकित्सालय, नई दिल्ली
8.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो चिकित्सालय, नई दिल्ली

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
2020/2/19 12:14

’पेंशन प्रश्नावली’ पेंशनर कॉर्नर		
क्र सं	प्रश्न	उत्तर
1	पेंशन स्वीकृता अधिकारी कौन होता है ।	कार्मिक जिस विभाग में काम करता है वो विभाग ही पेंशन स्वीकृती कर्त्ता होता है। नियुक्ति अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के पश्चात कार्यालयाध्यक्ष पेंशन प्रपत्र तैयार कर पेंशन विभाग को प्रस्तुत करता है तब पेंशन विभाग भुगतान हेतु अधिकृतियां जारी करता है ।
2	सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की आयु में होती है ।	कार्मिक जब 60 वर्ष का हो जाता है ।
3	पेंशन कुलक कब भरना/भरवाना चाहिए ।	कार्मिक के सेवानिवृत्ति के 8 माह पूर्व, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 1.3.2017 विस्तृत निर्देशों को भी पढ़े ।
4	पेंशन कुलक पेंशन विभाग में कब प्रस्तुत किया जा सकता है ।	सेवानिवृत्ति तिथि से न्यूनतम 6 माह पूर्व ।
5	कार्मिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कब आवेदन करने योग्य हो जाता है ।	कार्मिक जिसने 15 वर्षा की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने पर ।
6	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किसे व कब करें ।	कार्मिक 3 माह पूर्व, नियुक्ति अधिकारी को उचित माध्यम से ।
7	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कितने वर्षो की नोशनल सेवा का लाभ मिलता है ।	1.07.2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर नोशनल सेवा का लाभ देय नहीं है, वास्तविक पेंशन योग्य सेवा के आधार पर पेंशन बनेगी ।
8	सेवानिवृत्ति आदेश कौन और कब जारी करेगा ।	नियुक्ति अधिकारी अपने कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पहले ।
9	कार्मिक एवं कार्यालय को पेंशन प्रकरण तैयार करने से पूर्व क्या ध्यान करे ।	कार्मिक का नाम सेवाभिलेख के अनुसार हो तथा पै मैनेजर, आधार कार्ड आदि में एक सा नाम एवं स्पेलिंग एवं जन्मतिथि का मिलान हो । कार्यालय एवं कार्मिक के लिए विस्तृत निर्देश पेंशन नियमों के परिशिष्ठ-8 व 11 क्रमशः में उल्लेखित है।

10	पेंशन विभाग में कुलक के साथ ओर क्या रिकॉर्ड भेजे ।	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्याक्ष सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का पेंशन कुलक, सेवापुस्तिका, सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति, विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र, पे मैनेजर की वेतनपर्ची,employee ID, Office DDO code कुलक में मोबाईल नम्बर और लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका में दर्ज करके भिजवावें ।
11	सेवानिवृत्त होने वाला कार्मिक अपनी पेंशन कहा प्राप्त कर सकता है।	कार्मिक अपनी इच्छा से भारतवर्ष में कही पर भी भारतीय मुद्रा में पेंशन प्राप्त कर सकता है । कोषालय का उल्लेख पेंशन कुलक में यथास्थान अपनी इच्छा से भरे।
12	वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि कितनी है ।	सातवें वेतनमान के अनुसार रू. 8850/- न्यूनतम पेंशन है ।
13	पेंशन के साथ क्या मिलता है ।	स्वीकृत पेंशन के साथ महंगाई राहत ओर भुगतान होती है, जो समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार बढ़ती भी रहती है ।
14	पेंशन स्वीकृति अधिकृतियां जारी होने के पश्चात कार्मिक क्या करें।	पेंशन विभाग से अधिकृतियां मिलने के बाद तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात कोषालय में जहां पेंशन भुगतान चाहा है/जो अधिकृति में उल्लेखित है वहां उपस्थित हो । साथ में अंतिम कार्यालय से जारी नो-ड्यूज, एलपीसी, जीए-55ए, आधारकार्ड, बैंक पास बुक छाया प्रति, संयुक्त फोटो-3 या 4, गवाह लेकर उपस्थित होंवें ।
15	पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश में नाम, तिथि आदि में त्रुटि हो तो क्या करें ।	तुरन्त अन्तिम कार्यालय एवं पेंशन विभाग को सूचित करें ।
16	पूर्व में जारी पीपीओ में पत्नी के नाम जन्मतिथि में अन्तर हो या परिवर्तन आवश्यक हो तो कहा आवेदन करें ।	पेंशनर अपने अंतिम कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुआ है उस कार्यालय में आवेदन करे, सीधे पेंशन विभाग को नहीं ।
17	पीपीओ जारी हो चुका है परन्तु पेंशन आरम्भ नही हुई अथवा अब पेंशन नहीं आ रही है तो क्या करें ।	पेंशनर कोषाधिकारी एवं बैंक से सम्पर्क करे एवं आवेदन करें, पेंशन विभाग में नहीं ।
18	पेंशन राशि कम प्राप्त हुई, किसे कहे ।	पेंशनर पहले बैंक में जहाँ उसका पेंशन का खाता है उस बैंक शाखा में सम्पर्क करें, बाद में समाधान न होने पर कोषालय को आवेदन करें ।

19	स्वीकृत पीपीओ में पारिवारिक पेंशनर का नाम अंकित नहीं है तो क्या करें ।	अंतिम कार्यालय के माध्यम से आवेदन पेंशन अधिकृति जारी करने वाले कार्यालय को भिजवावे ।
20	पेंशन रूपान्तरण राशि 14 वर्ष कटौती के बाद भी कट रही है ।	पेंशनर संबंधित बैंक एवं कोषालय को सूचित करें, पेंशन विभाग को नहीं ।
21	पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहा है, बाद में अपनी पेंशन अन्य स्थान पर हस्तान्तरण करवाना चाहता है ।	पेंशनर को संबंधित कोषालय में ही आवेदन करना चाहिए । राज्य के भीतर कोषाधिकारी पेंशन स्थानान्तरण हेतु सक्षम है ।
22	पेंशनर को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र कहा प्रस्तुत करना होता है ।	पेंशनर जिस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहा हो उसी शाखा में । पेंशनर चाहे तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.10.2015 अनुसार jeevanpramaan.gov.in ऑनलाईन सुविधा ले सकता है ।
23	विधवा एवं परित्यक्ता पुत्री को क्या पारिवारिक पेंशन देय है ।	पेंशनर एवं उसके जीवनसाथी की मृत्यु के पश्चात राज्यादेश दिनांक 4.9.2012 के अनुसार पारिवारिक पेंशन देय है ।
24	विधवा एवं परित्यक्ता अथवा अविवाहित पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए कहाँ आवेदन करे ।	पेंशनर के अंतिम कार्यालय को, जहां से सेवानिवृत हुआ था ।
25	पुत्र को पारिवारिक पेंशन कब तक देय होगी ।	पुत्र के अविवाहित रहने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा मासिक आय रू 9500/- (सातवें वेतनमान में) से अधिक अजिृत करने तक जो भी पहले हो।
26	पुत्री पारिवारिक पेंशन कब तक प्राप्त करेगी ।	विवाह की तारीख तक या मासिक आय रू.9500/- से अधिक की मासिक आय तक, जो भी पहले हो ।
27	विधवा या विधुर को पारिवारिक पेंशन कब तक मिलती है ।	मृत्यु अथवा पुनः विवाह करने की तारीख तक, जो भी पहले हो ।
28	पारिवारिक पेंशनर राज्य सेवा में भी कार्यरत है तो क्या पारिवारिक पेंशन के साथ महंगाई राहत भी	जी हां, जून, 2018 से वेतन पर महंगाई के साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत भी देय है ।

	मिलेगी ।	
29	पारिवारिक पेंशन की राशि कम हो गई है, क्या करें ।	स्वीकृत मूल पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन राशि की 30 प्रतिशत की दर से मिलती है। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मृत्यु के सात वर्ष तक अथवा सरकारी कर्मचारी की आयु यदि जीवित रहता तो 67 वर्ष का होता, जो भी घटना पहले आए व तब तक अंन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत की दर से मिलती है बाद में साधारण दर 30 प्रतिशत की दर से मिलेगी।यदि कार्मिक ने सात वर्ष या ज्यादा की सेवा होने पर । 7 वर्ष से कम सेवा पर 30 प्रतिशत की दर से ही पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ से ही देय होगी
30	भूतपूर्व सैनिक जो बाद में राज्य सेवा से सेवानिवृत हुआ के परिवार को राज्य सरकार की सेवा की पारिवारिक पेंशन देय है ।	जी हां, दिनांक 18.03.2015 से भूतपर्वू सैनिक जो राज्य सेवा से सेवानिवृत/सेवा में रहते मृत्यु होने पर परिवार राज्य सेवा एवं सैनिक सेवा की दोनों पारिवारिक पेंशन प्राप्त करेगा । परन्तु न्यूनतम पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी केवल अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत की दर से ।
31	कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन किसे पहले मिलेगी ।	प्रथम पति या पत्नी यथास्थिति, उसके अपात्र होने पर अथवा पीछे पति/पत्नी के न होने पर जन्मतिथि के अनुसार उम्र में बड़ी सन्तान को पहले (पात्रता रखता है तो) उसके पश्चात बड़े से छोट के क्रम में । माता-पिता को , यदि मृतक कर्मचारी के पीछे न तो विधवा रही हो और न ही कोई संतान तो, पहले माता को पात्रता रखने पर ही ।
32	एनपीएस कर्मचारी को पेंशन देय है ?	नहीं, एनपीएस कर्मचारी के सेवानिवृति पर केवल ग्रेच्युटी राज्य सरकार द्वारा देय होगी, सेवानिवृति/अधिवार्षिकी पेंशन देय नहीं होगी ।
33	एनपीएस कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी क्या ?	जी हां, एनपीएस कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपरान्त पुराने कर्मचारियों के अनुसार ही अस्थाई (प्रोवीजनल) रूप से देय होगी। एनपीएस का पुरा अंशदान (स्वयं एवं नियोक्ता का) राज्य सरकार को देना होगा ।
34	मुझे पेंशन अधिकृति/पेंशन रिवीजन अधिकृति की जानकारी कैसे मिलेगी ।	पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में रिसीट होने पर एसएमएस द्वारा मोबाईल पर प्राप्ति की जानकारी दी जाती है । इसके अलावा IFPMS वेबसाईट पर होम पेज पर जा कर वहां View Authority को क्लिक कर PPO/LR No./Empl ID या अन्य सलेक्ट कर fill (भरने) पर प्रकरण के स्टेटस की जानकारी पेंशनर स्वयं ले सकता है।

35	पेंशनर को लीव इन्केशमेन्ट भुगतान की जानकारी कैसे हो ।	IFPMS वेब पोर्टल पर जावे तथा होम पेज पर leave encashment query status क्लिक कर employee ID/PPO/LR No. भर कर, जानकारी प्राप्त करें ।
36	सेवानिवृति पर बकाया उपार्जित अवकाश के लिए बिल नहीं बन रहा है, क्या करें ?	सर्वप्रथम पे मैनेजर पर कार्यालय द्वारा पीपीओ नम्बर employee ID से अपडेट करे तब पीपीओ नम्बर प्रदर्शित होगा तभी बिल बन जायेगा ।
37	सेवानिवृति/मृत्यु पर बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान का बजट मद क्या है?	2071-01-115-01-01-84.
38	सेवानिवृति/मृत्यु पर बकाया उपार्जित अवकाश का बजट कार्यालय को मिला या नहीं कहा देखें ?	IFMS साईट पर बजट मद 2071-01-115-01-01-84 देखें ।
39	सेवानिवृति/मृत्यु पर बकाया उपार्जित अवकाश का बजट नहीं आया है, क्या करें ?	सर्वप्रथम देखें कि क्या कर्मचारी का पीपीओ जारी हो गया है, पीपीओ जारी होने पर ही बजट आएगा अन्यथा नहीं ।
40	पीपीओ/एफपीओ जारी हो गया है फिर भी उपार्जित अवकाश का बजट नहीं मिला है ।	सर्वप्रथम पीपीओ में दर्ज नाम स्पेलिंग, जन्म तिथि, कार्यग्रहण तिथि, सेवानिवृति या मृत्यु दिनांक, पता, पद आदि का मिलान पे मैनेजर डाटा से करें । यदि मिसमैच है तो डाटा अपडेट करे तथा उसके पश्चात पेंशन विभाग के क्षैत्रिय कार्यालय को सूचित करें । बजट मांग करें, IFMS पर लगातार चैक करते रहे ।
41	उपार्जित अवकाश के एरियर/अतिरिक्त मांग हेतु क्या करें ।	पेंशन विभाग को बजट मांगपत्र कर्मचारी का नाम, पीपीओ नम्बर, employee ID एवं राशि सहित भिजवावें ।
42	पेंशनर से अपनी पेंशन का रूपान्तरण करवाया है, कटौती कितने समय तक होगी।	पेंशन रूपान्तरण राशि का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात 14 वर्ष तक कटौती होगी।
43	पेंशन रूपान्तरण के स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है ।	सेवानिवृति के एक वर्ष के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

44	प्रोवीजनल पेंशनर जांच में बरी हुआ, पेंशन रूपान्तरण ले सकता है ।	जी हां, विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र जारी होने के एक वर्ष के भीतर बिना स्वास्थ्य परीक्षण एवं एक वर्ष बाद में स्वास्थ्य परीक्षण में फिट होने पर।
45	पेंशन रूपान्तरण किया हुआ है, तथा पेंशनर की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती होगी ।	नहीं, पारिवारिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती नहीं होगी ।
46	पेंशनर का पीपीओ गुम हो गया है, कट-फट गया है, क्या करें ।	पेंशनर डुप्लीकेट पीपीओ हेतु जहां से पेंशन प्राप्त कर रहा है उस कोषालय/उप कोषालय में आवेदन करें, पेंशन विभाग में नहीं ।
47	पारिवारिक पेंशनर 80 वर्ष से या ज्यादा उम्र का हो गया है अतिरिक्त पेंशन हेतु कहां आवेदन करेे ।	संबंधित कोषाधिकारी / बैंक को।
48	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि अंकित नहीं है, कहां आवेदन करें ।	जन्मतिथि निर्धारण हेतु दिनांक 12.8.2009 से पहले को कोई प्रुफ के साथ पेंशन विभाग की सीधे आवेदन करें ।
49	विभागीय जांच या न्यायालय प्रकरण बकाया है, तो क्या पेंशन स्वीकृत होगी ।	जी हां, प्रोवीजनल पेंशन नियम 90 के तहत नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात प्रपत्र-3, 5ए, 33 मय सेवापुस्तिका के पेंशन विभाग प्रकरण भेजा जावेगा। प्रोविजनल पेंशन के समय ग्रेच्युटी व कम्यूटेशन देय नहीं होगा।
50	प्रोवीजनल पेंशन कितनी होगी ।	कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा के आधार पर 100 प्रतिशत पेंशन, नियमानुसार देय होगी । ग्रेच्युटी विभागीय जांच/न्यायालय प्रकरण बकाया पर देय नहीं होगी । प्रोवीजनल पेंशन नियम 86 के तहत विभागीय जांच आदि बकाया नहीं हो तो 100 प्रतिशत पेंशन तथा 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी देय होगी ।
51	प्रोवीजनल पेंशन में कम्यूटेशन रूपान्तरित हो सकेगी ।	नहीं ।

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान

6.	महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु. 1950/-
7.	तकनीकी कर्मचारी	रु. 1650/-

रेडियोग्राफर व एल टी को भी ऐप्रिन की राशि 2250/- का नुगद भुगतान किया जायेगा। (आ.दि. 12.1.16 ले.वि. 3/16 पृष्ठ 35)

चिकित्सा विभाग आ.दि. 12.1.16 ले.वि. 3/16 पृष्ठ 35

(6) विश्राम भवनों में कार्यरत कार्मिकों को वर्दी में रहने के निर्देश आ.दि. 21.9.15 (ले.वि. 11/15 पृष्ठ 1)

7. एक वित्तीय वर्ष में 6 माह की परीविक्षा अवधि पूर्ण होने, वर्दी अनिवार्य होने अथवा निलम्बन नहीं होने पर ही, वर्दी भत्ते के उपमद से ही वर्दी भत्ता देय होगा। (आ.दि. जीएडी 22.6.18 ले.वि. 9/18 पृष्ठ 27)

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996

1. प्रभावी : ये नियम 1.10.96 से प्रभावी होंगे।(नियम1)

1A. जनवरी 04 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर पेंशन नियम लागू नहीं होंगे। F15(7)FD/Rules/97(Penstion)-1/04 Dt. : 14.01.04

2. पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि :- कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने, मृत्यु होने, सेवाच्युत होने या त्यागपत्र देने के समय प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन या परिवार पेंशन देय होगी। अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होने पर सेवा निवृत्ति का दिन अन्तिम कार्य दिवस माना जावेगा, मृत्यु के दिन को भी कार्य दिवस में माना जावेगा। किन्तु स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति एवं अनिवार्य सेवा निवृत्ति में सेवा निवृत्ति का दिन अकार्य दिवस (Non working day) माना जावेगा। (नियम 4)

3. सदाचरण पेंशन हेतु आवश्यक :- प्रत्येक पेंशन स्वीकृति एवं निरन्तरता के लिए भावी सदाचरण एक निहित शर्त है, किसी गम्भीर अपराध या दुराचरण का दोषी होने पर पेंशन रोकी, या वापस ली जा सकती है। (नियम-6)

लघुशास्ती की दण्ड सम्बन्धी प्रकिया का पेंशन स्वीकृति पर प्रभाव नहीं होगा। नियम-6-राज.सरकार निर्णय सं. 6

4. पेंशन योग्य सेवा :- 4.1 योग्यता सेवा का प्रारम्भ :- क्षतिपूर्ति ग्रेच्यूटी को छोड़कर, 18 वर्ष की आयु से पूर्व की सेवा पेंशन हेतु नहीं मानी जावेगी, योग्यता सेवा पद का चार्ज लेने की तिथि से प्रारम्भ होगी। (नियम 12)

4.2 सरकार किसी भी सेवा को योग्यता सेवा घोषित कर सकती है। (नियम 14)

4.3 अप्रेन्टीस सेवा पेंशन हेतु नहीं गिनी जावें (नियम15)

4.4 प्रोबेशनर के रूप में या आन प्रोबेशन सेवा योग्यता सेवा में गिनी जावेगी। (नियम 16)

वर्कचार्ज से नियमित हुए कर्मचारियों की मस्टरोल की सेवा भी पेंशन हेतु मान्य होगी।

No.F.1(12)FD/Rules/962/89 Dated : 6.3.97

4.5 अवकाश पर बिताया गया समय :- सभी प्रकार के अवकाश जिनमें अवकाश वेतन का भुगतान किया गया है पेंशन हेतु मान्य होगी किन्तु असाधारण अवकाश जो निम्नलिखित कारणों से ली गई हो, को ही योग्यता सेवा में शामिल किया जावेगा।

(1) अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर (2) उच्चतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन (3) प्राकृतिक आपदा एवं नागरिक अशान्ति के कारण कार्य ग्रहण/पुर्नग्रहण न करना। इससे भिन्न कारणों से लिया गया असाधारण अवकाश पेंशन योग्य सेवा में नहीं गिना जावेगा। (नियम 20)

सेवा में 2 वर्ष से अधिक का व्यवधान नियमित नहीं होगा।

F6-15(7)FD/Rules/97/4/02/ Pension Dated : 28.10.02

4.6 निलम्बन अवधि :-निलम्बन अवधि योग्यता सेवा में मान्य होगी। यदि सजा के आदेशों में अनुशासनिक अधिकारी ने इस सम्बन्ध में निलम्बन अवधि को अयोग्य माना है तो उक्त अवधि पेंशन योग्य मान्य नहीं होगी। (नियम 22)

4.7 कर्मचारी की सेवा समाप्ति या पदच्युति से पूर्व की सेवा को जब्त करने पर इन मामलों में पेंशन देय नहीं है। (नियम 23)

5. पेंशन का वर्गीकरण

5.1 अधिवार्षिकी पेंशन (Superannuation) :- राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 (अ) के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर देय है। वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु सुपीरियर सेवाओं एवं च.श्रे.सेवा (स्केल संख्या 1-2) के लिए 60 वर्ष है।

5.2 निवृत्ति पेंशन (Retiring Pension) :- जब राज्य कर्मचारी द्वारा पेंशन नियमों के नियम 50(1) के अन्तर्गत 15 वर्ष की योग्यता सेवा करने पर स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति ली जाती है तथा पेंशन नियम 53(1) के अनुसार 15 वर्ष की योग्यता सेवा या 50 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) पूर्ण करने पर अनिवार्य सेवा निवृत्त किया जाता है तो उसे निवृत्ति पेंशन प्राप्त होगी। आ.दि. 1.12.99 से

5.3 अशक्तता पेंशन(Invalid Pension):- राजस्थान पेंशन नियमों के नियम 35 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी के शारीरिक रूप से अशक्त हो जाने या मानसिक रूप से विकृति के कारण सार्वजनिक सेवाओं के लिए स्थायी रूप से अशक्त हो जाने पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा निवृत्ति की परिस्थितियों में यह पेंशन देय है।

5.4 क्षतिपूर्ति पेंशन :-पेंशन नियमों के नियम 38 के अनुसार किसी स्थायी पद की समाप्ति पर किसी राज्य कर्मचारी को पद मुक्त किये जाने पर यह पेंशन देय होती है।

5.5 अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन :- पेंशन नियमों के नियम 42 के अन्तर्गत दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्ति किये जाने पर यह पेंशन देय होती है। यह सामान्यतया 2/3 पेंशन से कम नहीं होती है और राजस्थान पेंशन नियमों के नियम 38 के अनुसार क्षतिपूर्ति पेंशन से अधिक नहीं हो सकती । ऐसे पेन्शनर्स को स्वीकार्य न्यूनतम पेंशन से कम देय नहीं है। (नियम 42)

5.6 क्षतिपूरक भत्ता (Compensation

होगा। F12(3) FD/Rules/2008(Pension 03/2011) Dt 15.4.11

(7) छठे वेतनमान के अनुसार 1.9.06 से पेन्शन का रिवीजन निम्न प्रकार किया है।

(i) 1.9..06 को मूल पेन्शन

(ii) 50 प्रतिशत डीपी

(iii) 24 प्रतिशत डीए (मूल पेंशन+50 प्रतिशत डीपी पर)

(iv) फिटमेन्ट 40 प्रतिशत मूल पेंशन पर

योग (i to iv) अर्थात् मूल पेंशन/फैमेली पेंशन का 2.26 गुणा करने के बराबर संशोधित पेंशन होगी।

1.1.07 से 31.8.08 तक ऐरियर 2 किश्तों में देय होगा। 50 प्रतिशत वर्ष 2008-09 में तथा शेष 50 प्रतिशत 2009-10 में देय होगा। आ.दि. एफ 12(3)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 12.9.08

(8) छठे वेतनमान पे वेतन स्थिरीकरण नहीं होने की दशा में पेंशनर्स को 24 प्रतिशत महंगाई राहत जोड़कर, पेंशन समेकित की जायेगी आ.दि. 27.8.13 (ले.वि. मई 2014 पृष्ठ 1)

(9) अर्द्ध वार्षिकी की गणना :- 3 माह या इससे अधिक की सेवा अवधि को एक पूर्ण छमाही मानी जावेगी । नियम 54 (3)

पैसे का रुपये में परिवर्तन :- यदि उपादान की गणना करते समय 50 पैसे से कम की राशि होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। 50 पैसे या इससे अधिक राशि 1रु. में परिवर्तित कर दी जावेगी। लेकिन पेंशन की गणना पर पैसों की राशि एक रुपये में परिवर्तित की जावेगी चाहे पैसे की कोई भी राशि हो। नियम 54(4)

6.3 पेंशन का फार्मूला पेंशन

$$\frac{\text{अन्तिम वेतन}}{2} \times \frac{\text{*पूर्ण की गई 6 माह की संख्या}}{56} = \text{रु. प्रतिमाह}$$

* अधिकतम 56 छमाही होगी

6.4 प्रोविजनल पेंशन = सभी प्रकरणों में प्रोविजनल पेंशन पेंशन की राशि के समान ही होगी। नियम 86 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष सामान्य प्रकरणों में प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत कर सकेंगे एवं जिन प्रकरणों में विभागीय जांच/न्यायिक जांच विचाराधीन है, उनमें पेंशन नियम 90 के अंतर्गत नियुक्ति अधिकारी प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत कर सकेंगे। प्रोविजनल पेंशन का भुगतान निदेशक पेंशन के द्वारा पी.पी.ओ. के आधार पर किया जायेगा।

7. उपादान

7.1 एक राज्य कर्मचारी जो 5 वर्ष की योग्यता सेवा पूर्ण करता और नियम 54 के अनुसार सर्विस ग्रेच्यूटी या पेंशन प्राप्त करने के योग्य होता है, उसको सेवा निवृत्ति पर प्रत्येक 6 माही के लिए परिलब्धियों के 1/4 के समान सेवा निवृत्ति उपादान मिलेगा जो कि 16 ½ माह की परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा। नियम 55(1)(अ)

***7.2 सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान**

योग्यता सेवा अवधि	मृत्यु उपादान की दर
1) 1 वर्ष से कम सेवा पर	2 माह का वेतन
2) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	6 माह का वेतन
(3) 5 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	12 माह का वेतन
(4) 11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	20 माह का वेतन
(5) 20 वर्ष से अधिक सेवा पर	प्रत्येक पूर्ण की गई छमाही पर 1/2 माह का वेतन जो कि 33 माह के वेतन से अधिक न हो। (आ.दि. 30.10.17 प्रभावी 1.10.17)

7.3 सेवा निवृत्ति उपादान या मृत्यु सह सेवा उपादान की राशि 2.50 लाख से अधिक नहीं होगी। 1.1.97 से यह 3.50 लाख होगी तथा 1.1.07 से 10.00 लाख व 1.1.17 से अधिकतम 20.00 लाख होगी। आ.दि. 9.12.17 ले.वि. 2/18 पृष्ठ 15 नियम 55(1)(ए)

7.4 रेजिडयरी ग्रेच्यूटी (Residuarh Gratuity) यदि पेंशनर की सेवा निवृत्त होने के 5 वर्ष में मृत्यु हो जाती है तो सेवा निवृत्ति उपादान एवं रूपान्तरित पेंशन की राशि यदि 12 माह की परिलब्धियों से कम है तो अन्तर की राशि रेजिड्यूरी के ग्रेच्यूटी के रूप में स्वीकृत की जावेगी। नियम 55 (2)

7.5 उपादान हेतु परिवार की परिभाषा :- राजस्थान पेंशन नियमों के नियम 56, 58, 59 के अनुसार राज्य कर्मचारी के परिवार में निम्न सम्मिलित हैं :-

(1) मृतक राज्य कर्मचारी की पत्नी, या पत्नियाँ जिसमें कानूनी रूप से अलग हुई पत्नियाँ भी शामिल हैं।

(2) मृतक राज्य कर्मचारी स्त्री होने की दशा में उसका पति जिसमें कानूनी रूप से अलग हुआ पति भी शामिल है।

(3) पुत्र जिसमें सौतेल एवं दत्तक पुत्र भी शामिल हैं।

(4) अविवाहित पुत्रियाँ जिनमें सौतेली एवं दत्तक पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं।

(5) विधवा पुत्रियाँ जिसमें सौतेली एवं दत्तक पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं।

(6) पिता (7) माता जिसमें दत्तक माता-पिता भी शामिल है।

(8) 18 वर्ष से कम आयु के भाई जिसमें सौतेल भाई भी शामिल हैं।

(9) अविवाहित व विधवा बहिन जिनमें सौतेली बहिन भी शामिल है।

(10) विवाहित पुत्रियाँ (11) पूर्व मृतक पुत्र की सन्तान (नियम 55 (4)

7.6 उपादान का भुगतान :-

(1) मृतक कर्मचारी द्वारा मनोनित व्यक्ति को

(2) यदि मनोनयन नहीं किया हो तो उपरोक्तानुसार परिवार की परिभाषा में सम्मिलित क्र.सं. 1 स 4 के सदस्यों को बराबर बाँटी जावेगी

(3) यदि उपरोक्तानुसार परिवार की परिभाषा में क्र.सं. 1 से 4 तक उपलब्ध न होने पर 5 से 11 के सदस्यों में बराबर बाँटी जावेगी। नियम 56 (1) (अ) (इ)

(4) पेंशन के साथ ग्रेच्यूटी भी रोकी जा सकती है।

F4(5) कार्मिक/अ-III/87 दिनांक 15.7.2001

(5) नवीन अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी देय होगी। आ.दि. 6.12.17 ले.वि. 2/17 पृष्ठ 15

8. पारिवारिक पेंशन

The family pension shall be admissible to-

(a) wife, in the case of a male Government servant and husband, in the case of a female Government servant;

(b) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery;

(c) unmarried son till he attains the age of 25 years or on earning a monthly income exceeding Rs 9500/- per month, whichever is earlier ;

(d) unmarried daughter upto the date of her marriage or earning a monthly income exceeding Rs. 9500/- per month, whichever is earlier;

(e) widowed/divorced daughter of any age upto the date of her remarriage or till the date she starts earning a monthly income exceeding Rs 9500/- per month, whichever is earlier;

(f) parents who were wholly dependent upon the Government servant when he/she was alive provided the deceased employee had left behind neither a widow nor a child and the income of parent is not more than Rs. 9500/- per month."

Explanation:- For the purpose of this rule son/daughter shall also include legally adopted son/daughter and posthumous child of a Government servant; * FD Order F 12(3) FD Rules/2010 (Pension 6/18) Dt.: 27.6.18 (लेखाविज्ञ 7/18 पृष्ठ 1) (पेंशन नियम 66)

परिवार पेंशन की राशि

(i) मासिक परिलब्धियों का 30% या न्यूनतम 8850 रु. प्रतिमाह परिवार पेंशन देय होगी। सरकार में उच्चतम वेतन 1.1.17 से 2,18,000 के अधिकतम 30 प्रतिशत अनुज्ञेय होगी। (नियम-62) आ.दि. 30.10.17 प्रभावी 1.1.17

(ii) जब कर्मचारी 7 वर्ष की सेवा के पश्चात् मर जाता है तो अन्तिम रूप से आहरित परिलब्धियों का 50% या (i) के अन्तर्गत स्वीकार्य पेंशन राशि से दुगुनी जो भी कम हो, दर पर परिवारपेंशन स्वीकार्य होगी।

(iii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मुत्यु की स्थिति में साधारण पारिवारिक पेंशन की दुगनी या अन्तिम वेतन का 50% या सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत की गई पेंशन राशि इनमें से जो भी कम हो, पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(iv) मृतक राज्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 7 वर्ष अथवा 67* वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो बढ़ी पारिवारिक पेंशन देय होगी उसके बाद साधारण दर से पारिवारिक देय होगी।

परिवार पेंशन-सबसे बड़े पुत्र को दी जाएगी। (नियम 7

*आ.दि. 22/9/14 (ले.वि. 10/14 पृष्ठ 5)

पति एवं पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर का विनियमन-

(क) नियम 62 (ii) में वर्णित दर पर दो परिवार आहरित करने की पात्रता पर दोनों पेंशनों की राशि 1,09,300 तक सीमित होगी।

(ख) नियम 62 (i) में वर्णित दरों पर दोनों परिवार भुगतान की जाती है। तो दोनों पेंशनों की राशि 65580/- रुपए सीमित होगी। (नियम 72)

* वित्त विभाग का आदेश दिनांक 30.10.17 (ले 11/2017)

8.2 अनुग्रह अनुदान (Ex-gratia grant) :- परिस्थिति में ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान स्वी होगा। (नियम 75)

पेंशन नियम *75. Ex-gratia grant to the fa ily of a Government servant.- (1) Subject to provision of this chapter except as otherwise p vided, an ex-gratia grant shall be admissible un sub-rule (2) to the family of a government serv who dies while on duty in one of the following cumstances, namely :-

(a) in an accident;

(b) due to injury intentionally inflicted caused in consequence of the due performance his/her official duties;

(c) due to injury intentionally inflicted caused in consequence of his/her official positio

(d) by violence attributable to causes relat to his/her service; or

(e) in connection with special assignme like "Election Duty", "Census work" and/or su other assignments which do not fall within norm duties of the post held by the government servan

(2) The amount of ex-gratia grant to the fam of a government servant who dies in one of t circumstances mentioned in sub-rule (1) shall be under:-

S. No.	Clause / Rule	Amount ex-gratia gra
1.	Under clause (a) to (d) of sub-rule (1)	Rs. 20 Lac
2.	Under clause (e) of sub-rule (1),-	

(i) unfortunate event of death of the official.	Rs. 20 Lac
(ii) If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial elements like, road mines, bomb blasts, armed attacks, etc.	Rs. 30 Lac

*Provided that no extra relief shall be granted from sundry Government sources to families of deceased Government servants."

(ii) the existing sub-rule (6), shall be substituted by the following, namely:-

"(6) Where a Government servant sustains permanent disability, like loss of limb, eye sight etc., in connection with election related duties, the amount of Ex-gratia grant shall be as follows:-

S. No.	Kind of Mishaps	Amount of Ex-Gratia grant
1.	Permanent disability like loss of limb, eye sight etc. in normal conditions while performing election related duties.	Rs 7.50 Lac
2.	Permanent disability like loss of limb, eye sight etc., while performing election related duties, if caused due to any violent act of extremist or unsocial elements like road mines, bomb blasts, arm ed attacks etc.	Rs 15.00 Lac

*Ordr dated 10.7.19 ले.वि. 8/19 पृष्ठ 9 और 35

चुनाव के दौरान होम गाड्स/सिविल डिफेन्स व गैर सरकारी व्यक्तियों को एक्स ग्रेसिया ग्रान्ट

(1) In case of death

S. No.	Circumstances	Amount of Ex-Gratia grant
1.	In the unfortunate event of death of the official while on election duty.	Rs 20.00 Lac
2.	If the death is caused due to any violent acts of extremist or unsocial elements like, road mines, bomb blasts, armed attacks, etc. of the official while on election duty.	Rs 30.00 Lac

(2) In case of permanent disability:-

FD (Pension 2/2017 Dt. 15.3.17 L.V. 4/17 page 5

S. No.	Kind of Mishaps	Amount of Ex-Gratia grant
1.	Permanent disability like loss of limb, eye sight etc. in normal conditions while performing election related duties.	Rs 7.50 Lac
2.	Permanent disability like loss of limb, eye sight etc., while performing election related duties, if caused due to any violent act of extremist or unsocial elements like road mines, bomb blasts, armed attacks etc.	Rs 15.00 Lac

Note: (i) This order shall com e into effect from 10.03.2019.

(ii) The guidelines, circumstances and other conditions for admissibility of exgratia shall remain unchanged.

*Ordr dated 10.7.19 ले.वि. 8/19 पृष्ठ 9 और 35

8.3 पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी अन्य आदेश :-

1. पेंशनर के एक साल लापता रहने पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हो सकेगी। (अ) आवेदन पत्र के साथ

(1) इन्डीमिनिटी बॉंड एवं शपथ पत्र

(2) एफ.आई.आर. की प्रति (निमय 61 के नीचे परन्तुक के अनुसार)

2. कर्मचारी के एक वर्ष तक लापता रहने पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी। (नियम 61 का नोट)

9. परावर्तन (Commutation of Pension) नियम

9.1 पेंशन के परावर्तन से तात्पर्य स्वीकृत पेंशन के 1/3 भाग तक की राशि अनुच्छेद 9.6 में दी गई तालिका के अनुसार गणना पर भुगतान देय होगा।

9.2 पात्रता :- सेवानिवृत्त पेंशनर स्वीकृत पेंशन की एक तिहाई राशि तक परावर्तन करवा कर एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है। जहाँ न्यूनतम पेंशन देय होती है वहाँ वास्तविकता में देय पेंशन की एक तिहाई राशि तक का परावर्तन स्वीकृत किया जा सकता है और यह परावर्तन राशि न्यूनतम पेंशन में से कम कर दी जावेगी। यदि किसी पेंशनर के विरुद्ध विभागीय जाँच या अदालती कार्यवाही चल रही हो तो पेंशन का परावर्तन विभागीय जांच/न्यायिक कार्यवाही पूर्ण होने तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

9.3 बिना चिकित्सा जांच के कार्यवाही :- स्वीकृत पेंशन का 1/3 हिस्सा तक सेवानिवृत्त होने पर एक साल के अन्दर बिना चिकित्सा जांच के परावर्तन करवा सकते हैं। इसके उपरान्त बिना चिकित्सा परीक्षण के परावर्तन सम्भव नहीं है। जहां विभागीय जांच/अदालती कार्यवाही चल रही हो तो वहाँ एक साल की अवधि विभागीय

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
2020/2/19 12:13

जाँच/ अदालती कार्यवाही के अन्तिम आदेश के दिन से गिनी जावेगी।

9.4 चिकित्सा जाँच के उपरान्त परावर्तन :- निम्नलिखित परिस्थितियों में चिकित्सा जांच आवश्यक है-

1. यदि कोई व्यक्ति परावर्तन हेतु सेवानिवृति के एक वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र देता है।

2. अशक्तता पेंशन स्वीकृत कर्मचारियों के लिए।

3. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 172(ए) के अनुसार दण्ड स्वरूप अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए।

9.5 परावर्तन अत्यंकित होना (Absolute):- 1. यदि परावर्तन का प्रार्थना पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अर्हकारी आयु पूर्ण करने से पूर्व प्राप्त किया जाता है तो सेवानिवृत्ति की दिनांक के अगले दिन।

2. सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद एक वर्ष के भीतर जिस तिथि को परावर्तन प्रार्थना पत्र कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है।

3. एक वर्ष के पश्चात् या उन परिस्थितियों में जहाँ परावर्तन हेतु चिकित्सा जाँच किये बिना नहीं हो सके वहाँ चिकित्सा अधिकारी के परावर्तन हेतु अनुमोदन कर प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर की दिनांक को परावर्तन पेंशन का प्रार्थना पत्र अत्यंकित हो जाता है।

9.6 परावर्तन की राशि की गणना :- पेंशन का वह हिस्सा जिसका परावर्तन किये जाने की राशि = पेंशन की परावर्तन राशि ×12× परावर्तन फैक्टर। निम्न तालिका में से आगामी जन्मतिथि पूर्ण होने वाले वर्षों के अनुसार गणना की जाती है अन्य मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई उम्र के आगे आने वाली जन्म वर्ष के अनुसार गणना की जाती है। दिनांक 1.1.07 से परावर्तन फैक्टर तालिका निम्नानुसार है

आगामी जन्म दिन पर आयु	परावर्तन फैक्टर	आगामी जन्मदिन पर आयु	परावर्तन फैक्टर
45	8.996	55	8.627
46	8.971	56	8.572
47	8.943	57	8.512
48	8.913	58	8.446
49	8.881	59	8.371
50	8.846	60	8.287
51	8.808	61	8.194
52	8.768	62	8.093
53	8.724	63	7.982
54	8.678	66	7.862

9.7 परावर्तन राशि की गणना का फार्मूला :- यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की अर्हकारी आयु पर सेवानिवृत्त होता और उसकी स्वीकृत पेंशन राशि 12000/- रु. हो तो 4000/- रु. तक परावर्तन करवा सकता है जिसकी गणना निम्न प्रकार होगी :-

न्यूनतम पेंशन से पेंशन की राशि कम होने पर कम्यूटेशन हेतु न्यूनतम पेंशन 8850 रुपए होगी। आ.दि. 30.10.17 w.e.f. 1.1.17

4000 × 12 × 8.194 = 3,93,312/-रु.

9.8 परावर्तन पर पेंशन राशि में कटौती:- यदि कोई कर्मचारी अर्हकारी आयु पर सेवानिवृत्त होता है और परावर्तन हेतु प्रार्थना पत्र देता है तो परावर्तन राशि सेवानिवृत्ति की तिथि के आगामी दिन से देय होगी और माह की पहली तारीख से ही पेंशन में से परावर्तन कराई गई राशि की कमी होगी। यदि इसका भुगतान पहले माह में नहीं लिया जाता तो उस महीने की पेंशन का अन्तर कोषाधिकारी अपने स्तर से भुगतान कर देंगे। सम्बन्धित कोषाधिकारी अधिकृति जारी होने की तारीख से 3 माह तक ऐसे भुगतान कर सकता है।

9.9 परावर्तन राशि का संशोधन :- जब पेंशन में संशोधन किया जाता है तो परावर्तन राशि भी उसी हिसाब से 1/3 पेंशन तक परावर्तित कर अधिकृत कर दी जाती है किन्तु यदि पेंशनर ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई निश्चित राशि परावर्तन हेतु अंकित की है तो ऐसे मामलें में संशोधन होने पर भी पेंशन परिवर्तन राशि परिवर्तित नहीं की जावेगी।

9.10 परावर्तन राशि का पुर्नस्थापन (restoration) परावर्तन किये जाने के दिन से 14 वर्ष पश्चात् परावर्तित पेंशन पुनः स्थापित हो जाती है और उसका भुगतान आगामी एक तारीख से होगा।, (पेंशन रूपान्तरण नियम -2

कम्पयूटेशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व मिलेगा। F15(4)F15(4)FD/Rules/97 Dt.31/7/01

(9) मंहगाई राहत की वर्तमान दरें :- मंहगाई राहत का जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित की गई हैं -

पांचवें वेतन आयोग पेंशन स्थिरीकरण के बाद पेंशनरों के

मंहगाई राहत			आदेश दि
1.1.97	8%	Pension/Family Pension	21
1.7.97	13%	Pension/Family Pension	21
1.1.98	16%	Pension/Family Pension	16
1.7.98	22%	Pension/Family Pension	17.
1.1.99	32%	Pension/Family Pension	15
1.7.99	37%	Pension/Family Pension	6.7
1.1.2000	38%	Pension/Family Pension	7.7
1.7.2000	41%	Pension/Family Pension	27
1.1.2001	43%	Pension/Family Pension	13.11.
1.7.2001	45%	Pension/Family Pension	30.8
1.1.2002	49%	Pension/Family Pension	
1.7.2002	52%	Pension/Family Pension	7.7
1.1.2003	55%	Pension/Family Pension	6.10
1.7.2003	59%	Pension/Family Pension	25.3
1.1.2004	61%	Pension/Family Pension	25.5
1.7.2004	3%	Pension/Family Pension	4.1
1.1.2005	6%	Pension/Family Pension	19.
1.7.2005	10%	Pension/Family Pension	27.0
1.1.2006	13%	Pension/Family Pension	29.0
1.7.2006	18%	Pension/Family Pension	29.
1.12.2006	29%	Pension/Family Pension	01.
1.1.2007	35%	Pension/Family Pension	16.
1.7.2007	41%	Pension/Family Pension	30
1.1.2008	47%	Pension/Family Pension	30
1.7.2008	54%	Pension/Family Pension	30
1.1.2009	64%	Pension/Family Pension	30
1.7.2009	73%	Pension/Family Pension	30

1.1.2010	87%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2010	103%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2011	115%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2011	127%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2012	139%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2012	151%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2013	166%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2013	183%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2014	200%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.7.2014	212%	Pension/Family Pension	30.12.13
1.1.2015	223%	Pension/Family Pension	24.4.15
1.7.2015	234%	Pension/Family Pension	16.11.15
1.1.2016	245%	Pension/Family Pension	12.1.16
1.7.2016	256%	Pension/Family Pension	13.5.16
1.1.2017	264%	Pension/Family Pension	20.4.17
1.7.2017	268%	Pension/Family Pension	20.4.17
1.1.2018	274%	Pension/Family Pension	04.10.17
1.7.2018	284%	Pension/Family Pension	11.5.18
1.1.2019	295%	Pension/Family Pension	05.10.18
		Pension/Family Pension	27.5.19

पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में पेंशनरों को महंगाई राहत की दरें

1.1.07 से 6% आ.दि. 12.9.08 (छठे वेतनमान में)
1.7.07 से 9% आ.दि. 12.9.08
1.1.08 से 12% आ.दि. 12.9.08
1.7.08 से 16% आ.दि. 12.9.08
1.1.09 से 22% आ.दि. 27.2.09
1.7.09 से 27% आ.दि. 11.9.09
1.1.10 से 35% आ.दि. 20.3.10
1.7.10 से 45% आ.दि. 29.9.10
1.1.11 से 51% आ.दि. 23.3.11
1.7.11 से 58% आ.दि. 15.9.11
1.1.12 से 65% आ.दि. 25.3.12
1.7.12 से 72% आ.दि. 27.9.12
1.1.13 से 80% आ.दि. 19.4.13
1.7.13 से 90% आ.दि. 21.9.13
1.1.14 से 100% आ.दि. 1.3.14(4/14)
1.7.14 से 107% आ.दि. 8.9.14(10/14)
1.1.15 से 113% आ.दि. 13.4.15 (ले.वि. 5/15 पृष्ठ 4)
1.7.15 से 119% आ.दि. 18.9.15 (ले.वि. 10/15 पृष्ठ 1)
1.1.16 से 125% आ.दि. 13.4.16 (ले.वि. 5/16 पृष्ठ 1)
1.7.16 से 132% आ.दि. 17.11.16 (ले.वि. 12/16 पृष्ठ 1)
1.1.17 से 136% आ.दि. 13.4.17 (ले.वि. 5/17 पृष्ठ 1)
1.7.17 से 139% आ.दि. 4.10.17 (ले.वि. 11/17 पृष्ठ 32)
1.1.18 से 145% आ.दि. 11.5.18 (ले.वि. 6/18 पृष्ठ 1)
1.7.18 से 148% आ.दि. 5.10.18 (ले.वि. 11/18 पृष्ठ 7)
1.1.19 से 154% आ.दि. 27.5.19 (ले.वि. 6/19 पृष्ठ 7)

नोटः- (i) 1.7.04 से 30.11.06 तक 11% महंगाई राहत मूल पेशन पर देय होगी (ii) 1.7.04 से पेंशन में 50 महंगाई राहत जोडकर गणना की प्रक्रिया। F13(2) FD/Rules/04 Pension/17/04 Dt 25.9.04

RPS-2017 में महंगाई राहत

1.1.17 से 4% आ.दि. 9.12.17 (ले.वि. 2/18 पृष्ठ 9)
1.7.17 से 5% आ.दि. 9.12.17 (ले.वि. 2/18 पृष्ठ 9)
1.1.18 से 7% आ.दि. 23.3.18 (ले.वि. 4/18 पृष्ठ 4)
1.7.18 से 9% आ.दि. 10.9.18 (ले.वि. 11/18 पृष्ठ 1)
1.1.19 से 12% आ.दि. 22.2.19 (ले.वि. 3/19 पृष्ठ 36)

11. पेंशन सम्बन्धी निर्देश

(1) पेंशन प्रकरणों में वरिष्ठ लेखाकर्मी पूर्ण जाँच के बाद ही प्रमाण पत्र देवे। प.1(17) एफ.डी./जी.एण्ड टी/04 दिनांक 10.5.2004

(2) सेवा निवृत्ति के दिन कर्मचारी को निम्न प्रमाण पत्र देना न भूलें :-

(i) अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र

(ii) अदेयता प्रमाण पत्र

(iii) 'वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील' के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र

(iv) आपके द्वारा किसी भी प्रकार को प्रोविजनल पेंशन एवं उपादान न दिये जाने के प्रमाण पत्र

(v) पेंशन निदेशालय से प्राप्त पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. की प्रतिलिपि।

(3) एक से अधिक पेंशन प्राप्तकर्त्ता को न्यूनतम पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।एफ.15(2)एफडी/नियम 98 दिनांक 20.5.99

(4) अधिवार्षिकी पर तुरन्त तथा अन्य मामलों में 60 दिन में पेंशन लाभों का भुगतान होगा।

प.9(4)वित्त/नियम/2000(पेंशन9/2000)दिनांक 8.8.2000

(5) सेवा निवृत्ति के 60 दिन बाद भुगतान नही होने पर 9 ब्याज देना होगा। आदेश सं. एफ 15(3) एफडी.(नियम) 97 दिनांक 7.6.04

(6) पेंशन पर ब्याज की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग देगा। No. F15(3)FD/Rules/97 Pt. I (5/01) दि. 12.6.01

(7) सेवा निवृति आदेश 1 वर्ष पूर्व जारी किया जावे।
शिविरा/मा/संख्या/सी-3ए/ए/से.नि./90-02 दि. 4.4.03

(8) 1.1.04 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर पेंशन नियम लागू नहीं। आ.दि. 14.1.04

(9) पेंशन के कम्यूटेशन के समय ही रेस्टोरेशन की दिनांक अंकित की जायेगी। No F15(4)FD/Rules/97 (Pension 4/05) 2.8.05

(10) पेंशनर के संयुक्त नाम के खाते में पेंशन जमा हो सकेगी। एफ 7(7)FD(R&A/94) Dated 22.9.06

(11) 1996 के पूर्व के पेंशनर्स/फैमेली पेंशनर्स को 1996 की संशोधित वेतन श्रृंखला के न्यूनतम से 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत से कम है तो पेंशन में 1.4.08 से संशोधित होगी।

एफ 15(1)एफडी/रूल्स/99 (पेंशन 3/08) दिनांक 22.5.08

(12) सार्वजनिक उपक्रमों में समायोजित होने वाले कार्मिकों को भी परिवार पेंशन का लाभ देय होगा।

F15(4)FD/Rules/97 (Pension 8/10) Dt. 16.8.10

(13) 1.9.06 से पूर्व राजकीय उपक्रम व अन्य संस्थाओं से समायोजित कार्मिकों को एक तिहाई पेंशन रिवीजन सम्बन्धी निर्देश।

F12(3)FD/Rules/08 (Pension 1/12) Dt. 31.1.11

(14) 1.9.06 से 31.5.09 तक विशेष भत्ता प्राप्त कार्मिकों की पेंशन संशोधित करने के निर्देश आ.दि. 11.5.12 (लेखाविज्ञ जून, 12 पृष्ठ 7)

(15) 1 जनवरी 2006 से 30 जून, 2013 के मध्य सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी पेंशन संशोधित होगी नगद लाभ जुलाई 2013 से देय आ.दि. 6.4.13 (ले.वि. मई 2013 पृष्ठ 9)

(16) न्यूतनम पेंशन 3025 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 3450 रु. की गई प्रभावी 1.7.13 से आ.दि. 28.6.13 (ले.वि. जुलाई 2013 पृष्ठ 1)

(17) 1 जनवरी, 2006 से 30.6.13 के मध्य सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संशोधन संबंधी निर्देश आ.दि. 14.6.13 (ले.वि. 8/13 पृष्ठ 12)

(18) न्यूनतम पेंशन 3450 का निर्धारण करने हेतु कोषाधिकारी अधिकृत आ.दि. 16.9.13 (ले.वि. 12/13 पृष्ठ 1)

(19) भारत सरकार के उपक्रमों में समायोजित कार्मिकों को जुलाई 13 से न्यूनतम पेंशन का लाभ देय आ.दि. 8.5.14 (ले.वि. जून, 14 पृष्ठ 8)

(20) लेक्चरर (स्लेक्शन स्केल) को 1.4.08 न्यूनतम पेंशन 23600/- रु. देने के निर्देश आ.दि. 6.5.14 (ले.वि. जून, 14 पृष्ठ 14)

(21) सैनिक सेवा के साथ राज्य सरकार में की गईसेवा को भी फैमेली पेंशन देय होगी। आ.दि. 18.3.15 (ले.वि. 4/15 पृष्ठ 1)

(22) 1.1.1004 के बाद नियुक्त कार्मिकों की मृत्यु विकलांगता होने पर अतिरिक्त सहायता राशि देने के निर्देश आ.दि. 29.5.15 (ले.वि. 7/15 पृष्ठ 7)

(23) पेंशनरों द्वारा डिजीटल लाईव सर्टिफिकेट भिजवाने हेतु पेंशन नियमों में संशोधन आ.दि. 2.7.15 (ले.वि. 8/15 पृष्ठ 1)

(24) पेंशन प्रकरणों की वरिष्ठ लेखाकर्मियों द्वारा जांच के लिए मार्गदर्शक बिन्दू आ.दि. 14.8.15 (ले.वि. 9/15 पृष्ठ 5)

(25) सार्वजनिक बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान में विलम्ब करने पर 8 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देने का प्रावधान आ.दि. 31.8.15 (ले.वि. 10/15 पृष्ठ 13)

(26) पेंशनर की विधवा/विदुर की जन्मतिथि के निर्धारण करने हेतु निर्देश। (आ.दि. 18.12.15 ले.वि. 3/16 पृष्ठ 18)

(27) पेंशनर की मृत्यु के बाद बैंक द्वारा ही पारिवारिक पेंशन भुगतान के निर्देश (आ.दि. 30.6.16 ले.वि. 8/16 पृष्ठ 2)

(28) सेवानिवृत्ति परिलाभों को 60 दिवस से अधिक विलम्ब से भुगतन करने पर 9 प्रतिशत ब्याजें देय होगा। (आ.दि. 29.7.16 ले.वि. 8/16 पृष्ठ 20)

(29) सभी बैंकों को पेंशनरों के 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन स्थिरीकरण कर भुगतान के निर्देश आ.दि. 5.12.17 ले.वि. 2/18 पृष्ठ 16एवं आ.दि. 24.1.18 ले.वि. 2/18पृष्ठ 1

(30) न्यूतनम पेंशन के अनुसार 1.1.2017 से कम्प्यूटेशन आ.दि. 9.12.17 ले.वि. 2/18पृष्ठ 3

(31) 1.1.2016 से पूर्व पेंशन आहरित करने वाले पेंशनरों को पेंशन रीविजन के आदेश (आ.दि. 6.6.18 ले.वि. 7/18 पृष्ठ 7)

(32) जनवरी 2016 से पूर्व के पेंशनरों क पेंशन संशोधन की प्रक्रिया (आ.दि. 18.7.18 ले.वि. 7/18 पृष्ठ 7)

(33) 1 जनवरी, 2016 से पेंशन रिवीजन करने हेतु संशोधित वेतन स्थिरीकरण टेबिल जारी वित्त (नियम) आ.दि. 5.10.18 ले.वि. 11/18पृष्ठ 7

(34) पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश आ.दि. 31.5.19ले.वि. 7/19पृष्ठ 7

(35) प्री-2016 के पेंशन रिवीजन हेतु सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम को अधिकृत (आ.दि. 5.2.19 ले.वि. 4/19 पृष्ठ 1)

(36) प्री-2016 के पेंशन रिवीजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.9.19 निर्धारित आ.दि. 1.7.19 ले.वि. 9/19 पृष्ठ 6

नई अंशदायी पेंशन योजना के संक्षिप्त नियम

एफ 13(1) एफडी/रूल्स/03 (पेंशन 5/05) दिनांक 2.8.05

1. ये नियम 1.1.04 से प्रवृत माने जायेंगे।

2. प्रभावी : दिनांक 1.1.04 के उपरान्त राज्य सेवा मे नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे।

3. प्रभावी नही

(ए) दैनिक,आकस्मिक एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों पर लागू नही

(बी) आकस्मिक व्यय से भुगतान वाले कर्मचारी।

(सी) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर।

(डी) अनुबन्ध पर नियोजित कार्मिकों पर।

(ई) ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति किसी सेवा शर्तो के अधीन हुई हो, जो सविधान द्वारा निर्मित कानूनो के अनुसार हो।

4. अनिवार्य पेंशन अंशदान :

(i) कार्मिको के वेतन से 10 की कटौती-वेतन+पे ग्रेड तथा महंगाई भत्ता सम्मिलित किया जायेगा। इतना ही अंशदान सरकार द्वारा जमा कराया जावेगा।

(ii) बिना निकासी के पेंशन खाते मे जमा होगा जो कोषालय ब्याज सहित निजी निक्षेप खाते मे जमा होगा।

5. योजना से निकासी : अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त होने निकासी होगी। वर्तमान मे 60 वर्ष की आयु है। इस तिथि से 40 रु IRDA द्वारा संचालित जीवन-बीमा निगम की वार्षिकी मे निवेश किया जावेगा जिसमे पेशंन देय होगी।

6.नोमीनी : प्रपत्र -I मे नोमीनेशन भरा जावेगा जिसमे स्वयं नाम, पता, पद, प्रथम नियुक्ति तिथि, नोमीनी का नाम आयु सम्बन्ध भरा जावेगा। कार्यालयाध्यक्ष समस्त नवीन नियुक्त कर्मचारियो से उक्त

सूचना प्राप्त कर प्रपत्र-II मे सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रस्तुत करेगें।

7. स्थाई सेवानिवृत्ति खात संख्या (PRAN) का आवंटन : इस योजना के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी एन-3 फार्म को पूर्ण कर केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंन्सी (CRA) के साथ पंजीकृत होगा। इस एजेन्सी के द्वारा ही नवीन अंशदायी पेंशन योजना की कटौतियों का संधारण किया जा रहा है। आहरण वितरण अधिकारी नियुक्ति के 2 वर्ष पश्चात् कार्मिक की प्रथम कटौती के साथ प्रपत्र एस-1 दो प्रतियों में पूर्ण कराकर राज्य कर्मचारियों हेतु बीमा विभाग तथा अन्य कर्मचारियों के लिये संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारी स्वयं (NSDL) को भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग अधिकृत है। सीआरए द्वारा कर्मचारियों को स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) का आवंटन किया जायेगा। (प. 4(12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट II दिनांक 30.9.2011)

8. अंशदान जमा की प्रक्रिया-(i) प्रत्येक कोष कार्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान के लिये एक पीडी खाता खोला जावे जिससे राशि आहरण के अधिकार संबंधित कोषाधिकारी के होंगे। कोषाधिकारी पीडी खाते से राशि आहरित कर दो चैक बीमा विभाग के जिलाधिकारी को भिजवायेंगे। प्रथम चैक राज्य कर्मचारी/जिला परिषद एवं पंचायत समिति के कर्मचारियों की कटौती राशि का होगा तथा द्वितीय चैक जिले में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के एनपीएस खाता धारकों के अंशदान राशि का होगा यह चैक उपनिदेशक एनपीएस जयपुर के नाम से SBBJ कलक्ट्रेट जयपुर में खोले गए खाता सं. 61130313884 में सबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जमा कराया जाएगा। (प4(8) बिल/राजस्व/05पार्ट दि. 12.10.2011)

(ii) मार्च देय अप्रेल, 2012 के वेतन से राजकीय सह अंशदान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पृथक से बिल नहीं बनाया जायेगा। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिये राजकीय अंशदान एक मुश्त आहरित किये जाने के लिये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को अधिकृत किया गया है। (प. 4(12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट II दिनांक 15.3.2012)

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का एनपीएस में निजी अंशदान निम्न बजट मद में जमा किया जायेगा-8342 अन्य जमा 117-सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित पेंशन योजना (01)-अखिल भारतीय सेवा के लिये अनिवार्य टीयर-1

(iv) स्वयत्तशाषी संस्थाओं में पदस्थापित होने पर नियोक्त का अंशदान संबंधित संस्थाओं द्वारा ही देय होगा। आ.दि. 26.2.2012

(v) समस्त राजकीय उपक्रम स्वायत्तशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों जिनके कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है। वे नियमित अंशदान की राशि प्रतिमाह ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इण्डिया) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आ.दि. 29.5.2012

9. नवीन पेंशन योजना में नियुक्त कार्मिकों की मृत्यु/अशक्तता होने पर प्रोवीजनल/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी आ.दि. 9.6.15 (ले.वि. 7/15 पृष्ठ 10)

10. अखिल भारतीयसेवा के अधिकारियों का नियोक्ता का पेंशन अंशदान 14 प्रतिशत होगा। आ.दि. 30.8.19 ले.वि. 10/19 पृष्ठ 13

पेंशनरों की पुर्ननियुक्ति पर वेतन निर्धारण व अन्य परिलाभों की देयता

F. 12 (6)FD/Rules/2009(Pension 07/2014)
dated : 22.9.14

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2014.

2. These rules shall come into force with immediate effect.

3. In the aforesaid rules -

(i) Below existing Rule 151, the following 'Government of Rajasthan's Decision' shall be inserted, namely :-

"Government of Rajasthan's Decision

In the following cases re-employment shall be made after prior approval of Department of Personnel and Finance Department.-

1. Re-employment of retired officers and employees in regulatory Commission/Administrative and other Tribunals etc.

2. Re-employment of retired officers and employees as senior personal staff of the Ministers coterminus to the tenure of Ministers.

3. Re-employment of ex-servicemen as Secretary, District Soldiers Board or other who held post not below the rank of Commissioned officers in the Defence Forces.

4. Re-employment of retired Judge, as Judge District, Consumer Forum or in other semi judicial /judicial forums.

5. Re-employment of retired officers in the Enquiry Commission coterminus with the period of Commission.

6. Re-employment of retired persons as Chairman and Member of the Commission constituted under Law.

7. Re-employment of retired officers with exceptional abilities and skills needed for specific assignments.

8. Employment of retired persons of more than 65 years of age in exceptional cases.

(ii) The existing clause (b) of Rule 152 shall be substituted by the following :-

(b) Pay on re-employment of a pensioner shall be fixed on the basis of pay last drawn (sum of pay in running pay band and grade pay) by him at the time of retirement minus the pension.

(ii) The existing clause (d) of Rule 152 shall be deleted.

(iv) The existing Rule 153 shall be deleted.

(v) The existing Rule 155 shall be deleted.

(vi) The existing Rule 156 shall be substituted by the following, namely :-

156 (1) The drawal of DA, other allowances and facilities, if allowed shall be admissible on the net pay fixed under Rule 152 on re-employment under Rule 151.

(2) Following allowances and facilities in appropriate cases shall be allowed to persons re-employed under Rule 151 after specific approval of Finance Department on case to case basis :-

1. House Rent Allowance

2. Telephone Facility - 50% of facility allowed to officers of equivalent rank

3. Transport Facility

4. Medical Facility - only in cases where Medical facility to retired employee is not available under Rajasthan Pensioners Medical Scheme /under CGHS.

Government of Rajasthan's Decision

Following allowance and facility shalt not be admissible during the period of reemployment:-

1. City Compensatory Allowance

2. Facility of News paper and Magazine"

(vii) The existing Rule 158 shall be substituted by the following, namely .-

"Rule 158 - Leave and leave salary

in the case of persons re-employed after retirement, the provisions contained in the Rajasthan Service Rules regarding leave and leave salary shall apply except the following:-

1. Encashment of balance of PL during the period of re-employment

2. Encashment of balance of PL on expiry of re-employment

3. Medical Leave"

अन्य परिपत्र

1. पुनः नियुक्ति पर मकान किराया भत्ता देय नहीं आ.दि. 22.9.14 ले.वि. 10/14 पृष्ठ 5

2. पुनः नियुक्ति पद क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं आ.दि. 22.9.14 ले.वि. 10/14 पृष्ठ 5

3. पुनः नियुक्ति व संविदा नियुक्ति पर अवकाश का प्रावधान समाप्त आ.दि. 22.9.14 ले.वि. 10/14 पृष्ठ 5

4. सेवानिवृत्ति के पश्चात पुर्ननियुति हेतु केबिनेट के स्थान पर कार्मिक तथा वित्त एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का अनुमोदन आवश्यक होगा कार्मिक विभाग का आ.दि. 31.3.15 (ले.वि. 5/15 पृष्ठ 19)

5. पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति होने पर भी पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी। आ.दि. 27.6.18 ले.वि. 7/18 पृष्ठ 1

6. पे-माइन्स पेंशन पर पुर्ननियुक्त कार्मिकों को अन्य पद का कार्य नहीं दिया जावे। कार्मिक विभाग का आ.दि. 10.1.19 ले.वि. 2/2019 पृष्ठ 15

वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन योजनाओं के नये दिशा-निर्देश

वृद्धावस्था

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रु. प्रतिमाह
   75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रु. प्रतिमाह

विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन

1. 18 वर्ष या अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को 500 रु. प्रतिमाह
2. 60 वर्ष या अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम की विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को 1000 प्रतिमाह
3. 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशनर को 1500 रु. प्रतिमाह

आ.दि. एफ 9(5)(12-1) सासुचे, नियम/सा.न्या.अ.वि./2013-14/13476 दि. 20.1.19 ले.वि. 2/19 पृष्ठ 35

विशेष योग्यजन पेंशन

1. अन्य विकलांगता 750 प्रतिमाह
2. कुष्ठ रोग युक्त विशेषयोग्यजन (40% विकलांग होनी चाहिए) 1500 प्रतिमाह

आ.दि. एफ 9(5)(12-1) सासुचे, नियम/2013-14/1057

26.4.18 (ले.वि. जुलाई 2018 पृष्ठ 29)

विशेष योग्यजन पेंशन हेतु पात्रता

1. 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता।
2. राजस्थान का मूल निवासी।
3. समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 60000 तक हो।
4. केन्द्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल/अन्त्योदय परिवार/आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य हो।
5. प्राकृतिक रूप से बौनापन (वयस्क व्यक्ति के मामले में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम) हो।
6. पति/पत्नी या पुत्र राजकीय सेवा में नहीं हों

वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता

1. 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष।
2. राजस्थान का मूल निवासी हो।
3. सभी स्रोतों से आय 48000/- वार्षिक से अधिक न हो।
4. पति/पत्नी या पुत्र राजकीय सेवा में नहीं हो।
5. केन्द्रीय बीपीएल/राज्य बीपीएल/अन्त्योदय परिवार/ आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य हो।

विधवा परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला को पेंशन हेतु पात्रता

1. 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवार/परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो।
2. केन्द्रीय बीपीएल/ राज्य बीपीएल/ अन्त्योदय परिवार/आस्था कार्डधारी परिवार की सदस्य हो।
3. एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो।
4. जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो एवं समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु. 48000 से अधिक ना हो।
5. ग्रामीण क्षेत्र में परित्यक्ता हेतु ग्राम सचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी परित्यक्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. शहरी क्षेत्र की परित्यक्ता हेतु स्थानीय नगर निकाय के अधिशापी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके प्रतिनिधि (जोन आयुक्त) एवं वार्ड पार्षद तथा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना हेतु पात्रता

1. प्रार्थी जिले का निवासी हो
2. बेसहारा एवं अत्यन्त दयनीय स्थिति में रहने वाली महिला व पुरुष जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो।
3. परित्यक्ता माता-पिता
4. सन्तानहीन, पूर्णत: निराश्रित, दीनहीन

देय लाभ

8 वर्ष तक आयु के लिए- 250/-
8 वर्ष से 18 वर्ष के लिए- 500/-
18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के लिए-750/-

अन्य देय लाभ

- योजनान्तर्गत ऐसे महिला एवं पुरुषों को अधिकतम एक बार रु. 2000 तक की आर्थिक सहायता
- जो व्यक्ति पेंशन योजनान्तर्गत कवर नहीं होते हैं उन व्यक्तियों (वृद्ध महिला एवं पुरुष) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अनुदानित डे-केयर सेन्टर/वृद्धाश्रमों में प्रवेश की सुविधा।
- ऐसे निराश्रित व्यक्ति यदि वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन नियमों के अन्तर्गत पा9ता रखते हैं तो. उन्हें संबंधित योजना में पेंशन की स्वीकृति चिन्हित करने के एक माह के अन्दर जारी की जावेगी।

जांच अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार जांच अधिकारी होंगे।
- शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी जाँच अधिकारी होंगे।

स्वीकृति कर्ता अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी।
- शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी।

REDMI NOTE 6 PRO MI DUAL CAMERA

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (बेरोजगारी भत्ता)

पुरुष/ प्रार्थी *3000 रु. प्रतिमाह

महिला एवं विशेष योग्यजन (नि:शक्तजन) *3500 रु. प्रतिमाह

पात्रता (1) राजस्थान का मूल निवासी

(2) स्नातक होना चाहिए

(3) सेवारत/स्वरोजगार नहीं होना चाहिए

(4) आयु सीमा 30 वर्ष एससी/एसटी/विकलांग महिला 35 वर्ष

(5) 2 वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु (* आ.दि. 3.2.19 ले.वि. 3/19 पृष्ठ36 एवं 11.8.19 ले.वि. 7/19 पृष्ठ 27)

स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन तथा चिकित्सा सहायता

	20.2.19 से
सम्मान पेंशन	25000 प्रतिमाह
चिकित्सा सहायता	5000 प्रतिमाह

आ.दि. प. 4(4) सा.प्र./6/08 दि. 20.2.19 (ले.वि. 4/19 पृष्ठ 1)

(1) स्वतंत्रता सेनानी व उनकी विधवाओं के साथ एक संरक्षक को निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा आ.दि. 8.1.14 (ले.वि. फरवरी 14 पृष्ठ 28)

(2) गलेण्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्तियों को निगम की सभी श्रेणियों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा आ.दि. 8.1.14 ले.वि. फरवरी 14 पृष्ठ 28

लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019

75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर- 750 रुपए प्रतिमाह

75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर 1000/- रुपए प्रतिमाह

आ.दि. एफ 9(05)(12-/सासुपे/नियम सा.न्या.अवि/2014-15/14385 दि. 23.2.19ले.वि. 3/19पृष्ठ 13)

मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता स्वीकृत करने के नियम व निर्देश

गम्भीर रोगों के उपचार हेतु सहायता

राजस्थान राज्य के नॉन बीपीएल रोगियों जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख (दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी) तक है,को प्रमुख सरकारी एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयें में हृदय रोग, गुर्दा रोग/प्रत्यारोपण,कैंसर, इत्यादि गम्भीर रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से सहायता स्वीकृत की जाती है। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है:-

- रोगी अथवा मुखिया का सहायता स्वीकृति हेतु साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र। प्रपत्र-1
- सरकारी/मान्यता प्राप्त चिकत्सालय से सम्भावित चिकित्सा व्यय पत्र। प्रपत्र-2
- राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परिवार की आय का मूल उद्घोषण पत्र। प्रपत्र-3 या
- तहसीलदार के द्वारा जारी परिवार की वार्षिक आय का मूल अथवा सत्यापित प्रमाण पत्र (उपरोक्त दोनों में से कोई भी एक)
- परिवार की वार्षिक आय की घोषणा का शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित, राशि रु. 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर। प्रपत्र-4
- राशन कार्ड की प्रति।
  (रोगी का नाम राशन कार्ड में अंकित नहीं होने की स्थिति में पृथक से शपथ पत्र संलग्न करें)

उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन पत्र मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्राप्त होने पर निम्न प्रक्रिया अनुसार सवाई मानसिंह चिकित्सालय की दरों के आधार पर सहायता स्वीकृत कर संबंधित चिकित्सालय को भिजवा दी जाती है एवं स्वीकृति की प्रतिरोगी/संबंधित को पृष्ठांकित की जाती है:-

- राज्य के प्रमुख सरकारी/मुख्यमंत्री सहायता कोष से मान्यता प्राप्त चिकत्सालयों में सहायता स्वीकृत की जाती है। प्रपत्र-5
- संभावित चिकित्सा व्यय पत्र का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम सहायता रु. 1.00 लाख (दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी) जो भी दोनों में से कम हो सहायता स्वीकृत कर सम्बन्धित चिकित्सालय को भिजवा दी जाती है।
- हृदय के एक वाल्व परिवर्तन हेतु अधिकतम सहायता राशि रु. 40,000
- हृदय के दो वाल्व परिवर्तन हेतु अधिकतम सहायता राशि रु. 60,000
- गुर्दा रोग/प्रत्यारोपण, हृदय, कैंसर एवं अन्य गभीर रोगों के उपचार हेतु अधिकतम सहायता की सीमा रु. 1.00 लाख है। आवर्तक सहायता देय नहीं है।
- गुर्दा प्रत्यारोहण हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के संभावित चिकित्सा व्यय पत्र का शत-प्रतिशत या अधिकतम सहायता राशि रु. 1.00 लाख जो भी दोनों में से कम हो।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहायता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की दिनांक से सहायता स्वीकृत की जाती है।
- चिकित्सालय में भर्ती रहते हुए यदि सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् भर्ती दिनांक से सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर भर्ती दिनांक से सहायता स्वीकृत की जाती है।
- रोगोपचार पूर्ण होने/ डिस्चार्ज होने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष से रोगोपचार हेतु जारी की जा रही स्वीकृतियों की प्रति संबंधित रोगी के अतिरिक्त संबंधित जिला कलक्टर, तहसीलदार/संबंधित दो गवाहों को पृष्ठांकित की जाती है।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

- रोगी के भर्ती रहते हुए आवेदन करने एवं अल्प अवधि में डिस्चार्ज होने के पश्चात् स्वीकृत की गयी सहायता राशि संबंधित चिकित्सालय द्वारा लौटा दिये जाने की स्थिति में संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से सहायता राशि का भुगतान कराया जाता है।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जा रही समस्त प्रकार की स्वीकृतियों की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर www.cmrelief.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- माननीय मुख्यमत्री जी के आदेशानुसार किसी भी चिकित्सालय में राशि रु. 1.00 लाख से अधिक राशि की सहायता भी स्वीकृत की जा सकती है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपरोक्तानुसार केवल हृदय रोगोपचार हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में स्वीकृत की गयी सहायता राशि के अतिरिक्त नाथद्वारा मंदिर मण्डल ट्रस्ट, सांवलिया जी मंदिर मण्डल ट्रस्ट, राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल कॉर्पोरेशन तथा देवस्थान विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान स्वरूप दी गयी राशि में से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की अनुशंषा के आधार पर अधिकतम रु. 20,000 तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।

सहायता स्वीकृत करने के पश्चात् राशि का उपयोग नहीं होने की स्थिति में पूर्ण राशि एवं उपयोग पश्चात् अवशेष राशि को चिकित्सालय से वापस मंगवा लिया जाता है।

सामान्य सहायता

मुख्यमंत्री सहायता कोष से रोगोपचार एवं दुर्घटना सहायता के अतिरिक्त शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रतिभा के विकास, खेलकूद आयोजन, युवा शक्ति के रचनात्मक कार्य, घृणित/जघन्य अपराध पीड़ितों एवं अन्य विविध प्रयोजनों हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सहायता दी जाती है।

राजस्थान राज्य के बीपीएल/नॉन बीपीएल रोगियों जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख तक है, को मुख्यमंत्री सहायता कोष से कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हेतु शत-प्रतिशत सहायता सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में दी जा रही है।

शहीद सैनिक परिवारों/विकलांग सैनिकों को सहायता

दिनांक 1.04.1999 से कारगिल युद्ध एवं अन्य ऑपरेशनों में शहीद सैनिक के परिजनों/विकलांग सैनिकों को कारगिल पैकेज के अनुसार निम्न प्रकार सहायता स्वीकृत की जा रही है:-

1.	शहीद की पत्नी को तत्काल सहायता	1.00 लाख
2.	25 बीघा जमीन/आवासन मण्डल का मकान नहीं लेने पर शहीद के आश्रित को	4.00 लाख
3.	शहीद के माता-पिता को पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में जमा	1.50 लाख
4.	युद्ध में स्थाई रूप से विकलांग सैनिक को तत्काल सहायता	0.25 लाख
5.	स्थाई रूप से विकलांग सैनिक को 25 बीघा जमीन नहीं लेने के एवज में	4.00 लाख

सैन्य महाविद्यालय, देहरादूर में अध्ययनरत राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री सहायता कोश से सैन्य महाविद्यालय, देहरादूर में अध्ययनरत राज्य के छात्रों को प्रति छात्र रु. 9,300 की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है।

सामान्य भत्ता

मुख्यमंत्री सहायता कोष से कारगिल युद्ध से पूर्व के अन्य युद्धों में शहीद सैनिकों की विधवाओं/अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को रु. 900 की दर से सम्मान भत्ता दिया जाता है।

प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना में मृत्यु एवं घायल होने पर सहायता

मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना में मृत्यु/घायल होने पर तत्काल सहायता देने हेतु जिला कलक्टरों को रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया हुआ है, जिससे सहायता के भुगतान पश्चात् मुख्यमंत्री सहायता कोष से पुनर्भरण किया जाता है। दुर्घटना में मृतक के आश्रित एवं घायल को निम्न प्रकार सहायता स्वीकृत की जाती है:-

- दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को राशि रु. 50,000
- दुर्घटना में गंभीर घायल होने पर राशि रु. 10,000
- दुर्घटना में साधारण घायल होने पर राशि रु. 500 से रु. 2,500 तक।

नोट :- अगर परिवार सक्षम है तो सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है।

हत्या के प्रकरणों में सहायता

सामान्यत: हत्या के प्रकरणों में सहायता नहीं दी जाती है, विशेष प्रकरणों में ही सहायता स्वीकृत की जाती है:-

1. परिवार के कमाऊ सदस्य ही हत्या होने पर।
2. परिवार की वार्षिक आय राशि रु. 24,000 से कम हो।
3. हत्या के मामले में हरिजन अत्याचार के अन्तर्गत परिवार को सहायता मिल रही है तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देय नहीं है।
4. जिला कलक्टर के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि रु. 10,000 तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अपवादस्वरूप किसी भी सीमा तक सहायता स्वीकृत की जा सकती है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष मान्यता प्राप्त चिकत्सालयों की सूची

क्र.सं.	चिकित्सालयों के नाम
1.	बेस चिकित्सालय, दिल्ली
2.	भारत विकास परिषद चिकित्सालय, कोटा
3.	बोम्बे हॉस्पिटल, मुम्बई
4.	चौइथराम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, इन्दौर
5.	क्रिस्चियन मेडिकल कॉलेज, वैल्लोर
6.	एस्कार्टस हार्ट इन्सटिट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली
7.	जी.बी. पंथ चिकित्सालय, नई दिल्ली
8.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो चिकित्सालय, नई दिल्ली

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
2020/2/19 12:14

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प.5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर, दिनांक : 31 MAY 2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य में वर्तमान में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है। इन नियमों के नियम–2(ग) में आश्रित की परिभाषा निम्नानुसार है :–

> "आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे"

इन्हीं नियमों के नियम–5 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2015) में निम्नानुसार प्रावधान है :–

> "यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु एवं आश्रित की नियुक्ति के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो, परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।"

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित पुत्र द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाही जा रही है, जिसकी पत्नी पहले से ही नियोजित (नियम–5 में यथा परिभाषित) है। ऐसे में यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या ऐसे पुत्र को नियम–2(ग) के तहत राज्य कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित माना जावे ?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि भविष्य में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

18/2016

क्र.प.उ.....

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक.प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक 2.6.2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष, सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित।

परिपत्र

विषयः–राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी के स्थाईकरण, परिवीक्षाकाल, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में।

किसी राजकीय कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके आश्रित को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत उसकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार किसी पद पर संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानानुसार नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है।

उक्त नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी के स्थाईकरण, परिवीक्षाकाल एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है किन्तु इनकी नियमित नियुक्ति कब से मानी जावे इसका प्रावधान न तो उक्त नियम में है और न ही संबंधित सेवा नियमो में है, जिनके अन्तर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में भी इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः कतिपय विभागाध्यक्षो एवं नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, स्थाईकरण, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में अलग अलग मापदण्ड निर्धारित किये जा रहे है जिससे ऐसे प्रकरणो में विसंगतिया उत्पन्न होने के कारण न्यायिक विवाद की संभावना बनी रहती है। उपर्युक्त विषय में विभिन्न विभागों द्वारा प्रकरण कार्मिक विभाग में राय/मार्गदर्शन हेतु भी प्रेषित किये जा रहे है।

अतः कार्मिक विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणो का नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, स्थाईकरण, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में स्पष्टीकरण एवं नियम निवर्चना निम्नानुसार की जाती है–

क्रमांक	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	मृतक आश्रित कर्मचारी की नियुक्ति नियमित कब से होगी ।	अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेंगी।

2	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के संबंध में।	नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी ।
3	मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता के संबंध में ।	मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता, कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेगी।
4	मृतक आश्रित कर्मचारी के परिवीक्षाकाल के संबंध में ।	मृतक आश्रित कर्मचारी का परिवीक्षाकाल भी सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मचारी की भांति दो वर्ष का होगा किन्तु यदि वह दो वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो उसका परिवीक्षाकाल अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के प्रावधानानुसार उतनी ही अवधि का बढाया हुआ समझा जावेगा जितनी अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करता है।
5	मृतक आश्रित कर्मचारी के स्थायीकरण के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर उसका स्थायीकरण किया जावेगा।
6	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा /टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के संबंध में।	जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नही कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि देय होगी तथा कोई नकद संदाय नहीं किया जायेगा।
7	मृतक आश्रित कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा यदि नियमानुसार कम्प्यूटर योग्यता /टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है, तो उसकी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नियमानुसार देय है। किन्तु यदि उसने नियमों में विहित कम्प्यूटर योग्यता/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जब तक मृतक आश्रित कर्मचारी के द्वारा कम्प्यूटर योग्यता व टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही कर ली जाती है, तब तक उसे पदोन्नति देय नहीं होगी और जैसे ही वह कम्प्यूटर

		योग्यता/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, उसके बाद आने वाली अप्रैल के प्रथम दिन की स्थिति में उसे नियमानुसार पदोन्नति देय होगी। उदाहरणार्थ–किसी कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 5.8.2010 है और उसके द्वारा अनुकम्पा नियम 1996 के नियम 9 के अनुसार कम्प्यूटर योग्यता/ प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा दिनांक 5.8.14 को अर्जित की गई है तो उसे पदोन्नति 5.8.2014 के पश्चात आने वाली अप्रैल की स्थिति में देय होगी।
8	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने की स्थिति में पद सुरक्षित रखे जाने के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने और उससे कनिष्ठ के पदोन्नत होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जायेगा एवं बिन्दु संख्या 07 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में उक्त नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड , जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

31/2020

आवेदन-पत्र का प्रारूप

भाग - 1

1 मृतक राज्य कर्मचारी का नाम व पद

2 निधन की दिनांक एवं स्थान
(मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

3 विभाग का नाम जिसमें वह मृत्यु के समय कार्यरत था

4 मृत्यु के समय धारित पद तथा उसका वेतनमान

5 नियुक्ति का प्रकार : (स्थाई/ अस्थाई)

6 राजकीय सेवा मे प्रथम नियुक्ति का दिनांक

7 मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यो का विवरण:-
(केवल परिवार के सदस्यो के ही नाम लिखे जाये)

क्र.स.	नाम	मृतक से संबंध	जन्म दिनांक एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित/ अविवाहित	मासिक आय* रूपये
1						
2						
3						
4						
5						

* नियम 10(3) मे यथा विर्णित शपथ-पत्र संलग्न करे

भाग - 2

राजकीय सेवा मे नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण-

आवेदक की फोटो

1 नाम

2 आयु एवं जन्मतिथि

3 शैक्षणिक योग्यता
(प्रमाण-पत्र संलग्न करे)

4 मृतक राज्य कर्मचारी से सम्बन्ध

5 आवेदित पद का नाम व वेतनमान

स्थाई पता :-

आवेदक के हस्ताक्शर

भाग - 3

<u>यदि आवेदक विधवा स्वयं नही हे तो विधवा/अन्य आश्रितों की सहमति</u>

मैने आवेदन के भाग (1) व (2) मे उल्लिखित सूचना पढ ली है । भली प्रकार सुन ली है । आवेदक को नोकरी दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति है। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का घोषणा पत्र संलग्न है ।

विधवा के हस्ताक्षर

साक्ष्य: 1.

2.

भाग - 4

<u>विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि :-

(1) आवेदन पत्र विभाग में दिनांक ..... को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या ..... दिनांक ..... पर दर्ज है ।

(2) आवेदन पत्र मे अंकित सूचनायें मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख के अनुसार सही है । नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद ..... पद नियुक्ति का पात्र है ।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

भाग - 5

<u>विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र यदि आवेदन पत्र अन्य विभाग को भेजा जाना है</u>

प्रमाणित किया जाता है कि :-

(1) आवेदक आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र है किन्तु यह पद ..... विभाग मे नही है । अत: आवेदन पत्र .... को अग्रेषित किया जा रहा है ।

(2) मृतक कर्मचारी के नियम के पश्चात आज तक उसके स्थान पर किसी भी आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति नही दी गई है ।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

आवेदक का प्रमाण-पत्र

मै प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र के भाग (1) व (2) मे वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है । यदि भविष्य मे कोई भी तथ्य असत्य पाया जावे तो मेरी सेवाऐं समाप्त की जा सकेगीं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

साक्ष्य: 1.

2.

...

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राजस्थान मृत राज्य कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति नियम– 1996 के अर्न्तगत मृत राज्य कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणो को अधिनस्थ अधिकारियो द्वारा नियमो के परिपेक्ष्य में परीक्षण किये बिना निदेशालय को अग्रेषित कर दिए जाते है तथा निदेशालय द्वारा बार–बार आक्षेपो की पूर्ति हेतु आपको निर्देशित किया जाता रहता है, इस कारण प्रकरण निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणो के सम्बन्ध में निम्न निर्देशो की पालना हेतु आपको निर्देशित किया जाता है।

01.कार्मिक की मृत्यु के 90 दिवस में आवेदन करने के लिए मृतक आश्रित परिवार को अवगति प्रदान कर आवेदन करने का निवेदन करे तथा नियमो में निर्धारित आवेदन पत्र की प्रति तथा दिशा निर्देश साथ में संलग्न करे, साथ ही यह अवगत करावे कि 90 दिवस पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

02.आवेदक द्वारा 90 दिवस पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावे। इस सम्बन्ध में अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानो को भी अवगत करावे।

03.कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह प्रकरण का परीक्षण कर सम्पूर्ण औपचारिकताए पूर्ण करवावे।

04.ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर वरिष्ठतम लेखाधिकारी से प्रकरण का परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित 15 दिवस की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करे।

05.जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर वरिष्ठतम लेखाधिकारी से प्रकरण का परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित अधिकतम 30 दिवस की अवधि में उप निदेशक (प्राशि) को अग्रेषित करे।

06.उप निदेशक कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठतम लेखाधिकारी से परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित अधिकतम 15 दिवस में निदेशालय को अग्रेषित करे।

07.निदेशालय में आवेदन पत्र भिजवाने से पूर्ण भलीभांति परीक्षण कर लिया जावे कि प्रकरण पूर्ण है इस हेतु निदेशालय द्वारा निर्धारित परीक्षण सूची संलग्न प्रेषित है।

08.कर्मचारी की मृत्यु पश्चात सेवा समाप्ति आदेश तुरन्त जारी करे तथा उसकी प्रति रजिस्टर्ड डाक से निदेशालय को भिजवावे।

09.अवयस्क आवेदक का आवेदन पत्र लम्बित रखने का प्रावधान नही है अतः प्रकरण का निस्तारण कर मृतक आश्रित परिवार के वयस्क सदस्य को मृत्यु के 90 दिवस में ही आवेदन करने की राय प्रदान करे।

10.निर्धारित आयु–सीमा से अधिक आयु के प्रकरणो में नियुक्ति देय नही है। अतः इस प्रकार के प्रकरण निदेशालय को नही भिजवावे जावे।

संलग्नः– निर्धारित परीक्षण सूची

(राजेन्द्र डूडी)
वित्तीय सलाहाकर
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/16
दिनांकः– 20/2/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01.समस्त उप निदेशक (प्राशि)

02.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारीयो तथा संस्था प्रधानो को उक्त निर्देशो से अवगत करावे।

03.निजी सचिव, निदेशक महोदय,

04.निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार

05.रक्षित पत्रावली

(राजेन्द्र डूडी)
वित्तीय सलाहाकर
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

जॉच सूची

1. आवेदन पत्र नियमो में निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर भिजवावे।
2. आवेदक को नियुक्ति देने में सहमति का आश्रित परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों का शपथ–पत्र।
3. पेंशन राशि सहित परिवार की कुल आय का अलग अलग मदवार आवेदक का शपथ–पत्र।
4. नियुक्ति उपरान्त कोई अन्य आश्रित नियुक्ति का हकदार नही होने का आवेदक का शपथ–पत्र।
5. मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के नियम–5 के अनुसार निम्न शपथ–पत्र निर्धारित भाषा में ही देवें:–

   स्व0 श्री.....के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, सगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नही है, एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।
6. आक्षेप संख्या–5 में अंकित भाषा में जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।
7. नियुक्ति उपरान्त आश्रित परिवार के भरण–पोषण करने के संबध में आवेदक का शपथ–पत्र, स्पष्ट अंकित करावें कि भरण–पोषण नही करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त कर दी जावे।
8. आवेदक पुत्री होने पर अविवाहित होने का शपथ–पत्र प्रस्तत करें।
9. आवेदक यदि पत्नी है तो पुनः विवाह नही करने का का शपथ–पत्र।
10. मृतक कर्मचारी की सेवायें नियमित एवं निन्तर होने का कमांक/दिनांक सहित जि.शि.अ. कर प्रमाण–पत्र।
11. प्रार्थी की जन्मतिथि/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों की पठनीय प्रमाणित प्रति।
12. मृत्यु प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
13. शिथिलन की स्थिति में मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति होने का आवेदक का शपथ पत्र।
14. प्रकरण में शिथिलन की स्थिति में मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने की स्थिति में प्रदत्त प्रमाण पत्र।
15. मृतक राज्य कर्मचारी के सेवा समाप्ति आदेश की पठनीय प्रमाणित प्रति।
16. मृतक राज्य कर्मचारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का होने की स्थिति में जि.शि.अ.स्पष्ट प्रमाण–पत्र देवे–

    यह प्रमाणित किया जाता है कि मृतक कर्मचारी स्व श्री.....राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विधालय.....जिला.....में कार्यरत थे ये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के कार्मिक होते हुए राज्य कर्मचारी थे। ये पंचायती राज के कर्मचारी नही थे।
17. आवेदक द्वारा आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने पर औचित्य सहित शपथ–पत्र।
18. विभाग द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो औचित्य सहित कारण स्पष्ट करते हुए दोषी के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित करावे।
19. परिशिष्ट–1 पूर्ण भरकर परीक्षण उपरान्त जिशिअ तथा उप निदेशक की स्पष्ट अभिशंषा सहित भेजे।
20. आवेदक के विवाहित होने पर बच्चों का जन्मतिथि सहित विवरण का शपथ–पत्र।
21. मृतक कार्मिक के शिक्षा विभाग में चयनित/नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक आश्रित परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है किन्तु ध्यान में आया है कि अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा नियमों की भावना के विपरीत प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है । अतः मृतक आश्रित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं :–

1. कार्मिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर संस्था प्रधान कार्मिक परिवार को नियमों में निर्धारित आवेदन पत्र (प्रतिसंलग्न) आश्रित परिवार को भिजवाकर मृत्यु के **90दिवस** के भीतर पात्र आशार्थी का आवेदन करने की राय प्रदान करेगें ।
2. मृतक आश्रित परिवार द्वारा विद्यालय/कार्यालय में आवेदन करने पर निर्धारित विभागीय जांच सूची (प्रतिसंलग्न) के अनुसार प्रकरण का समुचित परिक्षण कर प्रकरण **15दिवस** की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें । जिसकी सूचना आवेदक को भी दी जावेगी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रकरण का नियमों के परिपेक्ष्य में विभागीय जांच सूची अनुसार अपनी स्पष्ट अभिशंषा परिशिष्ट '1' में कर प्रकरण **15दिवस** के अन्दर अपने मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करेगें । प्रायः ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपात्र आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमों के विपरीत आवेदन पत्र को अग्रेषित कर देते हैं जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि अपात्र आवेदन का आवेदन पत्र में नियुक्ति की अभिशंषा न की जावे । तथा प्रकरण का अपने स्तर पर निस्तारण करें ।
4. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने की अवधि से **एक सप्ताह** के भीतर आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ निदेशालय को भिजवावें ।
5. निदेशालय द्वारा प्रकरण की जांच में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उस कमी की पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने के साथ साथ आवेदक को भी सूचित किया जाता है । तदुपरान्त भी ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आक्षेपों की विधिवत पूर्ति किये बिना प्रकरण निदेशालय को भिजवा देते हैं । जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है ।
6. शिथिलन योग्य प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण किये बिना तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार किये बिना निदेशालय को प्रकरण भिजवा दिये जाते हैं जो राज्य सरकार स्तर पर आक्षेपित होकर प्राप्त होते हैं । इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण कर अपनी स्पष्ट जांच रिपोर्ट तथा अभिशंषा के साथ स्वयं प्रमाण पत्र जारी करें ।

7. प्रायः ध्यान में आरहा है कि अनेक जिला शिक्षा अधिकारी उनके स्तर पर वांछित प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी नहीं कर केवल प्रतिहस्ताक्षर करते हैं जो प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब का कारण बनता है । अतः जो प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जारी होने है उन्हें वे स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करें ।
8. निदेशालय द्वारा नियुक्ति अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् भी नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आवेदक से वांछित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करें तथा तत्काल नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करें ।
9. दिनांक 30.04.2016 तक विभाग में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2016 तक वाहक के साथ निदेशालय को भिजवा देंवे । इस संबंध में मंडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवावें कि 30.04.2016 तक प्राप्त समस्त प्रकरण भिजवा दिये गये हैं कोई भी प्रकरण अधिनस्थ कार्यालय में लंबित नहीं है । इसके पश्चात् पूर्व अवधि का प्रकरण प्राप्त होता है तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करावें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

क्रमांकः–शिविरा/मा/साप्र/ए–4/3901/मूल/विविध/2016 दिनांकः– 13.05.2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
3. अनुभाग अधिकारी सिस्टम एनेलेसिस को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर–:

कार्यालय आदेश :–

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए–5(51)कार्मिक/क–2/88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार लिपिक ग्रेड II 72 एवं 29 सहायक कर्मचारी कुल 101 अभ्यर्थीयों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1– राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे।

राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।

2– मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपकम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)

3– मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

4– कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण / भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02..01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

5– दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।

6– राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

7– संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ ए–11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।

17/5/16

8– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।

9– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।

10– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

11– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।

12– प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी ।

13– लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी।

14– लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा **नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।**

16– राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिशिचित करें।

17– यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18– माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

चूकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

7/5/16

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / साप्र / ए–4 / 3901 / नियुक्ति मूल / 2016 /

दिनांक : 13.05.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

(1) उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
(2) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
(3) संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
(4) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
(5) उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ... को संलग्न सूची (लिपिक ग्रेड II तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
(6) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रथम)..... ।
(7) स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
(8) अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
(9) रक्षित पत्रावली ।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद – लिपिक ग्रेड II

मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति/2016 दिनांक 13.05.2016 के तहत 72 लिपिक ग्रेड II पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है का विवरण (स्थिर पारिश्रमिक 8910 रुपये)

क्र. सं.	आवेदक का नाम,संबंध शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि	आवेदन की दि. तथा आवेदित पद	मृतक कर्मचारी का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मंडल
1	2	3	4	5	6
1	श्री शील स्वामी पुत्र बी.ए. 04.05.1995.	29.03.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री शशि स्वामी लिपिक ग्रेड II	23.02.16	बीकानेर
2	श्री अरूण कुमार तिवाडी, पुत्र, बीकॉम, 21.12.90	28.01.16 लिपिक ग्रेड II	श्री श्यामलाल तिवाडी, अ0, प्राशि	10.01.16	बीकानेर
3	श्री शिवकरण, पुत्र, बीए, 01.07.83	26.10.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मालाराम गोदारा, व0अ0, प्राशि	15.08.15	बीकानेर
4	श्री नितेश भारद्वाज, पुत्र, बीए, 16.11.96	01.01.16 लिपिक ग्रेड II	श्री बालचन्द शर्मा, अ0, प्राशि	26.11.15	बीकानेर
5	श्रीमती किरण देवी, पत्नी, सीसै, 05.08.86	30.11.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भाल सिंह, अ0, प्राशि	14.10.15	बीकानेर
6	श्री सुरजपाल सिंह, पुत्र, एम.ए., 20.02.1990	10.07.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री कैलाशचन्द्र सक	12.06.15	चूरू
7	श्री अशोक कुमार, पुत्र, सीसै, 15.06.89	20.05.13 लिपिक ग्रेड II	श्री रामप्रताप, अ0, प्राशि	13.04.13	चूरू
8	श्री विजय सिंह, पुत्र, सीसै, 08.09.95	05.05.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मान सिंह, अ0, प्राशि	13.02.15	चूरू
9	श्रीमती सुनिता शर्मा, पत्नी, सीसै, 02.10.68	29.10.12 लिपिक ग्रेड II	श्री राधामोहन शर्मा, अ0, प्राशि	02.08.12	चूरू
10	श्री मोहित मोर्य, पुत्र, बी. एस.सी. , 08.09.1993	09.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रमेश कुमार कलि	04.11.15	चूरू
11	श्री राजपाल, पुत्र, बी.ए. 01.01.1994	21.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामेश्वर लाल व.अ.	17.11.15	चूरू
12	श्री विजेन्द्रसिंह, पुत्र, सीसे, 27.04.1983	04.02.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री गिरधारी लाल का. स.	14.01.16	चूरू
13	श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र, बीए. 11.09.1985	23.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री सावन्त सिंह वलि	24.08.15	चूरू
14	रामावतार शर्मा, पुत्र, बीए 23.07.88	22.12.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती लक्ष्मीदेवी,स.क.	30.11.15	चूरू
15	श्री पुरुषोतम बलाई, पुत्र, सीसै, 05.10.1994	21.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती भगवती देवी सक	09.10.15	जयपुर
16	श्री मुकेश सैन, पुत्र, बी.ए. 10.10.1993	19.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री लक्ष्मीनारायण सैन सक	28.11.15	जयपुर
17	कुलदीप चौधरी, पुत्र बी.ए. 15.08.1994	12.01.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री रंगलाल जाट, अध्यापक	19.12.15	जयपुर

12/5/16

18	श्री मोहित कुमार पुत्र एम कॉम 08.09.1991	31.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामबाबु शर्मा वलि	27.09. 15	जयपुर
19	श्रीमती मीरा देवी पत्नि, बी.ए. 20.06.85	07.09.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रतनलाल कानिस्टेबल ड्राईवर	10.07. 15	जयपुर
20	श्रीमती अनीता मीणा, पत्नि, बी.ए. 07.06.1984	17.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री चतरलाल मीणा अध्यापक	04.11. 15	जयपुर
21	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र, सीसै, 05.07.1993	30.06.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री नन्नुमल शर्मा, स. क.	27.05. 15	जयपुर
22	श्री राहुल कुमार, पुत्र, बीएससी II, 27.12.96	20.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती सन्तारा खीचड़, अ0, प्राशि	12.10. 15	जयपुर
23	श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र, एमए, 24.06.79	15.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री राजेन्द्र कुमार, प्र0अ0, प्राशि	09.09. 15	जयपुर
24	श्री राहुल गांधी, पुत्र, सीसै, 06.08.90	28.11.14 लिपिक ग्रेड II	श्री भीमसेन गांधी, अ0, प्राशि	25.10. 14	जयपुर
25	श्री नितेश कुमार मुदगल, पुत्र, बीकॉम, 10.04. 92	03.07.14 लिपिक ग्रेड II	श्री प्रवीण कुमार शर्मा, प्र0अ0, प्राशि	02.06. 14	जयपुर
26	श्री कपिल सोलंकी पुत्र, सीसै. 19.05.1996	31.08.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री शैतानसिंह व्याख्याता	08.08. 15	जोधपुर
27	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र, सीसै. 27.03.1997	29.11.2014 लिपिक ग्रेड II	श्री होतीराम मेघवाल अध्यापक	01.11. 14	जोधपुर
28	श्री सुखदेव, पुत्र, सीसै, 05.03.90	03.08.15 लिपिक ग्रेड II	श्री रेवतराम, अ0 प्राशि	01.07. 15	जोधपुर
29	श्री अशोक कुमार, पुत्र, बीए, 22.08.81	16.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मूलाराम अ0, प्राशि	18.05. 15	जोधपुर
30	श्री सुभाष कुमार, पुत्र, एमए, 05.07.85	23.07.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भागूराम, शाशि0 प्राशि	30.06. 15	जोधपुर
31	श्री सुरेश कुमार, पुत्र, सीसै, 27.11.88	27.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्री बाबूलाल, प्र0अ0, प्राशि	30.01. 15	पाली
32	श्री अभिषेक सेन, पुत्र, सीसै, 19.07.96	12.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती चन्द्रकान्ता सेन, अ0, प्राशि	13.02. 15	पाली
33	सीमा बिश्नोई, पुत्री, सीसै, 26.09.95	05.06.13 लिपिक ग्रेड II	श्री पूनमाराम बिश्नोई, अ0, प्राशि	28.04. 13	पाली
34	श्री रवि सैन, पुत्र, सीसै, 10.06.1993	04.08.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री पारस मल नाई व्याख्याता	20.06. 15	पाली
35	श्री राकेश, पुत्र, बीए, 29.07.91	19.08.13 लिपिक ग्रेड II	श्री शोभाराम, अ0, प्राशि	09.07. 13	पाली
36	श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र, सीसै, 16.08.1981	03.02.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री हुकमसिंह अध्यापक	01.01. 16	पाली
37	सुश्री इन्दिरा कुमारी पुत्री, सीसै, 13.03.1997	22.01.2016, लिपिक ग्रेड II	श्री भूराराम वरिष्ठ अध्यापक	12.12. 15	पाली
38	श्रीमती ललिता गोस्वामी, पत्नि, सीसै, 02.03. 1979	24.02.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री विक्रम पुरी वअ	16.12. 14	पाली
39	श्री अनुपम मिश्रा, पुत्र, एमए, 11.05.83	03.04.14 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती उमारानी शर्मा, अ0, प्राशि	06.03. 14	अजमेर
40	श्री पवन कुमार गुर्जर, पुत्र, सीसै, 06.11.91	26.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती मधुबाला धाभाई, अ0, प्राशि	19.05. 15	अजमेर

17/5/16

41	श्री अरमान खॉन, पुत्र, सीसै, 04.07.1995	04.02.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री अनवर खॉन, व्याख्याता	30.11.14	अजमेर
42	श्रीमती रेणू, पत्नि, बीएससी, 03.05.1972	17.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री विनोद सिंह राजावत कलि	27.11.15	अजमेर
43	श्री अजयकुमार शर्मा, पुत्र, बी.ए. 01.05.1991	10.07.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री कैलाश चन्द शर्मा चश्रे	11.06.15	अजमेर
44	श्री सुनीलकुमार पुत्र, बीए, 09.07.1994	19.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री छीतरमल शर्मा वअ	16.11.15	अजमेर
45	दिलीप सिंह, पुत्र, बीए, 02.03.90	30.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्री जस्साराम बुराणिया, व0अ0	08.01.15	अजमेर
46	श्री कृष्णा टाक, पुत्र, सीसै, 24.11.95	22.04.15, लिपिक ग्रेड II	श्रीमती अनिता टाक, अ.	05.04.15	अजमेर
47	विक्रम सिंह, पुत्र, सीसै, 02.01.92	10.02.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भवर सिंह, प्र0अ0,	19.11.14	अजमेर
48	मो0 शबीर खान, पुत्र, सीसै, 04.06.87	01.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मो0 शकूर, व0अ0	26.04.15	अजमेर
49	फिरोज काठात, पुत्र, सीसै, 23.09.94	28.09.15 लिपिक ग्रेड II	श्री साबू काठात, क0लि0	18.08.15	अजमेर
50	श्री संदीप फिडौदा, दत्तकपुत्र, बीए, 01.01.1996	09.04.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामकैलाश वशाशि	26.01.15	अजमेर
51	श्रीमती सीमा चौधरी, पत्नि, बीए, 02.06.1989	26.06.2014 लिपिक ग्रेड II	श्री खुशीराम चौधरी कानिस्टेबल	16.05.14	अजमेर
52	श्री दीपक कुमार, पुत्र, सीसै, 05.08.92	31.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री किशनालाल अध्यापक	11.12.15	भरतपुर
53	श्री नमन पचौरी, पुत्र, सीसै, 25.02.96	13.10.2014 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती लता दुबे, व.अ.	11.08.14	भरतपुर
54	कुमारी सपना शर्मा, पुत्री, एमए, 05.08.1991	22.01.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री ऋषिलाल शर्मा वअ	18.11.14	भरतपुर
55	श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा, दत्तकपुत्र, बीकॉम, 11.09.1992	19.09.2012 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा, चश्रेक	19.08.12	भरतपुर
56	कु0 नेहा शर्मा, पुत्री, एमए, 25.07.89	02.07.15, लिपिक ग्रेड II	श्री कौशल किशोर गौड, प्र0अ0	13.06.15	भरतपुर
57	श्रीमती रश्मि गुप्ता, पत्नि, एमए, 03.07.1971	08.01.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री राधेश्याम गुप्ता प्रअ	15.11.15	कोटा
58	श्री लवलेश पाठक, पुत्र, बीए, 26.06.1990	20.11.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री पुरुषोतम पाठक कलि	31.10.15	कोटा
59	श्रीमती तनूजा, पत्नि, बीए, 20.12.1974	05.12.15 लिपिक ग्रेड II	श्री अजय कुमार, प्रधानाचार्य	10.11.15	कोटा
60	सुरभि कुकरेजा पुत्री, बीकॉम, 05.01.1994	31.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती कृष्णा माखीजा अध्यापिका	14.12.15	कोटा
61	श्री साहिल मो0, पुत्र, सीसै, 18.09.95	10.09.12 लिपिक ग्रेड II	श्री अशफाक मो0, शाशि, प्राशि	16.06.12	कोटा
62	श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र, सीसै, 01.07.93	12.08.10 लिपिक ग्रेड II	श्री मन्शाराम नागर, प्र0अ0, प्राशि	26.05.10	कोटा
63	श्री हर्षित अहारी, पुत्र, बीए, 09.05.1992	13.06.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री मगनलाल प्राध्यापक	02.05.15	उदयपुर

12/5/16

64	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र, सीसै, 17.07.1977	03.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री महेश चन्द प्राध्यापक	07.11.15	उदयपुर
65	श्रीमती रेणुका जैन, पत्नि, एम ए, 06.06.1970	14.09.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री विमल प्रकाश जैन, आर्युवेद चिकित्सक	12.07.10	उदयपुर
66	श्रीमती कोमल मेघवाल, पत्नि, सीसै, 10.10.1997	16.05.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री राकेश गहलोत चश्रेक	25.02.15	उदयपुर
67	श्री अभिषेक कुमार, पुत्र, सीसै, 11.12.1994	18.04.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री सुप्रिम कुमार, यअ.	16.03.15	उदयपुर
68	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि बीकॉम, 10.08.82	10.09.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री जीवतराम शाशि	07.08.15	उदयपुर
69	मनीष मेहता, पुत्र, एमकॉम, 26.05.77	01.01.16, लिपिक ग्रेड II	श्री ओमप्रकाश जैन, व0लि0	24.11.15	उदयपुर
70	नवरतन कुमार, पुत्र, बीएससी, 10.12.86	12.01.16, लिपिक ग्रेड II	श्री घनश्याम खटीक, प्र0अ0, प्राशि	19.12.15	उदयपुर
71	श्रीमती ज्योति सोनी, पत्नी, एमए, 30.06.90	05.02.16, लिपिक ग्रेड II	श्री सम्पत लाल सोनी, अ0 प्राशि	13.01.16	उदयपुर
72	मो0 साहिल शेख, पुत्र, सीसै, 24.03.98	10.08.15, लिपिक ग्रेड II	श्री मो0 यूसूफ शेख, क0लि0, प्राशि	30.06.15	उदयपुर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद – च. श्रे. क

मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति/2016 दिनांक 13.05.16 के तहत 29 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है का विवरण (स्थिर पारिश्रमिक 6670 रुपये)

क्र. सं.	आवेदक का नाम,संबंध शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि	आवेदन की दि. तथा आवेदित पद	मृतक कर्मचारी का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मंडल
1	2	3	4	5	6
1	श्री मदनगोपाल हर्ष पुत्र, 8वी, 24.08.1980	08.01.2016 चश्रेक	श्रीमती चन्दा देवी, चश्रेक	26.12.15	बीकानेर
2	श्री गजेन्द्र गहलोत पुत्र, चौथी, 11.11.1985	13.01.2016 चश्रेक	श्रीमती माली कंवरी चश्रेक	03.12.15	बीकानेर
3	श्री विजेन्द्र लोट पुत्र, 7वीं, 02.07.1989	13.01.2016 चश्रेक	श्री अमरचन्द लौट चश्रेक	14.12.15	बीकानेर
4	श्री संदीप कुमार, पुत्र, 7वी., 02.05.1981	01.05.2015 चश्रेक	श्री रामप्रकाश अध्यापक	01.04.15	बीकानेर
5	श्री प्रकाश नायक, पुत्र, सातवी 10.01.97,	14.10.15 चश्रेक	जोगाराम, चश्रेक, प्राशि	25.08.15	बीकानेर
6	ओमप्रकाश, पुत्र, नवी, 05.06.78	19.11.15 चश्रेक	तुलसी राम, चश्रेक, प्राशि	19.10.15	चूरू
7	श्री नरेन्द्र, पुत्र 10वीं, 10.07.1995	28.01.2016 चश्रेक	श्री रामनिवास चश्रेक	20.12.15	चूरू
8	श्री दातार सिंह पुत्र, 8वीं, 05.07.1983	19.01.2016 चश्रेक	श्री शायर सिंह चश्रेक	19.12.15	चूरू
9	श्री लखवीर सिंह, पुत्र, पाचवी, 31.12.88	22.06.15 चश्रेक	श्री राधेश्याम योगी, चश्रेक	07.05.15	चूरू
10	श्री आशीष मीणा, पुत्र, 10वी फेल, 30.05.1990	28.10.2015 चश्रेक	श्री उमा शंकर चश्रेक	09.09.15	जयपुर
11	श्री सुरेन्द्र चौहान, पुत्र, 10वी, 01.02.1991	02.09.2015 चश्रेक	श्री अमरसिंह चश्रेक	11.08.15	जयपुर
12	श्रीमती शबनम बानो, पत्नि, 7वी, 28.02.1990	15.04.2015 चश्रेक	मोहम्मद राहिल हसन, चश्रेक	20.02.15	जोधपुर
13	श्री विकास टेलर, पुत्र, 8वीं, 06.02.1982	02.01.2015 चश्रेक	श्री कैलाश चन्द टेलर कलि	27.11.14	अजमेर
14	श्री पवन तुनवाल, पुत्र, 10वीं फेल, 31.08.1992	28.09.2015 चश्रेक	श्रीमती मुन्नी देवी चश्रेक	09.09.15	अजमेर
15	नरेश कुमार, पुत्र, आठवी, 26.09.79	07.07.15, चश्रेक	जगदीश प्रसाद, चश्रेक, प्राशि	22.03.15	अजमेर
16	श्रीमती केसर देवी, पत्नि साक्षर 01.01.1965	13.11.2014 चश्रेक	श्री दयाराम चश्रेक	10.09.14	भरतपुर
17	श्री कानसिंह पुत्र, 8वीं, 12.08.1988	20.04.2015 चश्रेक	श्रीमती लक्ष्मी बाई चश्रेक	25.02.15	कोटा
18	श्री ओम प्रकाश पुत्र, 7वी, 20.04.1988	14.01.2016 चश्रेक	श्री चन्द्र शेखर सोनी चश्रेक	09.12.15	कोटा
19	श्री दिनेश कुमार भील, पुत्र, 10वीं, 25.06.1993	31.08.2015 चश्रेक	श्री रामलाल भील, चश्रेक	05.08.15	कोटा
20	श्री धीरज मालव पुत्र, 8वीं., 05.07.1988	20.10.2015 चश्रेक	श्री रामरतन मालव अध्यापक	06.10.15	कोटा

21	श्रीमती मांगी बाई, पत्नि, चौथी फेल, 21.06.1988	15.02.2016 चश्रेक	श्री चौथमल गमेती, चश्रेक	29.11.15	उदयपुर
22	श्रीमती सुगना देवी, पत्नि, साक्षर, 10.05.1977	15.02.2016 चश्रेक	श्री मांगुसिंह, व.अ.	16.01.16	उदयपुर
23	विमला देवी, पत्नी, साक्षर, 12.06.78	30.04.15 चश्रेक	श्री विनोद कुमार, शशि, प्राशि	02.02.15	उदयपुर
24	श्री भगवतीलाल भाम्बी, पुत्र, आठवी, 28.06.73	23.11.06 चश्रेक	श्री मांगीलाल भाम्बी, अ0	22.09.06	उदयपुर
25	श्री अशोक कुमार, पुत्र, नवी, 02.01.90	26.09.13 चश्रेक	श्री लालचन्द मईडा, अ0, प्राशि	27.08.13	उदयपुर
26	श्री संदीप कुमार, पुत्र, आठवी, 19.11.93	27.02.15 चश्रेक	श्री सुरेशचन्द चश्रेक, प्राशि	01.01.15	उदयपुर
27	श्री विजय हरिजन, पुत्र, आठवी, 05.01.86	09.04.15 चश्रेक	श्री मांगीलाल चश्रेक, प्राशि	22.02.15	उदयपुर
28	श्री दिलीप कुमार मीणा, पुत्र, पांचवी, 01.01.92	15.02.14 चश्रेक	श्री तोलाराम, चश्रेक, प्राशि	23.12.13	उदयपुर
29	उमिया मीणा, पुत्री, पांचवी, 01.01.94	26.06.15 चश्रेक	श्री अमरेंग मीणा, चश्रेक, प्राशि	19.05.15	उदयपुर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प.5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर, दिनांक : 31 MAY 2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य में वर्तमान में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है। इन नियमों के नियम–2(ग) में आश्रित की परिभाषा निम्नानुसार है :–

"आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे"

इन्हीं नियमों के नियम–5 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2015) में निम्नानुसार प्रावधान है :–

"यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु एवं आश्रित की नियुक्ति के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो, परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।"

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित पुत्र द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाही जा रही है, जिसकी पत्नी पहले से ही नियोजित (नियम–5 में यथा परिभाषित) है। ऐसे में यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या ऐसे पुत्र को नियम–2(ग) के तहत राज्य कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित माना जावे ?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि भविष्य में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

18/2016

क्र.प.उ....

कार्यालय निदेशक, माध्यकि शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के पत्रांकः–प.12(1)शिक्षा–2/अनु.नियु.प्रयो.सहा./2016 दिनांक 27.03.2017 एवं 03.10.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के कुल 14 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के संमुख अंकित जिले में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित करेंगे:–

1 राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की जन्मतिथि, शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों /प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेंगे।

2 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर पदस्थापन उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11 व 12 के नामांकन के घटते हुए क्रम में) में किए जावें।

3 मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो कि पूर्णतः या भागतः केन्द्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित के नियुक्ति के समय पर) नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हो एवं न ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है। इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम–5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें।(मृतक की विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करने पर यह नियम लागू नहीं होगा।)

4 मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

5 आवेदक पति/पत्नी होने पर कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ पत्र(प्रारूप संलग्न)।

6 आवेदनकर्ता यदि विवाहित है तो आवेदक एवं पति/पत्नी (दोनों से) से बिन्दू संख्या–3 के अनुसार नियोजित नहीं होने का शपथ पत्र।

7 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

8 दत्तक पुत्र–पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।

9 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे(प्रारूप संलग्न)।

10 संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रोबेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये 18500/–प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।

13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

14 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा।

15 प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी।

16 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम– 1971 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए।

17 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।

18 आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र(प्रारूप संलग्न)

19 आवेदक द्वारा धुम्रपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र अन्य घोषणाओं के साथ(प्रारूप संलग्न)।

20 आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।

21 राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

22 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5(51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

23 आवेदक की सेवा–पुस्तिका में लाल स्याही से यह अंकित किया जावें कि श्री/सुश्री/श्रीमती——— को इनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों के भर्ती नियम–1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।

चूंकि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा है, अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन 15 दिवस के भीतर जारी कर प्रति निदेशालय को एवं संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–मूल आवेदन पत्र मय सूची

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/एफ–I/12247/अनु.नियु./प्र.शा.स/ग्रेड–III/2017 दिनांक 07-01-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान–जयपुर
2. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा———
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा————————को संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों **(प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रेषित अर्थना में जिलेवार विज्ञापित पदों को ध्यान में रखते हुए)** के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री————————————को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा————————कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

शिक्षा समाचार राजस्थान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवंटित जिले की सूची

दिनांक:– 07.01.2019

क्र.सं.	मृतक का नाम मय पदनाम व कार्यरत स्थान (रामावि/राउमावि)	कार्मिक की मृत्यु तिथि	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	नियुक्ति हेतु आवंटित जिला
1	स्व. डुंगरराम अध्यापक–III, राउमावि चकखारा, श्रीगंगानगर	10/2/2018	अभिषेक मेहरडा 12वी विज्ञान, जन्मतिथि 27.07.2000	पुत्र	03-05-18 Lab. Ass. III	GANGANAGER
2	स्व. वीणा खुगर, वरिष्ठ अध्यापक रामावि फतुही, श्रीगंगानगर	2/6/2018	श्वेता खुगर 12वी विज्ञान जन्मतिथि 20.07.89	पुत्री	24-07-18 Lab. Ass. III	JAIPUR
3	स्व. रूकमणी शर्मा पुस्तकालयध्यक्ष, राउमावि झोटवाडा, जयपुर	1/9/2018	विजयकृष्ण शर्मा बी.एस.सी. जन्मतिथि 10.07.84	पुत्र	01-10-18 Lab. Ass. III	JAIPUR
4	स्व. चन्दरलाल मीणा वरिष्ठ अ. राउमावि सेहरा, लक्ष्मणगढ,अलवर	28-05-18	लोकेश कुमार मीणा 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 19.04.99	पुत्र	04-07-17 Lab. Ass. III	ALWAR
5	स्व. विद्यानन्द प्रधानाचार्य राउमावि जौनायचाखुर्द, अलवर	29-05-18	जितेन्द्र वर्मा बी.एस.सी जन्मतिथि 27.05.84	पुत्र	11-07-18 Lab. Ass. III	ALWAR
6	स्व. रमेश वरिष्ठ अध्यापक राउमावि नागौरी गेट, जोधपुर	15-08-18	उत्तम रूणवाल 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 07.08.97	पुत्र	11-10-18 Lab. Ass. III	JODHPUR
7	स्व. श्यामदास वैष्णव अध्यापक राउप्रावि जसपाली, पीपाडशहर, जोधपुर	29-05-18	नृसिंह दास वैष्णव बीएससी जन्मतिथि 07.07.95	पुत्र	09-07-18 Lab. Ass. III	JODHPUR
8	स्व. सुनीता बाबर वरिष्ठ अध्यापक राबाउमावि आर.के.मार्ग, सीकर	4/8/2018	अरविन्द कुमार 12वी विज्ञान जन्मतिथि 04.03.87	पति	27-08-18 Lab. Ass. III	JHUNJHNU
9	स्व. परबत सिंह गहलोत वरिष्ठ अध्यापक राउमावि सेसली, बाली, पाली	29-08-17	राजवीर सिंह बी.टेक. जन्मतिथि 22.01.92	पुत्र	30-09-17 & 28-08-18 Lab. Ass. III	PALI
10	स्व. मनोहर सिंह अध्यापक रामावि डकातरा, जालोर	29-08-18	करण सिंह 12वीं विज्ञान जन्मतिथि 25.12.96	पुत्र	25-09-18 Lab. Ass. III	JALORE
11	स्व. देवेन्द्र कुमार शर्मा राउमावि अमाई, जयपुर	16-06-18	विरेन कुमार शर्मा बी. टेक जन्मतिथि 06.09.96	पुत्र	30-07-18 Lab. Ass. III	JAIPUR
12	स्व. अरूणा शर्मा वरिष्ठ अध्यापिका राउमावि बोराबास, कोटा	13-10-18	राहिल शर्मा 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 06.09.96	पुत्र	12-11-18 Lab. Ass. III	KOTA
13	स्व. पवन कुमार शर्मा पु.अ. ग्रेड–II राउमावि छारसा, जयपुर	4/6/2017	रोहित कुमार शर्मा 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 27.05.2000	पुत्र	10-07-17 & 12-11-18 Lab. Ass. III	JAIPUR
14	स्व.रामावतार शर्मा अध्यापक राउमावि शेरपुरा, जयपुर	18-03-18	नवीन शर्मा 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 10.07.97	पुत्र	16-04-18 & 14-07-18 Lab. Ass. III	JAIPUR

शैक्षिक संवाद राजस्थान

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 5 (51) डीओपी/ए–II/88 पार्ट जयपुर, दिनांक: 25.04.2012

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है।

   (2) इन संशोधन नियमों का नियम 2 तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा और इन संशोधन नियमों का नियम 6 दिनांक 01.09.2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **नियम 2 का संशोधन** .– राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के खंड (ख) में विद्यमान उप–खंड (ii) के स्थान पर तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

   " (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से, जिसमें परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवीक्षा की कालावधि सम्मिलित है, कोई पद धारित कर रहा था। "

22/2012

Teacher's 33+

3. **नियम 6 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 6 के उप–नियम (1) में, 01–09–2006 से,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति " वेतनमान् सं. 1 से 9क" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ग्रेड वेतन सं. 1 से 10 (रू. 1300 से 2800/–)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति " वेतनमान सं. 10 से 11" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ग्रेड वेतन सं. 11 से 12 (रू. 3200 से 3600/–)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

22/2012

Teacher's 33+

कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला...15 Sep 2017

पिता की मौत के बाद नौकरी पर विवाहित बेटी का भी हक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि नौकरी के दौरान पिता की मौत की स्थिति में विवाहित पुत्रियों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का समान अधिकार है। पहले यह अधिकार सिर्फ अविवाहित पुत्रियों तक ही सीमित था। लेकिन पुत्रों के मामले में विवाह की कोई बाधा नहीं थी। लैंगिक समानता की खाई पाटने के मामले में अदालत के इस फैसले को मील का पत्थर माना जा रहा है। बीरभूम जिले की

पूर्णिमा दास ने वर्ष 2011 में अपने पिता हारूचंद्र दास की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी की अर्जी दी थी। लेकिन सरकार ने यह कह उसकी अर्जी खारिज कर दी थी कि कानून में विवाहित पुत्रियों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। हारूचंद्र को कोई पुत्र नहीं था और सिर्फ तीन बेटियां थीं।

विवाह के बाद बेटी माता-पिता के दिल में रहती है

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि बेटी के विवाह के बावजूद माता-पिता के साथ उसके संबंध खत्म नहीं होते। वह अपने माता-पिता के दिल में रहती है। अदालत ने इस बारे में सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए उसमें जरूरी संशोधन का निर्देश दिया है।

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक आश्रित परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है किन्तु ध्यान में आया है कि अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा नियमों की भावना के विपरीत प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है । अतः मृतक आश्रित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं :–

1. कार्मिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर संस्था प्रधान कार्मिक परिवार को नियमों में निर्धारित आवेदन पत्र (प्रतिसंलग्न) आश्रित परिवार को भिजवाकर मृत्यु के **90दिवस** के भीतर पात्र आशार्थी का आवेदन करने की राय प्रदान करेगें ।
2. मृतक आश्रित परिवार द्वारा विद्यालय/कार्यालय में आवेदन करने पर निर्धारित विभागीय जांच सूची (प्रतिसंलग्न) के अनुसार प्रकरण का समुचित परिक्षण कर प्रकरण **15दिवस** की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें । जिसकी सूचना आवेदक को भी दी जावेगी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रकरण का नियमों के परिपेक्ष्य में विभागीय जांच सूची अनुसार अपनी स्पष्ट अभिशंषा परिशिष्ट '1' में कर प्रकरण **15दिवस** के अन्दर अपने मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करेगें । प्रायः ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपात्र आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमों के विपरीत आवेदन पत्र को अग्रेषित कर देते हैं जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि अपात्र आवेदन का आवेदन पत्र में नियुक्ति की अभिशंषा न की जावे । तथा प्रकरण का अपने स्तर पर निस्तारण करें ।
4. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने की अवधि से **एक सप्ताह** के भीतर आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ निदेशालय को भिजवावें ।
5. निदेशालय द्वारा प्रकरण की जांच में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उस कमी की पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने के साथ साथ आवेदक को भी सूचित किया जाता है । तदुपरान्त भी ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आक्षेपों की विधिवत पूर्ति किये बिना प्रकरण निदेशालय को भिजवा देते हैं । जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है ।
6. शिथिलन योग्य प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण किये बिना तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार किये बिना निदेशालय को प्रकरण भिजवा दिये जाते हैं जो राज्य सरकार स्तर पर आक्षेपित होकर प्राप्त होते हैं । इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण कर अपनी स्पष्ट जांच रिपोर्ट तथा अभिशंषा के साथ स्वयं प्रमाण पत्र जारी करें ।

7. प्रायः ध्यान में आरहा है कि अनेक जिला शिक्षा अधिकारी उनके स्तर पर वांछित प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी नहीं कर केवल प्रतिहस्ताक्षर करते हैं जो प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब का कारण बनता है । अतः जो प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जारी होने है उन्हें वे स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करें ।
8. निदेशालय द्वारा नियुक्ति अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् भी नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आवेदक से वांछित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करें तथा तत्काल नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करें ।
9. दिनांक 30.04.2016 तक विभाग में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2016 तक वाहक के साथ निदेशालय को भिजवा देंवे । इस संबंध में मंडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवावें कि 30.04.2016 तक प्राप्त समस्त प्रकरण भिजवा दिये गये हैं कोई भी प्रकरण अधिनस्थ कार्यालय में लंबित नहीं है । इसके पश्चात् पूर्व अवधि का प्रकरण प्राप्त होता है तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करावें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

क्रमांकः–शिविरा/मा/साप्र/ए–4/3901/मूल/विविध/2016 दिनांकः– 13.05.2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
3. अनुभाग अधिकारी सिस्टम एनेलेसिस को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर–:

कार्यालय आदेश :–

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए–5(51)कार्मिक/क–2/88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार लिपिक ग्रेड II 72 एवं 29 सहायक कर्मचारी कुल 101 अभ्यर्थीयों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1– राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे।

राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।

2– मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपकम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)

3– मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

4– कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण / भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02..01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

5– दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।

6– राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

7– संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ ए–11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।

17/5/16

8– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।

9– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।

10– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

11– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।

12– प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी ।

13– लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी।

14– लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा **नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।**

16– राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिशिचित करें।

17– यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18– माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

चूकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

7/5/16

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / साप्र / ए–4 / 3901 / नियुक्ति मूल / 2016 /

दिनांक : 13.05.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

(1) उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
(2) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
(3) संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
(4) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
(5) उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ... को संलग्न सूची (लिपिक ग्रेड II तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
(6) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रथम)..... ।
(7) स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
(8) अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
(9) रक्षित पत्रावली ।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद – लिपिक ग्रेड II

मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति/2016 दिनांक 13.05.2016 के तहत 72 लिपिक ग्रेड II पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है का विवरण (स्थिर पारिश्रमिक 8910 रुपये)

क्र. सं.	आवेदक का नाम,संबंध शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि	आवेदन की दि. तथा आवेदित पद	मृतक कर्मचारी का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मंडल
1	2	3	4	5	6
1	श्री शील स्वामी पुत्र बी.ए. 04.05.1995.	29.03.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री शशि स्वामी लिपिक ग्रेड II	23.02.16	बीकानेर
2	श्री अरूण कुमार तिवाडी, पुत्र, बीकॉम, 21.12.90	28.01.16 लिपिक ग्रेड II	श्री श्यामलाल तिवाडी, अ0, प्राशि	10.01.16	बीकानेर
3	श्री शिवकरण, पुत्र, बीए, 01.07.83	26.10.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मालाराम गोदारा, व0अ0, प्राशि	15.08.15	बीकानेर
4	श्री नितेश भारद्वाज, पुत्र, बीए, 16.11.96	01.01.16 लिपिक ग्रेड II	श्री बालचन्द शर्मा, अ0, प्राशि	26.11.15	बीकानेर
5	श्रीमती किरण देवी, पत्नी, सीसै, 05.08.86	30.11.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भाल सिंह, अ0, प्राशि	14.10.15	बीकानेर
6	श्री सुरजपाल सिंह, पुत्र, एम.ए., 20.02.1990	10.07.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री कैलाशचन्द्र सक	12.06.15	चूरू
7	श्री अशोक कुमार, पुत्र, सीसै, 15.06.89	20.05.13 लिपिक ग्रेड II	श्री रामप्रताप, अ0, प्राशि	13.04.13	चूरू
8	श्री विजय सिंह, पुत्र, सीसै, 08.09.95	05.05.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मान सिंह, अ0, प्राशि	13.02.15	चूरू
9	श्रीमती सुनिता शर्मा, पत्नी, सीसै, 02.10.68	29.10.12 लिपिक ग्रेड II	श्री राधामोहन शर्मा, अ0, प्राशि	02.08.12	चूरू
10	श्री मोहित मोर्य, पुत्र, बी. एस.सी. , 08.09.1993	09.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रमेश कुमार कलि	04.11.15	चूरू
11	श्री राजपाल, पुत्र, बी.ए. 01.01.1994	21.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामेश्वर लाल व.अ.	17.11.15	चूरू
12	श्री विजेन्द्रसिंह, पुत्र, सीसे, 27.04.1983	04.02.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री गिरधारी लाल का. स.	14.01.16	चूरू
13	श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र, बीए. 11.09.1985	23.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री सावन्त सिंह वलि	24.08.15	चूरू
14	रामावतार शर्मा, पुत्र, बीए 23.07.88	22.12.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती लक्ष्मीदेवी,स.क.	30.11.15	चूरू
15	श्री पुरुषोतम बलाई, पुत्र, सीसै, 05.10.1994	21.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती भगवती देवी सक	09.10.15	जयपुर
16	श्री मुकेश सैन, पुत्र, बी.ए. 10.10.1993	19.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री लक्ष्मीनारायण सैन सक	28.11.15	जयपुर
17	कुलदीप चौधरी, पुत्र बी.ए. 15.08.1994	12.01.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री रंगलाल जाट, अध्यापक	19.12.15	जयपुर

12/5/16

18	श्री मोहित कुमार पुत्र एम कॉम 08.09.1991	31.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामबाबु शर्मा वलि	27.09. 15	जयपुर
19	श्रीमती मीरा देवी पत्नि, बी.ए. 20.06.85	07.09.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रतनलाल कानिस्टेबल ड्राईवर	10.07. 15	जयपुर
20	श्रीमती अनीता मीणा, पत्नि, बी.ए. 07.06.1984	17.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री चतरलाल मीणा अध्यापक	04.11. 15	जयपुर
21	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र, सीसै, 05.07.1993	30.06.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री नन्नुमल शर्मा, स. क.	27.05. 15	जयपुर
22	श्री राहुल कुमार, पुत्र, बीएससी II, 27.12.96	20.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती सन्तारा खीचड़, अ0, प्राशि	12.10. 15	जयपुर
23	श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र, एमए, 24.06.79	15.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री राजेन्द्र कुमार, प्र0अ0, प्राशि	09.09. 15	जयपुर
24	श्री राहुल गांधी, पुत्र, सीसै, 06.08.90	28.11.14 लिपिक ग्रेड II	श्री भीमसेन गांधी, अ0, प्राशि	25.10. 14	जयपुर
25	श्री नितेश कुमार मुदगल, पुत्र, बीकॉम, 10.04. 92	03.07.14 लिपिक ग्रेड II	श्री प्रवीण कुमार शर्मा, प्र0अ0, प्राशि	02.06. 14	जयपुर
26	श्री कपिल सोलंकी पुत्र, सीसै. 19.05.1996	31.08.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री शैतानसिंह व्याख्याता	08.08. 15	जोधपुर
27	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र, सीसै. 27.03.1997	29.11.2014 लिपिक ग्रेड II	श्री होतीराम मेघवाल अध्यापक	01.11. 14	जोधपुर
28	श्री सुखदेव, पुत्र, सीसै, 05.03.90	03.08.15 लिपिक ग्रेड II	श्री रेवतराम, अ0 प्राशि	01.07. 15	जोधपुर
29	श्री अशोक कुमार, पुत्र, बीए, 22.08.81	16.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मूलाराम अ0, प्राशि	18.05. 15	जोधपुर
30	श्री सुभाष कुमार, पुत्र, एमए, 05.07.85	23.07.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भागूराम, शाशि0 प्राशि	30.06. 15	जोधपुर
31	श्री सुरेश कुमार, पुत्र, सीसै, 27.11.88	27.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्री बाबूलाल, प्र0अ0, प्राशि	30.01. 15	पाली
32	श्री अभिषेक सेन, पुत्र, सीसै, 19.07.96	12.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती चन्द्रकान्ता सेन, अ0, प्राशि	13.02. 15	पाली
33	सीमा बिश्नोई, पुत्री, सीसै, 26.09.95	05.06.13 लिपिक ग्रेड II	श्री पूनमाराम बिश्नोई, अ0, प्राशि	28.04. 13	पाली
34	श्री रवि सैन, पुत्र, सीसै, 10.06.1993	04.08.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री पारस मल नाई व्याख्याता	20.06. 15	पाली
35	श्री राकेश, पुत्र, बीए, 29.07.91	19.08.13 लिपिक ग्रेड II	श्री शोभाराम, अ0, प्राशि	09.07. 13	पाली
36	श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र, सीसै, 16.08.1981	03.02.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री हुकमसिंह अध्यापक	01.01. 16	पाली
37	सुश्री इन्दिरा कुमारी पुत्री, सीसै, 13.03.1997	22.01.2016, लिपिक ग्रेड II	श्री भूराराम वरिष्ठ अध्यापक	12.12. 15	पाली
38	श्रीमती ललिता गोस्वामी, पत्नि, सीसै, 02.03. 1979	24.02.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री विक्रम पुरी वअ	16.12. 14	पाली
39	श्री अनुपम मिश्रा, पुत्र, एमए, 11.05.83	03.04.14 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती उमारानी शर्मा, अ0, प्राशि	06.03. 14	अजमेर
40	श्री पवन कुमार गुर्जर, पुत्र, सीसै, 06.11.91	26.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती मधुबाला धाभाई, अ0, प्राशि	19.05. 15	अजमेर

17/5/16

41	श्री अरमान खॉन, पुत्र, सीसै, 04.07.1995	04.02.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री अनवर खॉन, व्याख्याता	30.11.14	अजमेर
42	श्रीमती रेणू, पत्नि, बीएससी, 03.05.1972	17.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री विनोद सिंह राजावत कलि	27.11.15	अजमेर
43	श्री अजयकुमार शर्मा, पुत्र, बी.ए. 01.05.1991	10.07.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री कैलाश चन्द शर्मा चश्रे	11.06.15	अजमेर
44	श्री सुनीलकुमार पुत्र, बीए, 09.07.1994	19.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री छीतरमल शर्मा वअ	16.11.15	अजमेर
45	दिलीप सिंह, पुत्र, बीए, 02.03.90	30.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्री जस्साराम बुराणिया, व0अ0	08.01.15	अजमेर
46	श्री कृष्णा टाक, पुत्र, सीसै, 24.11.95	22.04.15, लिपिक ग्रेड II	श्रीमती अनिता टाक, अ.	05.04.15	अजमेर
47	विक्रम सिंह, पुत्र, सीसै, 02.01.92	10.02.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भवर सिंह, प्र0अ0,	19.11.14	अजमेर
48	मो0 शबीर खान, पुत्र, सीसै, 04.06.87	01.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मो0 शकूर, व0अ0	26.04.15	अजमेर
49	फिरोज काठात, पुत्र, सीसै, 23.09.94	28.09.15 लिपिक ग्रेड II	श्री साबू काठात, क0लि0	18.08.15	अजमेर
50	श्री संदीप फिडौदा, दत्तकपुत्र, बीए, 01.01.1996	09.04.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामकैलाश वशाशि	26.01.15	अजमेर
51	श्रीमती सीमा चौधरी, पत्नि, बीए, 02.06.1989	26.06.2014 लिपिक ग्रेड II	श्री खुशीराम चौधरी कानिस्टेबल	16.05.14	अजमेर
52	श्री दीपक कुमार, पुत्र, सीसै, 05.08.92	31.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री किशनालाल अध्यापक	11.12.15	भरतपुर
53	श्री नमन पचौरी, पुत्र, सीसै, 25.02.96	13.10.2014 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती लता दुबे, व.अ.	11.08.14	भरतपुर
54	कुमारी सपना शर्मा, पुत्री, एमए, 05.08.1991	22.01.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री ऋषिलाल शर्मा वअ	18.11.14	भरतपुर
55	श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा, दत्तकपुत्र, बीकॉम, 11.09.1992	19.09.2012 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा, चश्रेक	19.08.12	भरतपुर
56	कु0 नेहा शर्मा, पुत्री, एमए, 25.07.89	02.07.15, लिपिक ग्रेड II	श्री कौशल किशोर गौड, प्र0अ0	13.06.15	भरतपुर
57	श्रीमती रश्मि गुप्ता, पत्नि, एमए, 03.07.1971	08.01.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री राधेश्याम गुप्ता प्रअ	15.11.15	कोटा
58	श्री लवलेश पाठक, पुत्र, बीए, 26.06.1990	20.11.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री पुरुषोतम पाठक कलि	31.10.15	कोटा
59	श्रीमती तनूजा, पत्नि, बीए, 20.12.1974	05.12.15 लिपिक ग्रेड II	श्री अजय कुमार, प्रधानाचार्य	10.11.15	कोटा
60	सुरभि कुकरेजा पुत्री, बीकॉम, 05.01.1994	31.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती कृष्णा माखीजा अध्यापिका	14.12.15	कोटा
61	श्री साहिल मो0, पुत्र, सीसै, 18.09.95	10.09.12 लिपिक ग्रेड II	श्री अशफाक मो0, शाशि, प्राशि	16.06.12	कोटा
62	श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र, सीसै, 01.07.93	12.08.10 लिपिक ग्रेड II	श्री मन्शाराम नागर, प्र0अ0, प्राशि	26.05.10	कोटा
63	श्री हर्षित अहारी, पुत्र, बीए, 09.05.1992	13.06.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री मगनलाल प्राध्यापक	02.05.15	उदयपुर

12/5/16

64	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र, सीसै, 17.07.1977	03.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री महेश चन्द प्राध्यापक	07.11.15	उदयपुर
65	श्रीमती रेणुका जैन, पत्नि, एम ए, 06.06.1970	14.09.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री विमल प्रकाश जैन, आर्युवेद चिकित्सक	12.07.10	उदयपुर
66	श्रीमती कोमल मेघवाल, पत्नि, सीसै, 10.10.1997	16.05.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री राकेश गहलोत चश्रेक	25.02.15	उदयपुर
67	श्री अभिषेक कुमार, पुत्र, सीसै, 11.12.1994	18.04.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री सुप्रिम कुमार, यअ.	16.03.15	उदयपुर
68	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि बीकॉम, 10.08.82	10.09.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री जीवतराम शाशि	07.08.15	उदयपुर
69	मनीष मेहता, पुत्र, एमकॉम, 26.05.77	01.01.16, लिपिक ग्रेड II	श्री ओमप्रकाश जैन, व0लि0	24.11.15	उदयपुर
70	नवरतन कुमार, पुत्र, बीएससी, 10.12.86	12.01.16, लिपिक ग्रेड II	श्री घनश्याम खटीक, प्र0अ0, प्राशि	19.12.15	उदयपुर
71	श्रीमती ज्योति सोनी, पत्नी, एमए, 30.06.90	05.02.16, लिपिक ग्रेड II	श्री सम्पत लाल सोनी, अ0 प्राशि	13.01.16	उदयपुर
72	मो0 साहिल शेख, पुत्र, सीसै, 24.03.98	10.08.15, लिपिक ग्रेड II	श्री मो0 यूसूफ शेख, क0लि0, प्राशि	30.06.15	उदयपुर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद – च. श्रे. क

मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति/2016 दिनांक 13.05.16 के तहत 29 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है का विवरण (स्थिर पारिश्रमिक 6670 रुपये)

क्र. सं.	आवेदक का नाम,संबंध शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि	आवेदन की दि. तथा आवेदित पद	मृतक कर्मचारी का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मंडल
1	2	3	4	5	6
1	श्री मदनगोपाल हर्ष पुत्र, 8वी, 24.08.1980	08.01.2016 चश्रेक	श्रीमती चन्दा देवी, चश्रेक	26.12.15	बीकानेर
2	श्री गजेन्द्र गहलोत पुत्र, चौथी, 11.11.1985	13.01.2016 चश्रेक	श्रीमती माली कंवरी चश्रेक	03.12.15	बीकानेर
3	श्री विजेन्द्र लोट पुत्र, 7वीं, 02.07.1989	13.01.2016 चश्रेक	श्री अमरचन्द लौट चश्रेक	14.12.15	बीकानेर
4	श्री संदीप कुमार, पुत्र, 7वी., 02.05.1981	01.05.2015 चश्रेक	श्री रामप्रकाश अध्यापक	01.04.15	बीकानेर
5	श्री प्रकाश नायक, पुत्र, सातवी 10.01.97,	14.10.15 चश्रेक	जोगाराम, चश्रेक, प्राशि	25.08.15	बीकानेर
6	ओमप्रकाश, पुत्र, नवी, 05.06.78	19.11.15 चश्रेक	तुलसी राम, चश्रेक, प्राशि	19.10.15	चूरू
7	श्री नरेन्द्र, पुत्र 10वीं, 10.07.1995	28.01.2016 चश्रेक	श्री रामनिवास चश्रेक	20.12.15	चूरू
8	श्री दातार सिंह पुत्र, 8वीं, 05.07.1983	19.01.2016 चश्रेक	श्री शायर सिंह चश्रेक	19.12.15	चूरू
9	श्री लखवीर सिंह, पुत्र, पाचवी, 31.12.88	22.06.15 चश्रेक	श्री राधेश्याम योगी, चश्रेक	07.05.15	चूरू
10	श्री आशीष मीणा, पुत्र, 10वी फेल, 30.05.1990	28.10.2015 चश्रेक	श्री उमा शंकर चश्रेक	09.09.15	जयपुर
11	श्री सुरेन्द्र चौहान, पुत्र, 10वी, 01.02.1991	02.09.2015 चश्रेक	श्री अमरसिंह चश्रेक	11.08.15	जयपुर
12	श्रीमती शबनम बानो, पत्नि, 7वी, 28.02.1990	15.04.2015 चश्रेक	मोहम्मद राहिल हसन, चश्रेक	20.02.15	जोधपुर
13	श्री विकास टेलर, पुत्र, 8वीं, 06.02.1982	02.01.2015 चश्रेक	श्री कैलाश चन्द टेलर कलि	27.11.14	अजमेर
14	श्री पवन तुनवाल, पुत्र, 10वीं फेल, 31.08.1992	28.09.2015 चश्रेक	श्रीमती मुन्नी देवी चश्रेक	09.09.15	अजमेर
15	नरेश कुमार, पुत्र, आठवी, 26.09.79	07.07.15, चश्रेक	जगदीश प्रसाद, चश्रेक, प्राशि	22.03.15	अजमेर
16	श्रीमती केसर देवी, पत्नि साक्षर 01.01.1965	13.11.2014 चश्रेक	श्री दयाराम चश्रेक	10.09.14	भरतपुर
17	श्री कानसिंह पुत्र, 8वीं, 12.08.1988	20.04.2015 चश्रेक	श्रीमती लक्ष्मी बाई चश्रेक	25.02.15	कोटा
18	श्री ओम प्रकाश पुत्र, 7वी, 20.04.1988	14.01.2016 चश्रेक	श्री चन्द्र शेखर सोनी चश्रेक	09.12.15	कोटा
19	श्री दिनेश कुमार भील, पुत्र, 10वीं, 25.06.1993	31.08.2015 चश्रेक	श्री रामलाल भील, चश्रेक	05.08.15	कोटा
20	श्री धीरज मालव पुत्र, 8वीं., 05.07.1988	20.10.2015 चश्रेक	श्री रामरतन मालव अध्यापक	06.10.15	कोटा

21	श्रीमती मांगी बाई, पत्नि, चौथी फेल, 21.06.1988	15.02.2016 चश्रेक	श्री चौथमल गमेती, चश्रेक	29.11.15	उदयपुर
22	श्रीमती सुगना देवी, पत्नि, साक्षर, 10.05.1977	15.02.2016 चश्रेक	श्री मांगुसिंह, व.अ.	16.01.16	उदयपुर
23	विमला देवी, पत्नी, साक्षर, 12.06.78	30.04.15 चश्रेक	श्री विनोद कुमार, शशि, प्राशि	02.02.15	उदयपुर
24	श्री भगवतीलाल भाम्बी, पुत्र, आठवी, 28.06.73	23.11.06 चश्रेक	श्री मांगीलाल भाम्बी, अ0	22.09.06	उदयपुर
25	श्री अशोक कुमार, पुत्र, नवी, 02.01.90	26.09.13 चश्रेक	श्री लालचन्द मईडा, अ0, प्राशि	27.08.13	उदयपुर
26	श्री संदीप कुमार, पुत्र, आठवी, 19.11.93	27.02.15 चश्रेक	श्री सुरेशचन्द चश्रेक, प्राशि	01.01.15	उदयपुर
27	श्री विजय हरिजन, पुत्र, आठवी, 05.01.86	09.04.15 चश्रेक	श्री मांगीलाल चश्रेक, प्राशि	22.02.15	उदयपुर
28	श्री दिलीप कुमार मीणा, पुत्र, पांचवी, 01.01.92	15.02.14 चश्रेक	श्री तोलाराम, चश्रेक, प्राशि	23.12.13	उदयपुर
29	उमिया मीणा, पुत्री, पांचवी, 01.01.94	26.06.15 चश्रेक	श्री अमरेंग मीणा, चश्रेक, प्राशि	19.05.15	उदयपुर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प.5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर, दिनांक : 31 MAY 2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य में वर्तमान में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है। इन नियमों के नियम–2(ग) में आश्रित की परिभाषा निम्नानुसार है :–

"आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे"

इन्हीं नियमों के नियम–5 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2015) में निम्नानुसार प्रावधान है :–

"यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु एवं आश्रित की नियुक्ति के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो, परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।"

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित पुत्र द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाही जा रही है, जिसकी पत्नी पहले से ही नियोजित (नियम–5 में यथा परिभाषित) है। ऐसे में यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या ऐसे पुत्र को नियम–2(ग) के तहत राज्य कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित माना जावे ?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि भविष्य में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

18/2016

क्र.प.उ....

कार्यालय उप निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग,कोटा

चैक लिस्ट

नाम मृतक सं.कर्म. नाम मृतक आश्रित आवेदित पद :

1. आवेदक को नियुक्ति देने में आपत्ति नहीं होने का परिवार के निम्न व्यस्क सदस्यों का शपथ–पत्र संलग्न करें :–

   (1) .....(2) .....(3) ..... (4) .....

2. पेंशन राशि सहित परिवार के सदस्यों की कुल आय का अलग–अलग गणवार दर्शाते हुए आवेदक का शपथ–पत्र ।
3. आवेदक का शपथ–पत्र कि मेरी नियुक्ति उपरान्त अन्य कोई भी मृतक का आश्रित महिला में मांगी भी नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।
4. मृतक आश्रित परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों का नियम 8 के अनुसार शपथ पत्र कि :–

   मृतक राज्य कर्मचारी श्री _____ के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हैं एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।
5. नियम–6 के अन्तर्गत आक्षेप संख्या–04 में अंकितानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
6. नियुक्ति उपरान्त मृतक आश्रित परिवार का भरण–पोषण करने के सम्बन्ध में आवेदक का शपथ–पत्र जिसमें यह स्पष्ट अंकित करावें कि भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त कर दी जावें।
7. आवेदक पुत्री है अतः अविवाहित होने का शपथ–पत्र संलग्न करें।
8. आवेदक मृतक की पत्नी है अतः पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ–पत्र संलग्न करें।
9. मृतक कर्मचारी की सेवारते निधन की तारीख तक नियमित एवं निरन्तर रही है का स्पष्ट प्रमाण–पत्र।
10. प्रार्थी की जन्म तिथि/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्र ।
11. मृत्यु प्रमाण–पत्र
12. परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का आवेदक का शपथ–पत्र
13. जिलेश्वर की ओर से मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का प्रमाण–पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित होना चाहिये कि " जिलेश्वर सन्तुष्ट हैं कि मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है "।
14. आवेदन पत्र का भाग संख्या 04 जो नियमों में निर्धारितानुसार हो जिसमें प्राप्ति रजिस्टर का क्रमांक तथा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि का स्पष्ट अंकन होना चाहिए।
15. मृत राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति आदेश की प्रमाणित प्रति।
16. मृत राज्य कर्मचारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का था अथवा पंचायतीराज विभाग का था, प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
17. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया है तो मय औचित्य के शपथ–पत्र देवें।
18. विभाग द्वारा आवेदन–पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो कारणों के औचित्य सहित दोषी को विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करें।
19. आवेदन–पत्र नियमों में निर्धारित प्रारूप में पूर्ण करके भिजवायें।
20. आवेदन पत्र के भाग सं. 03 तथा भाग सं. 05 में साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं पूर्ण पता स्पष्ट अंकित करावें।
21. स्थिर वेतन पर नियुक्ति दी जानी है तदानुसार परिशिष्ट–1 में आवेदित पद एवं वेतनमान के कॉलम में आवेदित पद का स्थिर वेतन अंकित करें।
22. आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक की पत्नि का नियम 05 का शपथ पत्र एवं उसके बच्चों की संख्या जन्म तिथि सहित संलग्न करें।
23. आवेदन–पत्र को दो सेट में संलग्न करें।
24. अन्य

NOTARY
RAJASTHAN

शपथ पत्र

मैं श्रीमती चन्द्रकला बाई पत्नि स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 49 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर–.....

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरे पति स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदस्थापन स्थान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा में कार्यरत थे जिनका राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को निधन हो गया है।

हस्ताक्षर–.....

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मृतक के परिवार के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	नाम	उम्र	आवेदक से संबंध	विवाहित / अविवाहित
01	श्रीमती चन्द्रकला बाई	49 वर्ष	स्वयं	विवाहित

INDIA NON JUDICIAL

9484 1-6-13

RAJASTHAN 6AA 627693

शपथ पत्र

मैं शीला बाई पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत निवासी जुल्मी जिला कोटा की हूं जो ईश्वर को साक्षी मान कर निम्न शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर–.....

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरे पिता स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद में कार्यरत थे। उनकी राजयकी सेवा में रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को मृत्यु हो गई है।

हस्ताक्षर–.....

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मुझे मेरे भाई श्री दिनेश कुमार को मृतक राजय कर्मचारी के आश्रित के नाते राजकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में मुझे कोई आपत्ति होगी।

हस्ताक्षर–.....

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरे भाई श्री दिनेश कुमार को मृतक राज्य

पेज 2 पर –

ATTESTED

Identified by

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मृतक कर्मचारी के उपरोक्तानुसार परिवार के सदस्यों में से अपने पुत्र दिनेश कुमार को मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत राजकीय सेवा में कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करती हूं।

हस्ताक्षर

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त परिवार के सदस्यों में से किसी को भी मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत इससे पूर्व राजकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

हस्ताक्षर

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मृतक के परिवार के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक या जीवन बीमा निगम में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर

मैंने मेरी पति की मृत्यु उपरान्त आज दिनांक 01/06/2013 तक पुर्नविवाह नहीं किया है।

हस्ताक्षर

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही एवं सत्य है ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर शपथग्रहीता

दिनांक –01.06.13

1-6-13

Identified by

NOTARY
GOVERDHANLAL SONI
NOTARY
Area Ramganjmandi
Distt. Kota
Reg. No 101
GOVT. OF RAJASTHAN

SPECIAL ADHESIVE

क्रमांक 5533
दिनांक 31/5/14

शपथ पत्र

मैं श्रीमती चन्द्रकला बाई पत्नि स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 49 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा की हूं जो ईश्वर को साक्षी मान कर निम्न शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर–.....

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मैं केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, सगंठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामीत्व या नियंत्रण मे हो,के अधीन सरकारी कर्मचारी **(मेरे पति स्व0 मॉगी लाल चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,पचांयत समिति,खैराबाद)** की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नही है एवं ना ही पूर्व मे किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गयी है।

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक–31.05.14

हस्ताक्षर–.....

ATTESTED
31.5.14
GOVERDHANLAL SONI
Notary Ramganjmandi Distt. KOTA

Identified by

NOTARY
GOVERDHANLAL SONI
NOTARY
Ramganjmandi
Distt. Kota
Reg. No 10

SPECIAL ADHESIVE

क्रमांक 5539
दिनांक 31.5.14

शपथ पत्र

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 24 वर्ष निवासी मोयन्दा जिला कोटा की हूं जो ईश्वर को साक्षी मान कर निम्न शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, सगंठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामीत्व या नियंत्रण मे हो,के अधीन सरकारी कर्मचारी (मेरे पिता स्व0 मॉगी लाल चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,पचांयत समिति,खैराबाद) की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नही है, एवं ना ही पूर्व मे किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गयी है। दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक–31.05.14

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

ATTESTED
GOVERDHANLAL SONI
Notary Ramganjmandi Distt. KOTA

Identified by

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

शपथ पत्र

क्रमांक 9481 दिनांक

63AA 760142

मैं कि दिनेश कुमार आत्मज स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 24 वर्ष निवासी गोयन्दा का हूं जो कि ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करता हूं :-

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य मृतक के निधन की तिथि को किसी भी सरकार / राज्य / केन्द्र / निगम / उपक्रम में नियोजित नहीं है। और न ही कोई भी सदस्य जीवन बीमा निगम / निगम / बैंक या समकक्ष विभाग में नियोजित है।

हस्ताक्षर- दिनेश कुमार

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मृतक के परिवार के समस्त सदस्यों का उचित तौर पर भरण पोषण करूंगा। यदि किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे किसी भी आश्रित सदस्य की मेरे द्वारा उपेक्षा की जा रही हो तो मुझे प्राप्त होने वाले उक्त अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति समाप्त किए जाने का अधिकार शिक्षा विभाग को होगा। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर दिनेश कुमार

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही है। ईश्वर सत्य बोलने मे मेरी मदद करें।

दिनांक 01-6-13

हस्ताक्षर- दिनेश कुमार

ATTESTED
GOVERDHAN LAL SONI
Notary Rajasthan

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY GOVERDHAN LAL SONI Area Distt KOTA Reg. No. 1017 GOVT. OF RAJASTHAN

9483 1.6.13

63AA 760139

शपथ पत्र

स्व0 श्री मांगी लाल प्रजापत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत स्थान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद का निधन राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को होने के फलस्वरूप मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत निवासी गोयन्दा यह बयान करता हूं कि मृतक के परिवार के सभी सदस्यों की किसी भी स्त्रोत से किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। मृतक का परिवार पूर्ण रूप से पेंशन पर आश्रित है। मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है, अतः मुझे मेरे पिता के स्थान पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें।

दिनेशकुमार

गवाह :-

1. रामलाल बुन्दा खैराबाद रोड आबरी टारफोड के पीछे रामगंजमंडी — हस्ताक्षर / अंगूठा

2. भैरव बुन्दा निवास स्थान गणेश कॉलोनी रामगंजमंडी — आश्रित / आश्रिता

ATTESTED 1.6.13 GOVERDHAN LAL SONI Notary Ramganjmandi Distt. KOTA

NOTARY
GOVERDHANLAL SONI
NOTARY
Tea Ramganjmandi
Distt. Kota
Reg. No 1017
GOVT. OF RAJASTHAN

SPECIAL ADHESIVE

क्रमांक 5532-
दिनांक 31.5.14

शपथ पत्र

मैं श्रीमती शीला बाई आयु 22 वर्ष पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत निवासी जुल्मी जिला कोटा की हूं जो ईश्वर को साक्षी मान कर निम्न शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर– शीलाबाई

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मैं केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामीत्व या नियंत्रण मे हो,के अधीन सरकारी कर्मचारी (मेरे पिता स्व0 मॉगी लाल चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,पचांयत समिति,खैराबाद) की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नही है, एवं ना ही पूर्व मे किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गयी है। शीलाबाई

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक–31.05.14

ATTESTED
31.5.14
GOVERDHAN LAL SONI
Notary Ramganjmandi Distt KTOA

हस्ताक्षर– शीलाबाई

Identified by

NOTARY
GOVERDHANLAL SONI
NOTARY
Ramganjmandi
Distt. Kota
Reg No 1
GOVT. OF RAJ.

SPECIAL ADHESIVE

क्रमांक 5535
दिनांक 31.5.14

शपथ पत्र

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 24 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न शपथ पत्र आलेखित करता हूं–

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे पिता स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदस्थापन स्थान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा में राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को मृत्यु हो गई है।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे मृतक पिता के परिवार के समस्त सदस्यों की जिनमें मैं स्वयं भी शामिल हूं, मासिक आय देय मूल पेंशन राशि रूपये –4,685/– एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पेन्शन उपदान (ग्रेच्युटी) राशि रूपये 3,62,619/– के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से आय प्राप्त नहीं होती है। दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही एवं सत्य है ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक –31.05.14

हस्ताक्षर शपथग्रहीता दिनेश कुमार

ATTESTED
31.5.14
GOVERDHAN LAL SONI
Notary Ramganjmandi Distt. KOTA

Identified by

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

शपथ पत्र क्रमांक 940 दिनांक

63AA 760141

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 24 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न शपथ पत्र आलेखित करता हूं–

कि मेरे पिता स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदस्थापन स्थान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा में राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को मृत्यु हो गई है।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे मृतक पिता के परिवार के समस्त सदस्यों की जिनमें मैं स्वयं भी शामिल हूं, मासिक आय देय पेंशन के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से आय प्राप्त नहीं होती है।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मृतक के परिवार के समस्त सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	नाम	उम्र	आवेदक से संबंध	विवाहित/अविवाहित
01	श्रीमती चन्द्रकला बाई	49 वर्ष	माता	विवाहित

दिनेश कुमार

1-6-13

पुत्र

अविवाहित

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राजकीय सेवा नियुक्ति दिये जाने के प्रावधानों के अन्तर्गत मेरी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर होने पर मृतक के परिवार के उपरोक्त किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है न ही भविष्य में होगी। यदि कोई आपत्ति करता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर– दिनेशकुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राजकीय सेवा नियुक्ति दिये जाने के प्रावधानों के अन्तर्गत मेरी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर होने जाने पर मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य इन प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने का हकदार नहीं रहेगा। इस संबंध में कोई आपत्ति करता है तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर– दिनेशकुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 19.04.2013 को हो चुकी है।

हस्ताक्षर– दिनेशकुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं विवाहित हूं।

हस्ताक्षर– दिनेशकुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान में सही है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक-01-6-13

1.6.13

दिनेशकुमार

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

हितकारी–निधि(राजस्थान शिक्षा विभाग,बीकानेर)से कर्मचारी के सेवा में रहते हुए निधन हो जाने पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

1 प्रार्थी/प्रार्थिनी(कर्मचारी पर आश्रित/आश्रिता)का नाम एवं सम्बन्ध : .....

2 स्थाई पता एवं मोबाईल नम्बर .....

3 मृतक कर्मचारी का नाम .....

4 मृतक कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान .....

6 कर्मचारी की मृत्यु तिथि(मूल मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें) .....

7 सेवा समाप्ति आदेश प्रति संलग्न करें .....

8 अंशदान कटौती वर्ष 2018–19 से इ0सी0एस0एवं शेड्युल की प्रति संलग्न करें .....

9 परिवार के सदस्यों का विवरण (निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें)

क्र.सं.	नाम	आयु	मृतक से संबध	विवाहित/अविवाहित	विशेष विवरण

10. प्रार्थी/प्रार्थिनी का बैंक खाता विवरण
(3) बैंक खाता (पास बुक प्रथम पृष्ठ की प्रति या निरस्त चैक संलग्न करें)

11. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं मे कोई असत्यता हो तो हितकारी –निधि, शिक्षा–विभाग,बीकानेर मेरे विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान(मोहर) आश्रित(प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) द्वारा अग्रेषित करवाया जाना है।

प्रमांणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष, हितकारी–निधि, शिक्षा–विभाग, बीकानेर को सहायता हेतु अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... हितकारी निधि अंशदान कटौती वर्ष ..... बिल क्रमांक.....दिनांक.....TVno.....TV date..... द्वारा की जा चुकी है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान (मोहर सहित) हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... हितकारी निधि अंशदान कटौती वर्ष ..... बिल क्रमांक.....दिनांक.....TVno.....TV date..... द्वारा की जा चुकी है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान (मोहर सहित)

हस्ताक्षर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (मोहर सहित)

परिशिष्ट – ग

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि)

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दावा प्रपत्र

(दावेदार की मृत्यु की दशा में मनोनीत द्वारा भरा जाये)

1. (अ) बीमेदार का नाम, पद व विभाग : .....
   (ब) पिता/पति का नाम : .....
   (स) घर का स्थायी पता : .....
   .....
   .....

   (द) घर का वर्तमान पता : .....
   (जहां दावे के भुगतान की सूचना भेजी जानी है) .....

2. (अ) दावेदार (मनोनीत) का नाम : .....
   (ब) मृतक से संबंध : .....
   (स) मनोनीत के अवयस्क होने की स्थिति में पंजीकृत संरक्षक का नाम : .....
   .....
   .....
   .....

   (द) संरक्षक का मनोनीत से संबंध : .....

3. (अ) बीमित व्यक्ति के वर्तमान आहरण एवं वितरण का अधिकारी का पता : .....
   .....
   .....
   (ब) वर्तमान पॉलिसी हेतु प्रीमियम कटौती करने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी का पता : .....
   .....
   .....

4. (अ) दुर्घटना का समय एवं दिनांक : .....
   (ब) दुर्घटना का स्थान : .....
   (स) दुर्घटना का पूर्ण विवरण (यहां दुर्घटना के संबंध में समस्त विवरण यथा – दुर्घटना किस परिस्थिति में एवं कैसे घटित हुई निर्दिष्ट करें) : .....
   .....
   .....
   (द) चिकित्सालय का नाम, जहां मृतक का उपचार किया गया : .....
   .....
   (य) मृत्यु का समय, दिनांक एवं स्थान : .....

5. मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न करे (जहां नगर परिषद/पालिकाए कार्यरत है वहां उपरोक्त से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करें) : .....

6. दुर्घटना से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट संलग्न करें। : .....

7. क्या मृतक का पोस्टमार्टम किया गया था ? यदि हां, तो रिपोर्ट संलग्न करे : .....

8. क्या मृतक के दांह संस्कार हेतु मृत शरीर को एक शहर/कस्बा/गांव से दूसरे शहर/कस्बा/गांव ले जाया गया था ? यदि हां तो कृपया विवरण दे : .....

मै प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं ..... (मृतक का नाम) का/की ..... (संबंध) हूं एवं श्री/श्रीमती/कुमारी/.....की मृत्यु के संबंध में वर्णित उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सही है एवं उपरोक्त दुर्घटना से सम्बन्धित मुझे ज्ञात कोई तथ्य मैने छुपाया नहीं है। यदि उपरोक्त विवरण भविष्य में असत्य पाया जाये तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रुप से जिम्मेंदार होंउंगा/होउंगी।

दावेदार के हस्ताक्षर
एवं पूरा पता

दिनांक : .....

विमुक्ति पत्र

(मृतक राज्य कर्मचारी के मनोनीत (दावेदार) द्वारा पूर्ति किया जाये। मनोनीत के अवयस्क होने की स्थिति में उसके पंजीकृत संरक्षण द्वारा पूर्ति किया जाये)

मै श्री/श्रीमती/कुमारी (मृतक का नाम) ..... के जीवन पर जारी की गई समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान के सम्बन्ध में समस्त अधिकारों को निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की साधारण बीमा निधि इकाई को हस्तान्तरित करता/करती हूं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर मनोनीत (दावेदार)
पूरा नाम .....

हस्ताक्षर प्रमाणित

(प्रमाणित करने वाले अधिकारी का पद
राजपत्रित अधिकारी से कम न हो)

आहरण एवं वितरण अधिकारी /विकास अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बीमेदार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत बीमित था एवं उसका प्रीमियम वेतन बिल माह अप्रेल, 20 .... एवं भुगतान दिनांक ..... के अन्तर्गत रुपये काटा गया था। (स्थानान्तरित कर्मचारियों के मामलों में अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट विवरण को उपरोक्त सूचनाओं का आधार माना जाये) दावेदार, बीमित व्यक्ति द्वारा समूह व्यक्तिगत पॉलिसी हेतु मनोनीत व्यक्ति है/संरक्षक है एवं दावेदार मृतक कर्मचारी/अधिकारी का/की ..... (संबंध) है। बीमेदार की मृत्यु दिनांक ..... को हुई है।

आहरण एवं वितरण अधिकारी
विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी
के हस्ताक्षर
डी.डी.ओ कोड नम्बर.....

National Pension System (NPS)

Withdrawal of Accumulated Pension Wealth by Claimant due to the death of the subscriber

(Please fill all the details in CAPITAL LETTERS & in BLACK INK only.)

This application should be filled by:-

If a valid nomination subsists:By the Nominee (s), if the nominee (s) is/are minor (s) guardian of the minor(s)

If no nomination subsists: By the family members (family includes posthumous child if any) except major sons and married daughters whose husbands are live, of the deceased family member duly supported by a list of surviving family members furnished by Executive Magistrate indicating complete particulars such as name, relationship with the deceased member (in case of parents whether dependent or not) age, marital status. Also, if any family member is minor by the guardian of the minor.

If both 1 & 2 above are not applicable, By legal heir (s) duly supported by a 'legal heir certificate' from the appropriate sate authority.

In case of multiple claimants, separate forms need to be filled and submitted.

(FOR OFFICE PURPOSE ONLY-NOT TO BE FILLED IN BY THE CLAIMANTS)

Date : ☐☐☐☐☐☐☐☐ Acknowledgement Number : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(DD/MM/YYYY) (Generated by CRA)

DDO Registration No.:_____ PAO/DTO/POP/POP-SP Registration No.:_____

Receipt Number issued by receiving office: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Entered By: _____ Date: _____ Verified By: _____ Date: _____

Sir/Madam,

I/We being a nominee(s)/legal heir(s)/guardian of minor nominee(s) or minor heir(s)of the deceased subscriber apply for the payment of the accumulated pension wealth of the deceased subscriber under the NPSfor both Tier-I / Tier-II (please tick as applicable). I / we understand further that the entire accumulated pension wealth in both Tier I and Tier II (as applicable) would be settled as per the NPS scheme and hereby give below the necessary details:

Section A – Subscriber's Details:

1. PRAN *: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. Full Name **(As in PRAN Card)** *:

First Name*

Middle Name

Last Name

3. Father's name/Spouse' Name*:

First Name*

Middle Name

Last Name

4. Date of Birth of the deceased subscriber *(**As in PRAN Card**): ☐☐☐☐☐☐☐☐ (DDMMYYYY)

5. Date of subscriber's death (DDMMYYYY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

Section B – Details of the Claimant (person entitled to receive claim proceeds under the policy):

1. Name of the Claimant

First Name*	Middle Name	Surname/last name

2.Claimant's current communication Address:

Flat/Unit No, Block no*_____

Name of Premise/Building/Village _____

Area/Locality/Taluka_____ _____

District/Town/City*_____

State / Union Territory*_____

Country*_____ Pin Code*_____ Email ID:_____ Mobile No._____

3. Date of Birth of the Claimant (DDMMYYYY):

4. Relationship with the Subscriber*:
(e.g. If claimant is son, claimant should fill the relationship as 'Son')

5.Claimant's Guardian Details*(only in case of a minor):

First Name*	Middle Name	Last Name

Section C – Claimant's Bank Details(Please refer General Instruction no.6):

I. Bank Details of the Claimant:

1. For Electronic transfer or Direct Credit through ECS/NEFT/RTGS, Proof attached for Bank Details*:

Cancelled Cheque ☐ Bank Certificate ☐

2. Type of Bank Account*: Savings A/c ☐ Current A/c ☐

3. Bank A/c Number*

4. Bank Name*

5. Bank Branch*

6. Bank Address*

7. Pin Code * 8. Bank IFS Code*

9. Bank MICR Code (Wherever applicable)

Declaration:

I/We (as mentioned below), the nominee(s)/legal heir(s)/guardian of minor nominee(s) or minor heir(s)of NPS SubscriberShri/Smt./Ms._____do hereby declare that the information provided above is true to the best of my/our knowledge and belief.

Claimants Signature (Signature of guardian in case the claimant is a minor)	Name of the Claimant or of guardian _____ Date : D D M M Y Y Y Y	Self attested photograph of the Claimant /guardian
Signature/Left Thumb Impression*		

TO BE FILLED/ATTESTED BY DDO/POP-SP

Certified that the above declaration and details has been signed / thumb impressed before me by Sh./Smt/Ms._____ _____after the nominee(s)/legal heir(s)/guardian of minor nominee(s) or minor heir(s) has read the entries / entries have been read over to him / her by me and got confirmed by him / her.

Rubber Stamp of the DDO/POP-SP

Signature of the Authorised Person

DDO/POP-SP Registration Number _____
(Allotted by CRA)

Designation of the Authorised Person : _____

DDO/POP-SP Office Name : _____

Date : D D M M Y Y Y Y

TO BE FILLED/ATTESTED BY PAO/DTO/POP/POP-SP	PAO/DTO/POP/POP-SP Registration Number (Allotted by CRA): _____
Rubber Stamp of the PAO/DTO/POP/POP-SP	Signature of the Authorised Person

==========

CLAIM FOR THE WITHDRAWAL OF ACCUMULATED PENSION WEALTH BY CLAIMANTS – DUE TO THE DEATH OF THE SUBSCRIBER UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM

Advanced Stamped Receipt

Claimant / Guardian of the Claimant (if the claimant is minor)

Received a sum of Rs. /- (Rupees……...……...…….Only)from National Pension System / National Pension System Trust by deposit in my Saving Bank / Current account towards the settlement of National Pension System account of late Shri/Smt…….with PRAN Number ……

Affix 1 Rupee Revenue Stamp and sign across

Signature or Left/ Right hand thumb impression of the Nominee/Guardian*

Requirements submitted along with this form	**Yes / No**
Original PRAN Card	
In the absence of PRAN card, notarized affidavit	
Death certificate in original issued by local authorities	
Photo ID	
Address proof of the Claimant	
Date of birth proof of claimant	
Legal heir certificate	
Certified copy of family member's certificate issued by Executive Magistrate	
Cancelled cheque (containing nominee Name, Bank Account Number and IFS Code) or Bank Certificate	
Discharge Certificate from the employer (in case claim is lodged through a POP/POP-SP)	
Note: PFRDA reserves the right to call for additional requirements, if needed for establishing a valid claim under National Pension System.	

DECLARATION & AUTHORIZATION
I hereby declare that the information given on this death claim application form is true and complete to the best of my knowledge and belief. I hereby declare and agree that any personal information collected or held by the National Pension System (NPS) (whether contained in this application or otherwise obtained) is provided andmay be held, used, and disclosed by the Company to individuals/organisations associated with the NPS or any selected third party (within or outside of India) for the purposes of processing this application.

Witness Signature _____ Claimant Signature _____

Name of the Witness _____ Name of Claimant_____
(in block letters, family name first)
Address of Witness: _____ Date: ____/____/_____
DD M M Y YYY

Date: ___/____/_____
D D M M Y YYY

==========

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT

Acknowledgment slip to the Claimant on receipt of completed application form for Withdrawal due to death of the subscriber
(To be filled by PAO/DTO/POP/POP-SP)

Received from PRAN : | | | | | | | | | | | | |

PAO/DTO/POP/POP-SP Registration Number: _____ PAO/DTO/POP/POP-SP Office Name : _____

Received at: _____ Date : _____ Time: _____

Acknowledgement Number : | | | | | | | | | | |
(Generated by CRA)

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE FORM

1. All the columns in the form should be filled with black ink pen without any overwriting
2. Fields marked with (*) are mandatory.
3. The day on which CRA receives the confirmation of funds transferred to Subscriber's accounts; the PRAN will be deactivated in the CRA System.
4. Correct postal address, including the pin code should be provided
5. The literate claimant should sign the application form. In case of the claimant being illiterate, Left hand thumb impression by illiterate male claimant and Right hand thumb impression by illiterate female should be affixed in the claim form.
6. If the Nominee/ legal heir is minor, Bank account number should be in the name of nominee/ legal heir. Bank account's guardian should be same as mentioned in the withdrawal form.

Documents to be enclosed with the application:-

1. Death certificate in original of the deceased subscriber.
2. PRAN card in original. In case PRAN card is not available, a duly notarized affidavit as to the reasons of non-submission of the PRAN card is needs to be submitted.
3. Certified copy of family member's certificate issued by Executive Magistrate for cases where no nomination was registered with us.
4. Legal heir certificate when the claim is being made by.
5. Cancelled cheque (containing nominee Name, Bank Account Number and IFS Code) or Bank Certificate containing Name, Bank Account Number and IFSC code, for direct or electronic transfer.
6. A pre-signed receipt acknowledging the receipt of the proceeds by nominee/nominees/legal heir (as applicable)

1. Identification and address proof of the nominee or nominees, in case of multiple nominees. The photocopies of documents (Sr. No. a to h) and original document (Sr. No. i) that can be provided as identification and address proof are as mentioned below:
   a) Ration Card with photograph and residential address
   b) Bank Passbook with photograph and residential address
   c) Credit Card with photograph, any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the nominee.
   d) Passport
   e) Aadhar Card issued by UIAD
   f) Voter's Photo Identity Card with residential address
   g) Driving license with photograph and residential address
   h) PAN card and any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the nominee.
   i) Certificate of identity with photograph signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or a Gazetted Officer and any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the nominee (to be provided original)

In case if the address is not present on any of the above documents or differs with address provided in this form, proof in respect of current residential address like latest telephone bill, electricity bill in the name of the nominee should be submitted.

For the purpose of this document Pension Wealth means: The total amount of contributions made by the subscriber in the scheme plus the investment income derived from the investment of the contributions made by the subscriber from the date of joining of National Pension System till the date of execution of withdrawal request in the CRA System.

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

(राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से निधन पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन–पत्र)

(1) प्रार्थिनी/प्रार्थी का नाम(अध्यापक पर आश्रित) .....

(2) स्थायी पता .....

.....

(3) मृतक अध्यापक का नाम पद एवं पदस्थापन .....

(4) मृत्यु तिथि (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें) .....

(5) अध्यापक पर आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र0 सं0	नाम	आयु	सम्बन्ध	व्यवसाय
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

(6) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि इन बिन्दुओं में कोई असत्यता हो तो मेरे विरूद्ध राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, शिक्षा विभाग, बीकानेर इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही करना उचित समझे वह कर सकेगा। मुझे वह स्वीकार होगा।

दिनांकः (आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थानः

---

(7) **संस्था प्रधान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जा है कि आवेदक ने अध्यापक की सेवाओं का जो ब्यौरा दिया है, वह सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अध्यापक ने अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में आचरण और कार्य के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा का लगातार उत्तम स्तर रखा है।

दिनांकः संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

स्थानः (कार्यालय की मोहर)

---

(8) **क्षेत्र के दो जिम्मेदार नागरिकों के हस्ताक्षर जिसमें आवेदक रहता है**

(यह प्रमाण–पत्र स्थानीय पंचायत के दो सदस्यों, राज्य विधानसभा या संघीय संसद या राज्य अथवा केन्द्र सरकार एवं राज्य के राजपत्रित कर्मचारी से प्राप्त किया जा सकता है।)

हम यह प्रमाणित करते हैं कि आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उसकी वित्तीय स्थिती और दूसरी परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर उसकी जरूरतों और मद के लिए किए गए दावे की यथार्थता की पुष्टि करते है। आवेदक हम में से किसी से भी सम्बन्धित नहीं है।

हस्ताक्षर पद संस्था
(कार्यालय मोहर)

हस्ताक्षर पद संस्था
(कार्यालय मोहर)

---

(9) प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/ प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है इनकी आर्थिक स्थिती खराब है, सहायता की आवश्यकता है। अध्यापक के परिवार में आश्रितों की आमदनी अच्छी नहीं है और स्व0 अध्यापक ने अपने जीवनकाल में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं को ही पढाया था। अतः इनका प्रार्थना–पत्र सहायता दिए जाने हेतु अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जा रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी/ विकास अधिकारी
(मय मोहर)

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– निपेवि / लेखा / बजट / 2019–20 702 दिनांकः– 11/11/19.

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

विषय :– मदशीर्ष 2071–01–115–01–01 सेवानिवृति पर छुट्टी नकदीकरण हित के बजट बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/3666-4165 दिनांक 13.09.2019 के बिन्दु संख्या 7 व 8 के अनुसार सेवानिवृत कार्मिक के पीपीओ का जनरेशन IFPMS पर होने के उपरान्त पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा संबंधित कार्यालय की आई.डी. में सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट IFMS मोड्यूल पर आवंटित किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान पीपीओ नं. Fatch कर एवं बिल में उपयोग कर बिल भुगतान हेतु संबंधित कोषालय को प्रेषित किया जायेगा।

अतः निम्न प्रारूप में मदशीर्ष 2071–01–115–01–01 में बजट आवंटन की मांग संबंधित जोन कार्यालय पेंशन विभाग / निदेशालय को (जयपुर जोन के कार्यालय) प्रेषित करावें:–

क्र. सं.	कार्यालय की आई.डी. संख्या	कर्मचारी के पीपीओ नं.	कर्मचारी का नाम एवं आई.डी.	वांछित राशि

माह अप्रैल, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक उक्त मद में व्यय की गई राशि .....

भवदीय

(सुल्तान सिंह)
निदेशक

ONLINE WORK ALL ADMIN & PAYMANGER INFO....

300 दिन PL का भुगतान करने का पुरा प्रोसेस

Qestion- ***हमारे कार्यालय के प्रधानाचार्य 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत हो गए हैं। अब मुझे उनके रिटायरमेंट PL का भुगतान करना है। उक्त राशि के बजट हेतु मुझे क्या करना होगा?***

Answer- *निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर के पत्रांक निपेवि/लेखा/बजट/ 2019-20/702 दिनांक 11-11-19 के अनुसार आपको अपने कार्मिक के रिटायरमेंट PL भुगतान वास्ते मदशीर्ष 2071-01-115-01-01 (सेवानिवृति पर छुट्टी नकदीकरण हितलाभ) में बजट मंगाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सर्वप्रथम सेवानिवृत कार्मिक के पीपीओ नम्बर का जनरेशन IFPMS पर होने के उपरांत पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की आई डी में सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट IFMS मोड्यूल पर आवंटित किया जाएगा उसके बाद सम्बन्धित DDO द्वारा नियमानुसार सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान PPO नम्बर fatch कर एवं बिल में उपयोग कर बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित कोषालय को बिल प्रेषित किया जाएगा।*

इसके लिए निम्न प्रारूप में मदशीर्ष 2071-01-115-01-01 में बजट आवंटन की मांग करनी होगी और निदेशक पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग जयपुर को पत्र/मेल भिजवाना होगा।

क्र.स.	कार्यालय की आई डी संख्या	कर्मचारी के पीपीओ नम्बर	कर्मचारी का नाम और आई डी	वांछित राशि

इस सूचना के साथ आपको जनवरी 20 से गत माह के अंत तक उक्त मद में व्यय की गई राशि की सूचना भी देनी होगी।

बजट प्राप्त होने के बाद का प्रोसेस

ifms चेक करते रहे 2071 हेड में बजट प्राप्त होने पर pay manager पर निम्न प्रक्रिया को फॉलो करे।

- master में सबसे नीचे ppo न update का टेब है उस पर क्लिक कर कर्मचारी की emlpoyee id लिखे एंड वेरिफाइड करे।
  कर्मचारी का नाम, ppo न,id आदि प्रदर्शित होगी।
- उसके बाद Group master में जाकर निम्न के अनुसार एक नया ग्रुप बनावे 2071-01-115-01-01 object हेड 84,Dimand संख्या 15,voted, S/F नोट कर्मचारी का ग्रुप परिवर्तन नही करना है।
- उसके बाद बिल अलोकेशन में बिल न देवे ऑब्जेक्ट हेड 84 एवम group name में जो नया ग्रुप 2071 का बनाया है उसे सलेक्ट करे।
- फिर leave incashment on ritairment में कर्मचारी का नाम सलेक्ट करे एवम बिल प्रोसेस करे।
- रिपोर्ट में इनर एंड आउटर चेक करे सही होने पर ddo एंड ट्रेजरी फोरवर्ड करे।
- ट्रेजरी फोरवर्ड करने से पहले पास में ही बजट velidate अवश्य कर देवे।